

Compliance report of Honorable NGT order dated. 22.10.2019 in Original Application No. 834/2019 "RTI Activist Versus State of UP" Application is registered based on a complaint received by post.

Honorable NGT passed order dated. 22.10.2019 in Original Application No. 834/2019 "RTI Activist Versus State of UP". Main part of order is as under-
"Grievance in this application is against illegal operation of a slaughter house by M/s Marya Frozen Agro Foods Pvt. Ltd. (Marya group) at Bareilly, Uttar Pradesh causing environment and health hazard in the area.

Let the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in.

A copy of this order, along with complaint, be sent to the UPPCB by e-mail for compliance.

Needless to say that order of National Green Tribunal is binding as a decree of Court and non-compliance is actionable by way of punitive action including prosecution, in terms of the National Green Tribunal Act, 2010.

List for further consideration on 03.02.2020."

In compliance of above order inspection of the unit (1) M/s Rehbar Food Industries Pvt. Ltd. (Formerly M/s Marya Frozen Agro Foods Pvt. Ltd.) Village-Mohanpur, Shahjhanpur Road, Bareilly and (2) M/s Nagar Nigam Slaughter House (Operator M/s Marya Frozen Agro Food Products Pvt. Ltd) Village- Mohanpur, Shahjhanpur Road, Bareilly firstly conducted on dated 14-11-2019 and obtain compliant dated 10 may, 2019 of RTI Activist through e-mail form NGT on dated 03-01-2020 then further inspection in view of grievances the said unit was conducted on 11-01-2020, On the basis of inspection and official record point wise comments in reference of grievance is as under-

Complaint Point no. 1:- Environmental Laws Violations

Unit Was granted No objection certificate from UPPCB vide number F792614/B1/NOC/04/07/15 dated 09-12-2015 for expansion of capacity from slaughtering 800 buffaloes to 1000 buffaloes per day

Wherein point number 9 unit was supposed to take permission from State Level Committee and District Magistrate Bareilly, which is not taken by Unit and without taking permission from SLC and producing wrong information they have applied to consent for slaughtering of 1000 buffaloes per day consent to operate was granted by UPPCB without duly checking application that conditions of NOC are not complied.

Since, Dec. 2015 unit is slaughtering of 200 animals more than approved capacity and got consent to operate each year since 2015. It is violation of Slaughter act 2001 and is punishable offence.

** Unit is also draining out untreated water during time.*

**Unit does not have adequate water treatment plant*

** Unit online monitoring system is also tempered which is connected to CPCB server.*

Above is under violation and mockery of Government Environmental Laws/Rules/Regulations and EPA Acts"

Handwritten signature

Handwritten initials

- In reference of above Grievance it is submitted that there are two slaughter houses operative in District Bareilly namely as M/s Rehbar Food Industries Pvt. Ltd. (Formerly M/s Marya Frozen Agro Foods Pvt. Ltd.) Village- Mohanpur, Shahjhanpur Road, Bareilly of Slaughtering Capacity 1000 Buffalos per day and another is M/sNagar Nigam Slaughter house (operated by Marya Frozen Agro Foods Products Pvt. Ltd.)Village- MohanpurThiria, Shahjhanpur Road, Bareilly of Slaughtering Capacity 300 Buffalos and 550 Sheep/Goat per day. Point wise comment on above grievance as under.

S. No	Complaint Point	Comment for M/s Rehbar Food Industries Pvt. Ltd. (Formerly M/s Marya Frozen Agro Foods Pvt. Ltd.) Village- Mohanpur, Shahjhanpur Road, Bareilly	M/S Nagar Nigam Slaughter house (operated by M/s Marya Frozen Agro Foods Products Pvt. Ltd.) Village- Mohanpur Thiria, Shahjhanpur Road, Bareilly
1	Regarding Consent for operation and Consent for establishment/Expansion	<ul style="list-style-type: none"> • It is submitted that first Consent for operation under water act was issued vide letter no. F71095/C-5/water-188/2010 dated 03.08.2010 for slaughtering of 60 Buffalo which was valid upto 31.12.2010 and Consent for operation under air act was issued vide letter no. F71094/C-5/air pollution-165/10 dated 03.08.2010 for slaughtering of 60 Buffalo which was valid upto 31.12.2010. Copy of Water/Air Consent enclosed as Anexxure-R1 • It is submitted that Renewal of Consent for operation under water act was issued vide letter no. F92572/C-8/water-30/2011 dated 21.09.2011 for slaughtering of 60 Buffalo which was valid upto 31.12.2011 and Consent for operation under air act was issued 	<ul style="list-style-type: none"> • It is submitted that for establishment of said slaughter house approval from the state level committee was passed in the forth meeting dated 14.12.2015 of state level committee which is motioned at point no. 5(2). Which was issued from Nagar Vikas Anubhag-8 vide letter no. 32/9-8-2016-02CS/12 dated 06.01.2016, copy of minutes of state level committee dated 14.12.2015 enclosed as Anexxure-N1 • It is submitted that Consent for Establishment of Modern Slaughter house issued to Nagar Nigam, Bareilly vide letter no. F7862/C-7/NOC-548/Bareilly/2016 dated 06-05-2016 for Slaughtering Capacity

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		<p>vide letter no. F92573/C-8/56 air pollution/2011 dated 21.09.2011 which was valid upto 31.12.2011. Copy of Water/Air Consent enclosed as Anexxure-R2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Further, Consent for operation under water act was issued vide letter no. F01337/C-8/water-30/12 dated 21.03.2012 for slaughtering of 300 Buffalo per day which was valid upto 31.12.2012 and Consent for operation under air act was issued vide letter no. F01336/C-8/air pollution/46/16/12 dated 21.03.2012 which was valid upto 31.12.2012. Copy of Water/Air Consent enclosed as Anexxure-R3 • It is submitted that Consent for expansion of Slaughter house issued vide letter no. F09252/C-8/NOC-80/2012/5 dated 24-08-12 for Slaughtering Capacity 1000 Buffalos per day. Anexxure-R4 • Further, Consent for operation under water act was issued vide letter no. F22703/C-8/water Pollution-30/38/2013 dated 18.04.2013 for slaughtering of 1000 Buffalo per day which was valid upto 31.12.2013 and Consent for operation under air act was issued vide letter no. F22702/C-8/air /56/23/2013 dated 18.04.13 which was valid 	<p>300 Buffalos and 550 Sheep/Goat per day. This slaughter house developed on PPP model. Anexxure-N2</p> <ul style="list-style-type: none"> • It is submitted that First trial Consent for operation under water act was issued vide letter no. F98052/C-7/940/water pollution/Bareilly/2017 dated 10.03.2017 for Slaughtering Capacity 300 Buffalos and 550 Sheep/Goat per day which was valid upto 31.12.2017 and Consent for operation under air act was issued vide letter no. F98053/C-7/854/Air pollution/Bareilly/2017 dated 10.03.2017 which was valid upto 31.12.2017. copy of water/air consent enclosed as Anexxure-N3 • Further, Consent for operation under water act was issued vide letter no. H12274/C-7/water/940/Bareilly/2017 dated 19.11.2017 Slaughtering Capacity 300 Buffalos and 550 Sheep/Goat per day which was valid upto 31.12.2019 and Consent for operation under air act was issued vide letter no. H12275/C-
--	--	--	--

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

(R.O.)

		<p>upto31.12.2013. Copy of Water/Air Consent enclosed as Anexxure-R5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Further, Consent for operation under water act was issued vide letter no. F37440/C-8/water Pollution-30/44/2014 dated 07.02.2014 for slaughtering of 1000 Buffalo per day which was valid upto31.12.2015 and Consent for operation under air act was issued vide letter no. F37439/C-8/air /56/28/2014 dated 07.02.14 which was valid upto31.12.2015. Copy of Water/Air Consent enclosed as Anexxure-R6 • Further, Consent for operation under water act was issued vide letter no. F71467/C-7/water/740/Bareilly/2015 dated 28.12.2015 for slaughtering of 1000 Buffalo per day which was valid upto31.12.2020 and Consent for operation under air act was issued vide letter no. F71466/C-7/774/air pollution/Bareilly/2015dated 28.12.15 which was valid upto31.12.2020. Copy of Water/Air Consent enclosed as Anexxure-R7 	<p>7/air/854/Bareilly/2017 dated 19.11.17 which was valid upto31.12.2019. Copy of Water/Air Consent enclosed as Anexxure-N4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Further, online Consent for operation under water act was issued vide letter no. 67653/UPPCB/Bareilly(UPPCBRO)/CTO/Water/Bareilly/2019 dated 27.12.2019 Slaughtering Capacity 300 Buffalos and 550 Sheep/Goat per day. Which was valid upto 31.12.2021 and Consent for operation under air act was issued vide letter no. 67651/UPPCB/Bareilly(UPPCBRO)/CTO/Air/Bareilly/2019 dated 27.12.2019 which was valid upto31.12.2021. Copy of Water/Air Consent enclosed as Anexxure-N5
2	<p>No objection certificate from UPPCB vide number F792614/B1/NOC/04/07/15 dated 09-12-2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> • It is submitted that as per official record no such of type of direction issued by the board. • Mentioning of B-1 in 	<p>Not concern as the said slaughter house have Slaughtering Capacity 300 Buffalos and 550 Sheep/Goat per day</p>

SA

(Signature)

(A.V.)

		Dispatch No. is not match with Board Dispatch No. as all the letter dispatched form C-7/C-8.	
3	Wherein point number 9 unit was supposed to take permission from State Level Committee and District Magistrate Bareilly.	Said unit established before commencement of State Level Committee.	<ul style="list-style-type: none"> It is submitted that for establishment of said slaughter house approval from the state level committee was passed in the forth meeting dated 14.12.2015 of state level committee which is motioned at point no. 5(2). Which was issued from Nagar Vikas Anubhag-8 vide letter no. 32/9-8-2016-02CS/12 dated 06.01.2016, copy of minutes of state level committee dated 14.12.2015.
4	Unit is also draining out untreated water during time.	It is submitted that UPPCB Conduct Regular inspection of said unit recently inspection of Unit was conducted on dated 14.11.19 and 11.01.2020 no untreated water found discharge from the unit. Treated Effluent reutilized for irrigation purpose.	It is submitted that UPPCB Conduct Regular inspection of said unit recently inspection of Unit was conducted on dated 14.11.19 and 11.01.2020 no untreated water found discharge from the unit. Treated Effluent reutilized for irrigation purpose.
5	Unit does not have adequate water treatment plant.	It is submitted that said unit have effluent treatment plant of sufficient capacity, During inspection sample was collected and found within the prescribed norms. Adequacy report of ETP prepared by the HBTI Kanpur.	It is submitted that said unit have effluent treatment plant of sufficient capacity, During inspection sample was collected and found within the prescribed norms. Adequacy report of ETP prepared by the HBTI Kanpur.
6	Unit online monitoring system is also tempered	<ul style="list-style-type: none"> It is submitted that during different inspections online 	<ul style="list-style-type: none"> It is submitted that during different inspections online

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

<p>which is connected to CPCB server</p>	<p>effluent monitoring system was found working properly.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calibration of online monitoring system was earlier issued by M/S Errand Enterprises Pvt. Ltd., Netaji Subash Place, New Delhi vide certificate No. 45/CAL/EEPL/18-19 Dated 27.12.2019 Copy enclosed as Annexure-R8 	<p>effluent monitoring system was found proper working properly.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calibration of online monitoring system was earlier issued by M/S Errand Enterprises Pvt. Ltd., Netaji Subash Place, New Delhi vide certificate No. 46/CAL/EEPL/18-19 Dated 27.12.2019 copy enclosed as Annexure-N6
--	---	--

Complaint Point no. 2:- Financial Profit Generation through illegal Activities.

- In terms of quantity per buffaloes 141 meat and 49 Kgs offal is produced. In terms of value by illegal profit generated Rs. 150 per kg of buffalo including meat, hide and value added products. In 3.5 years (280 working days each year) They have generated profit of buffaloes 250 x profit Rs 75 per Kg x 3.5 years x (141+49 = 190 per kgs per meat buffalo) = Rs 2,79,30,00,000. These figures are enormous profit by cheating government agencies. Violation of IT acts.
- Generation of black money through fake supplier accounts showing petty cash expenses of Rs. 50 to 100 per buffalo depending in their need showing that given to fake suppliers which accounts for Rs 150 Cr per annum for Bareilly Unit.
- Total Black Moneys generated by MARYA GROUP across group is about 40 cr per annum for last five years its about 200 cr.
- Number of animals slaughtered can be derived from payment made to suppliers, levy deposited in District Bareilly Treasury for cartons. Number of hides sold from tax invoices and annual return.

➤ It is submitted that the said grievance points are not concern with UPPCB.

Complaint Point no. 3:-Violation of Prevention to animal cruelty 1960 and slaughter house Act 20001

- Above is violation of excess slaughter that leads to convict Managing Director. General Manager and Directors of Companies. Under Prevention to cruelty act 1960, they should be prosecuted and imprisonment.
- Animals are not rested in space for 24 days and immediately broken to eye wash government officers. Number of animals Bareilly Treasury for cartons, number of hides sold from tax invoices and annual returns.
- Pregnant and Milky animals are slaughtered in day light. Govt. Vet. Officer deputed to supervise are at the rubber stamp.

➤ It is submitted that the said grievance points are not concern with UPPCB.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Complaint Point no. 4:- CGWA Violation

- To slaughter excess illegal buffaloes, unit is extracting more 1000 KL per day but on records and log book they fill manipulated readings. Which is also violation of CGWA NOC.

It is submitted that for measurement of extraction of ground water meter installed in bore wells and logbook maintain by the both units. Status of slaughtering and water consumption of 03 months is given as under.

Sr. No.	Particular	Comment for M/s Rehbar Food Industries Pvt. Ltd. (Formerly M/s Marya Frozen Agro Foods Pvt. Ltd.) Village- Mohanpur, Shahjhanpur Road, Bareilly	M/S Nagar Nigam Slaughter house (operated by Marya Frozen Agro Foods Products Pvt. Ltd.) Village- Mohanpur Thiria, Shahjhanpur Road, Bareilly
1	No. of slaughtered animals from 01 Oct. to 31 Dec., 2019	71677 Buffalo details Enclosed as Annexure R9	22573 Buffalo & 1620 Goat details Enclosed as Annexure N7
2	Water Consumption (KL.) from 01 Oct. to 31 Dec., 2019	47439.01 details Enclosed as Annexure R9	19360.65 details Enclosed as Annexure N7

Complaint Point no. 5:- FSSAI/APEDA and illegal trade practices

- Marya Group has several different locations of UP. They are packing meat for other Meat units at Bareilly Plant. Which is clear violation of Packaging Registration and Apeda guidelines and also leads to tax liability. APEDA should immediately cancel export permissions. Unit also give Health certifications to other units for export of meat.
- The validation of the meat produce can be checked through the online generation of health certificate for export system.
- From Bareilly Department treasury by getting records of the carton levy deposited by unit.
- The unit is also producing meat for other MARYA Group Apeda registered unit of different states at Bareilly as for some countries UP is banned. It leads to tax evasion.
 - It is submitted that both unit has certificate from APEDA and FSSAI, certificates enclosed as Annexure- R10, R11 and N8, N9 and other said grievance points are not concern with UPPCB.

Complaint Point no. 6:- The Agricultural Land Violation

- Unit is established on Agricultural land. the unit has not got the land use change permit, and before getting permission they have established and

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]


constructed without prior approval of the Urban Development Dept. UP and operating illegal business.


Under law there is a building that should be ceased and UPPCB/DM Bareilly/VC has been kept their eyes close for unknown reasons and encouraging this to continue for so long despite several complaints.

It Is Submitted That As Per Bareilly Development Authority Master Plan-2021 (Which Was Approved In Year 2010) the land use of the said area demarcated for the slaughter house.

From the above facts it is found that M/s Rehbar Food Industries Pvt Ltd. (Formerly M/s Marya Frozen Agro Foods Pvt. Ltd.) Village- Mohanpur, Shahjhanpur Road, Bareilly and M/S Nagar Nigam Slaughter house (operated by Marya Frozen Agro Foods Products Pvt. Ltd.) Village- Mohanpur Thiria, Shahjhanpur Road, Bareilly complying the provision of environmental laws. Earlier inspection of both units was conducted on dated 14.11.19 and 11.01.2020 inspection report attached on **Annexure R12 & N10**.

Above report is submitted hereby for your kind information and perusal.


(Sunil Singh Chauhan)
S.A., UPPCB, Bareilly


(Shashi Vindkar)
A.E.E., UPPCB, Bareilly


Regional Officer



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या

F71094

/सी-4/वायु प्रदूषण/ १६५/१०

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक 3-2-10

मे० मे० मरियम फौजन एग्री फूड्स प्रा० लि०,

मोहनपुर, सखारहापुर रोड,
बरेली ।

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक 26/12/10 का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सशर्त सहमति आदेश संख्या सहमति (वायु) आदेश/ 177 दिनांक 3/0/10 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या 2, 3, 4 से 22 तक नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है।

- 1- सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिए गए विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 2- के. बी. ए. क्षमता के डी. जी. सेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से मी. ऊँचाई किया जाय।
- 3- ~~वायु गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।~~
- 4- वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
- 5- इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 6- आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
- 7- उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।

- 9- आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेंट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान देनदारिया) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
- 10- ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।
- 11- आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
- 12- उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- १३- उद्योग द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान दुर्गन्ध आदि को फैलने से रोकने हेतु रेण्डमिंग प्लांट के साथ-साथ दुर्गन्ध रोकने की व्यवस्था की तीन माह में प्रस्तुत करेगा।
- १४- उद्योग में किसी भी दरह में ठोस अपशिष्टों के (हडिहवों) आदि के पण्डारण कुले स्थलों में नहीं किया जायेगा।
- १५- उद्योग द्वारा अबसेव सहमति शुल्क एक माह में राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जायेगा।
- १६- पशुदवाशाला में पशुदवा की अधिकतम निर्धारित संख्या ६० (सठ) से अधिक किसी भी दरह में नहीं किया जायेगा।
- १७- उद्योग में फ्लैम भीट प्रेसेसिंग/ भंडारण अधिकतम ०५ (पाँच मि०टन) एम०टी०/दिन किया जायेगा।

Pan

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(*ख०सी०एस०फ्ट*)

सदस्य सचिव

संदर्भ सं०..... / वायु प्रदूषण..... तद दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

- 1- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, *बरेली* को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Awami Nath Pan

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त..... ५.....)

o/c

2/146



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संख्या 127 / सहमति (वायु) आदेश / लखनऊ, दिनांक 03/8/16

विषय :- सहमति मै 0 ~~महिन प्रोपर्टी एंड कंस्ट्रक्शंस, गोरखपुर, बरेली~~ को

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ :- आवेदन संख्या दिनांक
27/2/20

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवधियों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै 0 ~~महिन प्रोपर्टी एंड कंस्ट्रक्शंस, गोरखपुर, बरेली~~ को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक ~~27/2/2020~~ से ~~03/8/2020~~ की अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक : संलग्नक

(सहमति, शर्त)

अध्यक्ष सचिव

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या/सहमति (वायु) आदेश/.....

दिनांक.....

सहमति शर्तें

1. फलू गैस की प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिये।

[i]	सम्बद्ध चिमनी	
[ii]	—	
[iii]	—	
[iv]	—	
[v]	—	
2. वायु मंडल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो।

[i]	सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस.पी.एम.)	मिलीग्राम प्रतिनार्मल मी ³ क्यूबिक मीटर
[ii]	मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि)	—
[iii]	हाइड्रोजन, सल्फर ट्राई आक्साइड सल्फेड मिस्ट	—
[iv]	सल्फर डाई आक्साइड	(पी.सी.एम.)
[v]	कार्बन मोनो आक्साइड	—
[vi]	हाइड्रोकार्बन	—
[vii]	अमोनिया	—
[viii]	फ्लोरीन	—
[ix]	मरकैप्टेन	—
[x]		—
3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।

4/1/85

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।
6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाए।
8. सहमति आदेश निर्गत किए जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किए जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति केमाह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा 29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाय।
12. इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिए गए आदेश /निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा 21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संभालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियन्त्रण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए, जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

सदस्य-सचिव

8/1/86



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या

सेवा में,

EP/1095
17/5/16 - 188/2016

पंजीकृत

दिनांक

3-8-16

मै० मारिच फ़ोडेन एग्री फूड्स प्रा० लि०,
मोहनपुर, बरेली

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक दिनांक 26-4-16

के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रांक दिनांक 03/05/16 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं० २, ३, ४, ५ से २३ तक पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें, वी-नाच की मापी गई सूचनायें तथा केलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।

घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।

5. आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष.....की बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल+वर्तमान-वर्तमान जिम्मेदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाए।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
9. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।

7/146

10. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।

११- पशुवधशाला का आधुनिकीकरण किया जाये तथा इस हेतु समयबद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

१२- पशुवधशाला से जनित हड्डी अवशेषों का भंडारण वातानुकूलित कक्ष में किया जायेगा।

१३- पशुओं के करकस के निस्तारण हेतु समुचित हेतु समुचित क्षमता के रेडिंग प्लॉट की स्थापना की जाये।

१४- पशुवध से जनित ब्लड को किसी भी दश में उखावाह हशुदिकरण संयंत्र तक न पहुंचने दिया जाये।

१५- पशुवधशाला में पशुवध की अधिकतम निर्धारित संख्या ६० (साठ) से अधिक किसी भी दश में नहीं किया जायेगा।

१६- प्रक्रिय से जनित शुद्धिकृत उखावाह को भूमि पर सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाये किसी भी दश/ माध्यम से रामगंगा नदी में निस्तारित न किया जाये।

१७- उद्योग में फ्लेन मीट प्रोसेसिंग/ भंडारण अधिकतम ०.५ (पांच मि०टन) एम०टी०/दिन किया जायेगा।

१८- शुद्धिकृत उखावाह बायोकम्पोस्टिंग / सिंचाई हेतु प्रयोग किया जायेगा।

१९- पशुओं के गोबर इत्यादि के निस्तारण हेतु बायोकम्पोस्टिंग संयंत्र की व्यवस्था किया जाये।

२०- परियेश सिस्टम को और शुद्धिकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

२१- मल्टी स्टोरेज स्क्रीन स्थापित किया जाना सुनिश्चित करे जिससे सालिड वेस्ट को ई०टी०पी० में जाने रोका जाये।

२२- जिला प्रशासन से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित किया जाये कि स्लाटर हाउस के आसपास आबादी न विकसित हो।

२३- तउद्वारा बोर्ड के फॉक संख्या-एफ६७४०६/सी-५/सहमति जल-१८८/२०१० दिनांक २४-५-१० के द्वारा जारी निर्देशों को सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्लंबित किया जाता है।

हेतु ₹० दो लाख की बैंक गारंटी वांछित है उपरोक्त बैंक गारंटी फर प्राप्ति के १५ दिन में उपलब्ध करना

कृपया उपरोक्त अंकित शर्तों में से ११, १२, १३, १४, १५ में अंकित शर्तों सेवेदनशील श्रेणी की है उक्त के अनुपालन हेतु ₹० दो लाख की बैंक गारंटी वांछित है उपरोक्त बैंक गारंटी फर प्राप्ति के १५ दिन में उपलब्ध करना सुनिश्चित करे अन्यथा यह सहमति रिवॉक की जा सकती है।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

सदस्य सचिव

पृ० सं०.....

तद् दिनांक.....

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्डबरेली..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त-)

8/146



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश प्रपत्र

संख्या 176 /सहमति/जल आदेश/ लखनऊ दिनांक 03/01/00

विषय मै० मरिया प्रोजेक्ट फूड्स प्रा० लि०, मोहनपुर, मेरौली को

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रेषण निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या..... दिनांक 22/12/98

जल शशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुएँ में/भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक 22/01/2000 से 22/12/2000 दिनांककी अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

संलग्नक : अनुलग्नक

सदस्य सचिव

9/146

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सहमति आदेश संख्या.....सहमति/

दिनांक.....का संलग्नक

सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घंटे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्प्रवाह का प्रकार

अधिकतम दैनिक

अधिकतम प्रति घंटा

निस्तारण मी³

निस्तारण मी³

(i) घरेलू - २०६ कि०ली०/दिन

(ii) औद्योगिक

(अ) प्रक्रिया जल ७० कि०ली०/दिन

ब्लीड धोने के

जल सहित

(ब) शीतलन जल

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अंतिम छोर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।

3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये-जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

20° से. पर 5 दिन की बी.ओ.डी.

30 मिग्रा./ली. से अधिक न हो।

कुल निलम्बित ठोस

100 मिग्रा./ली. से अधिक न हो।

4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा सं. 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 6-4-83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।

6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिए।

7. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिये।

8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम MX15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेंट कंक्रीट के चेम्बर होने चाहिये। टर्मिनल, मेनहोल में उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था होनी चाहिये।

10/146

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या 9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु.....में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये।
- पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाये बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाये जाये।
11. इस शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दिनांक.....या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजे।
13. विस्तृत निर्माण स्थल, रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्घ्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अंतिम निस्तारण बिन्दु का रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजे।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात तूफान के जल को भली भाँति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
- (i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाए कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करे या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
- (ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
- (iii) जैविक अवघट्य-पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।
16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाय। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा आँचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रखरखाव स्थापित करें। सभी पाइप, बाल्व, सीवर और ड्रेन

रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।

19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अंतिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
20. शुद्धीकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किए जाने वाले दिन तीन महीने में एक बार लिया जाए और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाए। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिये गए निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करे और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करे तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन न करे।
23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती हैं, तब तक लागू रहेगी।
24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करायें।
27. फैक्ट्री परिसर से अंतिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियां या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाय।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, पते व टेलीफोन की सूची दी जाए।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

सदस्य-सचिव

12/14/6



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या

A92572

/सी- 8/ जल- 30/ 2011

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक

21-9-11

श्री 0 मारिया प्रोजेन स्त्री प्रुह्त प्रोटोलिओ,
भोहनपुर,
घरेली ।

प्रोजेन मीटर 10 मीटर/ दिन किन्तु स्लाटरिंग मात्र 60 पशु/ दिन हेतु मान्य
विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधित
अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति ।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक

दिनांक 19-5-10

के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा
सशर्त सहमति आदेश पत्रांक दिनांक 21-9-11 संलग्न है। आपका
ध्यान निम्न बिन्दु सं० 1, 5, 7, 9 से 20, 21 पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें, वी-नाच की मापी गई सूचनायें तथा केलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
5. आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष 2010-11 की बैलेंसशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल+वर्तमान-वर्तमान जिम्मेदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाए।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
9. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।

10. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।

99. पशुवधशाला में आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों की स्थापना की जायेगी।
92. पशुवधशाला से जनित हड्डी अयुक्तों का भण्डारण वास्तानुकूलित कक्षों में किया जायेगा।
93. पशुवधशाला से जनित निस्प्रयोज्य वेस्ट के निस्तारण हेतु समुचित क्षमता एवं दक्षता का आधुनिक रेण्डरिंग प्लांट्स की स्थापना की जायेगी। रेण्डरिंग प्लांट्स के विस्तृत डिजाइन डिटेल्ड क्रियान्वयन कार्यक्रम सहित एक समाह के अन्दर प्रेषित किये जायेंगे।
94. पशुवध से जनित समस्त रक्त की रिकवरी की जायेगी तथा रक्त को किसी भी दशा में उत्प्राव्य शुद्धिकरण संयंत्र तक न पहुंचने दिया जायेगा।
95. उद्योग द्वारा समुचित उत्प्राव्य शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की जायेगी तथा जनित उत्प्राव्य को बोर्ड मानकों के अनुरूप उपचारित किया जायेगा। मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से उत्प्राव्य शुद्धिकरण संयंत्र के पश्चात् एकत्रित किये गये नवीनतम उत्प्राव्य नमूने की विश्लेषण आख्या इस पत्र प्राप्ति के दो माह के अन्दर बोर्ड को प्रेषित की जायेगी।
96. पशुवधशाला में जनित ड्राईइस का संरक्षण र. इनमक तकनीक से नहीं किया जायेगा। नमक युक्त ड्राईइस का आवागमन भी नहीं किया जायेगा।
97. जिला प्रशासन से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पशुवधशाला के आस-पास नई आबादी नहीं विकसित हो।
98. पशुवधशाला में अधिकतम 60 पशु प्रतिदिन से अधिक स्लाटरिंग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
99. प्रक्रिया से जनित शुद्धिकृत उत्प्राव्य को भूमि पर सिंचाई हेतु प्रयोग किया जायेगा तथा किसी भी दशा/माध्यम से राम गंगा में निस्तारित न किया जाये।
20. उद्योग में फोजेन मीट पैकेजिंग/प्रोसेसिंग अधिकतम 90 मी०टन/दिन से अधिक नहीं किया जायेगा।
21. लेरेज(स्टॉक यार्ड)से जनित जल मल इत्यादि के निस्तारण हेतु बायो कम्पोस्ट संयंत्र की स्थापना की जायेगी।
22. शुद्धिकृत उत्प्राव्य बायो कम्पोस्टिंग/ सिंचाई हेतु प्रयोग किया जायेगा।
23. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की दशा में उद्योग से प्राप्त बैंक गारंटी संख्या 09920009699 दिनांक 20.6.2099 धनराशि रु० 2.0 लाख को जब्त कर ली जायेगी।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

सदस्य सचिव

पृ० सं०.....

तद दिनांक.....

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नरेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त- 8)

14/14-6



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विमूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश प्रपत्र

संख्या /सी-8 /सहमति/जल आदेश/2011 लखनऊ दिनांक 21-9-11

विषय मे. मारिया प्रोजेक्ट एग्री फूड प्रो. लि., मोहनपुर, बरेली को

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रावह
निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या.....

दिनांक 19.5.2011

जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)
अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन
पत्र के निर्देश में मे. मारिया प्रोजेक्ट एग्री फूड प्रो. लि. को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर
पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुयों में/भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में
उत्तिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक 19.5.2011 से 31.12.2011 दिनांक

की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के
अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का
अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

संलग्नक : अनुलग्नक

सदस्य सचिव

15/146

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सहमति आदेश संख्या.....सहमति/

दिनांक.....का संलग्नक

सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्राह और प्रति घंटे में निस्तारित होने वाले उत्प्राह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्प्राह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी ³	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी ³
--------------------	--	---

- | | | |
|---------------|----------------|--|
| (i) घरेलू | _____ 1.7 KLD. | |
| (ii) औद्योगिक | _____ 70 KLD. | |

- (अ) प्रक्रिया जल
ब्लीड धोने के
जल सहित

- (ब) शीतलन जल

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्राह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अंतिम छोर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्राह मापन तथा उत्प्राह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्राह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्राह के अलावा अन्य कोई उत्प्राह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्राह स्ट्रीम वाटर ट्रेन में निस्तारित न हो।
3. घरेलू उत्प्राह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्राह निम्न मानकों के अनुरूप हो।
- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 20° से. पर 5 दिन की बी.ओ.डी. | 30 मिग्रा./ली. से अधिक न हो। |
| कुल निलम्बित ठोस | 100 मिग्रा./ली. से अधिक न हो। |
4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्राह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्राह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्राह सहित औद्योगिक उत्प्राह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्राह बोर्ड द्वारा सं. 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 6-4-83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।
6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्राह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिए।
7. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिये।
8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम MX15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेंट कंक्रीट के चेम्बर होने चाहिये। टर्मिनल, मेनहोल में उत्प्राह नापने तथा विश्लेषण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था होनी चाहिये।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्पन्नवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्पन्नवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्पन्नवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्पन्नवाह शर्त संख्या 9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु.....में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये।
पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाये बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाये जाये।
11. इस शर्तों का विशेष रूप से उत्पन्नवाह शुद्धिकरण, उत्पन्नवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दिनांक.....या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजे।
13. विस्तृत निर्माण स्थल, रेखाचित्र उत्पन्नवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्घ्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अंतिम निस्तारण बिन्दु का रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजे।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात तूफान के जल को भली भाँति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
(i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाए कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
(ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
(iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।
16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाये। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्पन्नवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा आँचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रखरखाव स्थापित करें। सभी पाइप, बाल्व, सीवर और ड्रेन

- रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।
19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अंतिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
 20. शुद्धीकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किए जाने वाले दिन तीन महीने में एक बार लिया जाए और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाए। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
 21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिये गए निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करे और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
 22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन न करे।
 23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती हैं, तब तक लागू रहेंगी।
 24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
 25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
 26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करायें।
 27. फैक्ट्री परिसर से अंतिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियां या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाय।
 28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, पते व टेलीफोन की सूची दी जाए।
 29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

m-1/184-
26-9-11

संदर्भ संख्या

F92593

/सी-8/ 56 वायु प्रदूषण/2011

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक

21-9-11

मे.म.ए.रिया प्रोजेक्ट साइट फूड प्रॉ. 10,
मोहनपुर, शाहजहांपुर रोड,
बरेली।

प्रोजेक्ट मीट 10 मीटन/ दिन किन्तु स्टाटरिंग मात्र 60 पशु/दिन हेतु मान्य

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.5.2011 का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सहमति आदेश संख्या सहमति (वायु) आदेश/ दिनांक 21.9.11 को संलग्न किया जा रहा है। सहमति (वायु) आदेश/ दिनांक 21.9.11 को संलग्न किया जा रहा है। 1, 7, 9, 11 से 15, 16 आपका ध्यान क्रमांक संख्या जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है।

- 1- सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिए गए विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 2- के. बी. ए. क्षमता के डी. जी. सेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से मी. ऊँचाई किया जाय।
- 3- पलू गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 4- वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
- 5- इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 6- आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
- 7- उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।

0
501
26/9/11

19/145

- 9- आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेंट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान देनदारियां) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
- 10- ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।
- 11- आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
- 12- उद्योग का पर्यावरणीय बक्तव्य निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
13. उद्योग द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जनित धुआँ आदि को फैले से रोकने हेतु रेगुलरिंग प्लांट के साथ साथ धुआँ नियंत्रण व्यवस्था प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जायेगा।
14. उद्योग में किसी भी द्वाा में उच्च निस्प्रयोज्य अपशिष्ट एवं ड्रिड्रियों आदि का भण्डारण खोे स्थान में नहीं किया जायेगा।
15. पशुवध्याला में अधिकतम 60 पशु प्रतिदिन के अधिक स्लाटरिंग किसी भी द्वाा में नहीं किया जायेगा।
16. उद्योग में फ़ोअन मीट पैकिंग/प्रोसेसिंग अधिकतम 10 मी० टन/ दिन से अधिक नहीं किया जायेगा।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

सदस्य सचिव

संदर्भ सं०..... / वायु प्रदूषण..... तद दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

- 1- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त..... 8.....)

20/146



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संख्या/सि. 8/सहमति (वायु) आदेश/2011.....लखनऊ, दिनांक 21-9-11

विषय :- सहमति में 0 मारिया भोजन स्नो फूड प्रोड्यूसर्स, मोहनपुर, शाहजहाँपुर रोड, बरेली को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ :- आवेदन संख्या दिनांक 19.5.2011

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र में 0 मारिया भोजन स्नो फूड प्रोड्यूसर्स, मोहनपुर, शाहजहाँपुर रोड, बरेली को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक 19.5.2011 से 31.12.2011 की अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक : संलग्नक

(सहमति शर्तों)

सदस्य सचिव

21/146

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या/सहमति (वायु) आदेश/.....

दिनांक.....

सहमति शर्तें

1. फलू गैस की प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये धिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिये।

[i]	सम्बद्ध धिमनी
[ii]	-
[iii]	-
[iv]	-
[v]	-

2. वायु मंडल में विभिन्न धिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो।

[i]	सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस.पी.एम.)	मिलीग्राम प्रतिनार्मल मी ³ क्यूबिक मीटर
[ii]	मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि)	-
[iii]	हाइड्रोजन, सल्फर ड्राई आक्साइड सल्फेड मिस्ट	-
[iv]	सल्फर डाई आक्साइड	(पी.सी.एम.)
[v]	कार्बन मोनो आक्साइड	-
[vi]	हाइड्रोकार्बन	-
[vii]	अमोनिया	-
[viii]	फ्लोरीन	-
[ix]	मरकैप्टेन	-
[x]		-

3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालको की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।

22/196

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।
6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाए।
8. सहमति आदेश निर्गत किए जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किए जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति केमाह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा 29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाय।
12. इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिए गए आदेश /निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा 21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनार्यें जो वायु प्रदूषण नियन्त्रण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए, जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F0/336

/सी- /वायु प्रदूषण/ ५६/१६/१२

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक 21-3-12

मे०

मरिया फोजेन एगो फूड्स प्रा०लि०

मोहनपुर, शाहजहाँपुर रोड,

बरेली।

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक 04-12-11 का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सशर्त सहमति आदेश संख्या 220 सहमति (वायु) आदेश / 56/12 दिनांक 20-03-2012 को संलग्न किया जा रहा है।
आपका ध्यान क्रमांक संख्या १,७,९,११-१६ जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है।

- 1- सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिए गए विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 2- के बी. ए. क्षमता के डी. जी. सेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से मी. ऊँचाई किया जाय।
- 3- फलू गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 4- वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे वेद. स्क्रालर/विमनी का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
- 5- इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 6- आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
- 7- उचित मात्रा में वक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना 25/196



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संख्या 290 / सहमति (वायु) आदेश / 56/12 लखनऊ, दिनांक 20-03-2012

विषय :- सहमति मै0 को
महिला फोडेन एग्रीग्रेट्स प्रॉडिक्ट, मोहनपुर, सहनहौपुर रोड, बरेली
वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ :- आवेदन संख्या दिनांक 06-12-2011

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै0 महिला फोडेन एग्रीग्रेट्स प्रॉडिक्ट, मोहनपुर, बरेली को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक 20-03-2012 से 01-01-2013 की अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

26/146

14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिए गए आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा 21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित धिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियन्त्रण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए, जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

~~सदस्य सचिव~~

27/146



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या

FO/337

/सी-6/जल/30/20/12

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक 21-3-12

मे० मारिय फ़र्जेन एग्रे फूड्स प्रा०लि०
मोहनपुर, ग़ाज़िपुर रोड,
बरेली।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक दिनांक 04-2-2012

के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रांक 230/लख(जल)/30/12 दिनांक 20-03-2012 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं० १ से ५, १ से ११ पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ज़ेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें, वी-नाच की मापी गई सूचनायें तथा केलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
5. आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष 2011-12 की बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल+वर्तमान-वर्तमान जिम्मेदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाए।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

28/146



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बाड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश प्रपत्र

संख्या 230/सहमति/जल आदेश/30/12 लखनऊ दिनांक 20-03-2012

विषयको
मारिय फोलेन एग्री फूड्स प्रा०लि०, मोहनपुर, बरेली
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रावह
निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या..... 04-22-12 दिनांक

जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मारिय फोलेन एग्री फूड्स प्रा०लि०, मोहनपुर, बरेली से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुयों में/भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक 02-02-2012 से 02-02-2012 दिनांकसेदिनांक..... की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

29/146

रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।

19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अंतिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
20. शुद्धीकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किए जाने वाले दिन तीन महीने में एक बार लिया जाए और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाए। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिये गए निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करे और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन न करे।
23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती हैं, तब तक लागू रहेगी।
24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फ़ैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फ़ैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।
27. फ़ैक्ट्री परिसर से अंतिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियां या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाय।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, पते व टेलीफोन की सूची दी जाए।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

(ग) मुख्य कच्चे माल ब्रैकेट (सहा. क्रम सं. क्र. १९९०) / प्रतिदिन
(चलित समय ३००५९०० प्रस्तावित)

(घ) औद्योगिक उत्प्राह की मात्रा ६०० टि.सी. / दिन

(ङ) प्रयुक्त ईंधन डीजल आवश्यकता अनुसार

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित परिटिका, उत्प्राह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की बसपी तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

घरेलू उत्प्रेषण, जिसकी मात्रा से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मात्राओं के अनुरूप शुद्धिकृत कर निरस्तारित किया जाए।

प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक ३०.०९.२०१२ तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

पशुवधशाला में आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों की स्थापना की जायेगी।

पशुवधशाला से जनित हड्डियों अवशेषों का उपयुक्त वातानुकूलित कण्डों में किया जायेगा।

पशुवध से जनित समस्त रक्त की रिलक्वी की जायेगी तथा रक्त को किसी भी दूर में उठावाह शुद्धिकरण संयंत्र तक नहीं पहुँचने दिया जायेगा।

उद्योग द्वारा समुचित शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की जायेगी तथा जनित उत्प्रेषण को बोर्ड मानकों के अनुरूप ही उपचारित किया जायेगा।

सिंचन से जनित फ्लेस्ट के उपचार हेतु समुचित संख्या में गाइडो एक्सप्लेक्टर मशीनों की स्थापना की जायेगी

तदुपरोक्त हदों के रूप में व्यवहार में उपयोग किया जायेगा

प्रदूषण से जनित शुद्धिकृत उत्प्रेषण क्षेत्र अधिक से अधिक भूमि पर सिंचाई हेतु प्रयोग किया जायेगा।

सिंचन से जनित हार्ड/स्लज का उपचार नमक से नहीं किया जायेगा।

जनित उत्प्रेषण को बोर्ड मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत किये जाने के पश्चात हरित पदार्थ की सिंचाई में उपयोग किया जायेगा।

शिला प्रशसन से सम्बंधित यह सुनिश्चित किया जाये कि पशुवधशाला के जल पास भी आबादी विकसित न हो।

उद्योग परिसर के ३३ प्रतिशत भूभाग पर वृक्षरोपण किया जायेगा। वृक्षरोपण एवं हरित पदार्थ का प्रविधान करते हुए ले-आउट प्लान एक माह में बोर्ड को प्रस्तुत किया जायेगा।

पशुवधशाला में कोई भी प्रतिशित पशु नहीं जायेगा तथा प्रतिशित पशुओं के मांस का प्रयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

पशुवधशाला से जनित निषेध वेस्ट के निस्तारण हेतु समुचित क्षमता एवं दक्षता का आधुनिक रेडरिंग प्लांट की स्थापना की जायेगी। दुर्गंध नियंत्रण हेतु प्रभावी वेटरलवर तथा जाये फिल्टर की स्थापना की जायेगी।

उद्योग द्वारा करेली विस्थापन प्रक्रिया, करेली से उद्योग भवन का मजबूत स्वीकृत कम्पन बोर्ड में जमा करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

सर्वेक्षण ७ से सर्वेक्षण १९ तक सुनिश्चित करेंगे। इन सर्वेक्षण के सम्बन्ध में अनुपालन हेतु बोर्ड के पक्ष में २९ १० लाख की बिल भारतीय जिससे वैधता ०९ एवं हो, एक माह में प्रेषित की जाये।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक ३१-१२-२०१२ तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय


सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं.

/एन. ओ. सी.

तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बोली
2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बोली



ANNEXURE-R5

11-11-12-8
07-05-13

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पिकप भवन, बी ब्लॉक, तृतीय तल, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

488

पंजीकृत

संदर्भ संख्या F-22703/सी-8/जल प्रदूषण/30/38/2013

दिनांक-18/4/13

सेवा में,

मैसर्स मारिया फ़ोजन एण्डो फूडस प्रा०लि०,
मोहनपुर, शाहजहांपुर रोड,
बरेली

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्रोंक

दिनांक-31.12.2012 के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र

का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। सशर्त सहमति आदेश पत्रोंक-

67/सह(जल)/30/38 दिनांक 18-4-13 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

- 1 सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
- 2 जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
- 3 उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें, वी-नाच की मापी गयी सूचनायें तथा केलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
- 4 आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष, 2012-13 की बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल+वर्तमान-वर्तमान जिम्मेदारियों) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
- 5 कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख-रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा मानकों के अनुरूप हो।
- 6 कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
- 7 उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।

आपको उपर अधिनियम, 1977 में वॉछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस संबंध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।

ABE
for na
Rupj
07/5/13
JG
27/5/13

35/146

9. उद्योग द्वारा 1000 भैसा/भैसा प्रतिदिन स्लाटरिंग कर 200 टन/दिन फोजेन मीट से अधिक मात्रा में उत्पादन कार्य नहीं किया जाये।
10. उद्योग द्वारा ईटीपी का संचालन इस प्रकार करें कि आस-पास के पर्यावरण पर जल प्रदूषण/वायु प्रदूषण/मृदा प्रदूषण की सम्भावना नगण्य रहें।
11. दुर्गन्ध नियंत्रण हेतु सघन वृक्षारोपण के साथ-साथ हाउसकीपिंग अच्छी रखी जाये।
12. ड्राइंग रेण्डरिंग प्लांट की स्थापना एक माह में कर सूचित करें।
13. गोबर का निस्तारण बोर्ड द्वारा अनुमन्थ स्थल पर किया जाये अन्यत्र निस्तारित नहीं किया जाये।
14. ईटीपी पर अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें तथा मासिक विद्युत खपत का ब्यौरा प्रेषित करें।
15. औद्योगिक उत्प्रवाह में किसी भी दशा में रक्त का निस्तारण न किया जाये।
16. हरित पट्टिका को और सघन करने के साथ-साथ अधिकाधिक मात्रा में शोधित उत्प्रवाह को सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाये।

इस सहमति आदेश के अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके अधिनियम, 1978 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

सदस्य सचिव

पृष्ठ संख्या-

तद् दिनांक-

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-8

36/146



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पिकप भवन, बी ब्लॉक, तृतीय तल, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या

67 / सी-8 / सहमति जल / 30 / 38 / 2013

लखनऊ, दिनांक-18-11-13

विषय : मैसर्स मारिया फोजन एग्रो फूड्स प्रा०लि०, मोहनपुर, शाहजहांपुर रोड, बरेली को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 के अन्तर्गत उत्प्रेषण निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या-

दिनांक : 31.12.2012

1. जल शक्ति का सीवन में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिससे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मैसर्स मारिया फोजन एग्रो फूड्स प्रा०लि०, मोहनपुर, शाहजहांपुर रोड, बरेली को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुए में/भूमि पर निस्तारित करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित समान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक-परिक्षण अवधि से दिनांक-31.12.2013 की अवधि के लिए मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा-27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

सदस्य सचिव

संलग्नक : अनुलग्नक ।

37/146

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या=...../सहमति जल/आदेश/.....दिनांक.....

सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घण्टे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी
---------------------	--------------------------	-------------------------------

 - (i) घरेलू-- 50 कि०ली०/दिन
 - (ii) औद्योगिक-- 1000 कि०ली०/दिन

(अ) प्रक्रिया जल
ब्लीड धोने
के जल सहित--

(ब) शीतलन जल--
2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्वाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।
3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

20 से० पर 5 दिन की बी०ओ०डी० न हो	30 मिग्रा/ली० से अधिक
कुल निलम्बित ठोस से अधिक न हो	100 मिग्रा०/ली०
4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा सं-173/37/83/19/ए आर ए दिनांक-06.04.83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।
6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होना चाहिए।
7. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिए।
8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम MX15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेन्ट कंक्रीट के बैम्बर होने चाहिए। टर्मिनल, मेनहोल में उत्प्रवाह तथा विश्लेषित के लिए नमूना लेने की व्यवस्था होनी चाहिए।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या-2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या-9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु तक पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये। पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पड़ा जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाये, बन्द पाइपों में जल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाये जाये।
11. इस शर्तों का शेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के संबंध में दिनांक-... या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजे।
13. विस्तृत निर्माण प्लान, रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्ध्य काट व प्लान तथा शर्त 8 व 9 व वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के बोर्ड को भेजे।
14. परिसर में एक होने वाले बरसात, तूफान के जल को भली भाँति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर व अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
15. फैक्ट्री परिसर उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थों का भली भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
 - (i) अकार्बनिक पदार्थ होने पर उसका भूमि मराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये कि पदार्थ की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करे या बरसाती, तूफान के द्वारा बहा न दिया जाए।
 - (ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
 - (iii) जैविक पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।
16. विषैले पदार्थ अनुमति प्राप्त मुहरबन्द कंटेनर में रखा जाये। विषैले पदार्थों का दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फैक्ट्री उत्प्रवाह की उत्पन्न/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित पदार्थ बह जाय और/या उपरोक्त पैरा-3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड तथा औचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाये।
18. प्रार्थी फैक्ट्री परिसर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करे। सभी पाइप, वाल्व, सीवर और ड्रेन परीक्षण करे। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश न करे। शर्तों के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।

19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रकिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिय गये निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन करे।
23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती हैं, तब तक लागू रहेगी।
24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने संबंधी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से संबंधित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।
27. फैक्ट्री परिसर से अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियों या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर(प्रोपराइटरों) के नाम, पदों व टेलीफोन की सूचना दी जाये।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पिकप भवन, बी ब्लॉक, तृतीय तल, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

11/12/13
07-5-13

487

संदर्भ संख्या F-22702 सी-8/वायु/56/23/2013

दिनांक-12/4/13

सेवा में,

मैसर्स मारिया फोजन एगो फूड्स प्रा0लि0,
मोहनपुर, शाहजहाँपुर रोड,
बरेली।

विषय: वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने सहमति आवेदन पत्र दिनांक-31.12.2012 का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सहमति आदेश संख्या.....66.....सहमति (वायु) आदेश/56(23)13 दिनांक-12-4-13 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिया जाता है :-

1. सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. प्लू गैस उत्सर्जन तथा वायु गुणता संबंधी अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था जैसे मल्टी साइक्लोन, चिमनी 30 मीटर आदि का प्राविधान संचालन एवम् रख-रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
6. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
7. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करे, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
8. यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।

AEE
for me
Ranjit
07/5/13

41/146

9. आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति+वर्तमान सम्पत्ति-वर्तमान देनदारियों) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं, जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
11. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में बॉधित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस संबंध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
12. उद्योग को पर्यावरणीय व्यक्तव्य निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
13. उद्योग द्वारा 1000 भैस/भैसा प्रतिदिन स्लाटरिंग कर 200 टन/दिन फ़ोजेन मीट से अधिक मात्रा में उत्पादन कार्य नहीं किया जाये।
14. उद्योग द्वारा समस्त उत्सर्जन श्रोतों एवं परिवेशीय वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या एक माह में राज्य बोर्ड को प्रेषित की जाये।
15. उद्योग से जनित राख का निस्तारण इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि आस-पास के पर्यावरण पर जल/वायु/मृदा प्रदूषण की संभावना नगण्य रहें।
16. उद्योग में दुर्गन्ध के नियंत्रण हेतु उचित क्षमता का वायोफिल्टर की स्थापना कर अनुपालन आख्या राज्य बोर्ड को प्रेषित करें।
17. उद्योग के प्लांट एवं मशीनरी में वृद्धि नहीं की जाये।
18. उद्योग में स्थापित 6 टन/घंटा वाष्पजनन क्षमता के ब्वायलर पर चिमनी की ऊंचाई 30 मी की जाये। ईंधन के रूप में लकड़ी/कोयला/राइस हस्क 10 टन/दिन से अधिक न हो।
19. उद्योग में स्थापित 500 केवीए एवं 75 केवीए के डी.जी. सेटों पर एकास्टिक एनक्लोजर की स्थापना की जाये।

इस सहमति आदेश के अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

सदस्य सचिव

संदर्भ संख्या—

/वायु प्रदूषण/

तद दिनोंक—

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को सूचनाार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-8

42/146



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पिकप भवन, बी ब्लॉक, तृतीय तल, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ


सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या 66 / सी-8 / सहमति (वायु) आदेश / 56 / 23 / 2013 लखनऊ, दिनांक- 18-12-13

विषय : मैसर्स मारिया फोजन एग्री फूड्स प्रा०लि०, मोहनपुर, शाहजहांपुर रोड, बरेली को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21/22 के अन्तर्गत ।

संदर्भ : आवेदन संख्या- दिनांक : 31.12.2012.

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अद्ययवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मैसर्स मारिया फोजन एग्री फूड्स प्रा०लि०, मोहनपुर, शाहजहांपुर रोड, बरेली मैसर्स केयस मेटकेम्स प्रा०लि०, ग्राम विजाहरी, आगरा-अलीगढ़ रोड, सासनी, महाभायानगर को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक-परीक्षण उत्पादन से दिनांक-31.12.2013 की अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (e) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत ।


सदस्य सचिव

अनुलग्नक : संलग्नक ।

(सहमति शर्तें)

43/14-6

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या-...../सहमति(वायु)/आदेश/.....दिनांक.....

सहमति शर्तें

1. प्लू गैस की प्रतिघण्टा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए ।

ब्यायलर से सम्बद्ध चिमनी 30 मी० ऊंची

- (i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो ।

(i)	सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस०पी०एम०)	मिलीग्राम प्रतिनार्मल मीटर क्यूबिक मीटर
(ii)	मैटल डस्ट (आयरन, जिंक, कॉपर आदि)	—
(iii)	हाईड्रोजन, सल्फर ट्राई आक्साइड सल्फेड मिस्ट	—
(iv)	सल्फर डाई आक्साइड	(पी०सी०एम०)
(v)	कार्बन मोनो आक्साइड	—
(vi)	हाइड्रोकार्बन	—
(vii)	अमोनिया	—
(viii)	प्लोरीन	—
(ix)	मरकैप्टेन	—
(x)		—


3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो ।

44/146

मैसर्स भारिया फोजन एगो फूडस प्रा०लि०, मोहनपुर, शाहजहांपुर रोड, बरेली

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवम् अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवम् अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।
6. बिन्दु-4 5 एवम् 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्तस्टैक से हो रह उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवम् इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस संबंध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के माह के भीतर प्रस्तुत किया जाये।
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 के अधिक होता है या होने की संभावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा-29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
12. इकाई का रख-रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किये जाने से संबंध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

14. इकाई ३५ आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदन कर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा-21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदन कर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवम् प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवम् प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हों, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।


सदस्य सचिव

45/146



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी 12वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

संदर्भ संख्या

/सी-8/जल प्रदूषण/30/44/2014

दिनांक-
7-2-14

सेवा में,

मैसर्स मारिया फोजन एग्री फूड्स प्रा० लि०,
मोहनपुर, शाहजहांपुर रोड, (स्लाटर हाउस)
बरेली

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रकिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति ।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक शून्य दिनांक-28.10.2013 के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। शर्त सहमति आदेश संख्या 24/सद(जल)/30/44/14 दिनांक 7-2-14 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

- 1 सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
- 2 जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
- 3 उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें, वी-नाच की मापी गयी सूचनायें तथा केलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
- 4 आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष, 2013-14 की बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अवल+वर्तमान-वर्तमान जिम्मेदारियों) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
- 5 कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख-रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा मानकों के अनुरूप हो। ईटीपी पर अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें तथा मासिक विद्युत खपत का ब्यौरा प्रेषित करें।
- 6 कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
- 7 उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।
- 8 आपको उपकर अधिनियम, 1977 में बाँधित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस संबंध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।


47/14-6

- 9 यह सहमति 1000 भैस/भैसा प्रतिदिन स्लाटरिंग कर 200 टन/दिन फोजेन मीट उत्पादन हेतु विधि मान्य है।
- 10 पशुवधशाला से जनित हाइडस संरक्षण की नमक तकनीक की वैकल्पिक विधि लाइवोफिलाइजेशन अपनाते हुए किया जा सकता है।
- 11 उत्प्रावह को ई.टी.पी. में शुद्धीकृत करने के पश्चात अधिकांश हरित पट्टिका की सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाये। शेष उत्प्रावह ड्रेन में निस्तारण करने हेतु सिंचाई विभाग का अनुमति पत्र प्रस्तुत करें।
- 12 दुर्गन्ध नियंत्रण हेतु सघन वृक्षारोपण के साथ-साथ हाउसकीपिंग अच्छी रखी जाये।
- 13 औद्योगिक उत्प्रावह में किसी भी दशा में रक्त का निस्तारण न किया जाये। रक्त को एकत्र कर ब्लाड मील बनाया जाये।

यह सहमति सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत है। इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके अधिनियम, 1978 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-8

पृष्ठ संख्या--

तद दिनांक--

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त-8

48/146



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टीसी 12वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश पत्र


संदर्भ संख्या 21 /सी-8/सहमति जल/30/14/2014 लखनऊ, दिनांक-7-2-14

विषय : मैसर्स मारिया फोजन एग्री फूड्स प्रा०लि०, (स्लाटर हाउस) मोहनपुर, शाहजहांपुर रोड, बरेली को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 के अन्तर्गत उत्स्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या- दिनांक : 28.10.2013

1. जल राशि का सीजन में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिससे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मैसर्स मारिया फोजन एग्री फूड्स प्रा०लि०, (स्लाटर हाउस) मोहनपुर, शाहजहांपुर रोड, बरेली को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुए में/भूमि पर निस्तारित करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक-01.01.2014 से दिनांक-31.12.2015 की अवधि के लिए मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा-27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

"सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत"


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त-8

संलग्नक : अनुलग्नक ।

49/146

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या-...../सहमति जल/आदेश/.....दिनांक.....

सहमति शर्तें


1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घण्टे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उत्प्रवाह का प्रकार अधिकतम दैनिक निस्तारण भी अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण भी

(i) घरेलू-	50 कि०ली०/दिन	
(ii) औद्योगिक-	1000 कि०ली०/दिन	
(अ) प्रकिया जल ब्लीड घोने के जल सहित-		
(ब) शीतलन जल-		
2. ब्लीड जल सहित प्रकिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्वाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।
3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।
20 से० पर 5 दिन की बी०ओ०डी० न हो कुल निलम्बित ठोस से अधिक न हो
30 मिग्रा/ली० से अधिक
100 मिग्रा०/ली०
4. सभी प्रकियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा सं-173/37/83/19/ए आर ए दिनांक-06.04.83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रकिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।
6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होना चाहिए।
7. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिए।
8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम MX15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेन्ट कंक्रीट के चैम्बर होने चाहिए। टर्मिनल, मेनहोल में उत्प्रवाह तथा विश्लेषित के लिए नमूना लेने की व्यवस्था होनी चाहिए।

50/146

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या-2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या-9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु तक पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये। पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार खिचाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाये, बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाये जाये।
11. इस शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के संबंध में दिनोंक- या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजें।
13. विस्तृत निर्माण स्थल, रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्घ्य काट व प्लान तथा शर्त 8 व 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजें।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात, तूफान के जल को भली भाँति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थों का भली भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
 - (i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
 - (ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
 - (iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।
16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर संभव हो सके तो दूर किया जाये अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाए। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा-3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा ऑचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करे। सभी पाइप, वाल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।

- 4
19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
 20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
 21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिये गये निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करे। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करे और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करे तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
 22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्ण लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन करे।
 23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती हैं, तब तक लागू रहेगी।
 24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
 25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
 26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने संबंधी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से संबंधित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।
 27. फैक्ट्री परिसर से अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोविक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।
 28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर(प्रोपराइटरों) के नाम, पदों व टेलीफोन की सूचना दी जाये।
 29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तों के होते हुए भी उOप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
पृष्ठ-8

52/146



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी 12वीं, विमूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F39439 सी-8/वायु/56/28/2014

दिनांक-

7-9-14

सेवा में,

मैसर्स मारिया फोजन एग्री फूड्स प्रा0लि0,
(स्लाटर हाउस) मोहनपुर, शाहजहांपुर रोड,
बरेली।

विषय: वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने सहमति आवेदन पत्र दिनांक-28.10.2013 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सहमति आदेश संख्या.....21 सहमति (वायु) आदेश/56/28/14 दिनांक-07-9-14 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिया जाता है :-


1. सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. प्लू गैस उत्सर्जन तथा वायु गुणता संबंधी अनुश्रवण आख्या प्रत्येक माह प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था जैसे मल्टी साइकलोन, विमनी 30 मीटर आदि का प्राविधान संचालन एवम् रख-रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
4. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
5. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करे, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
6. आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति+वर्तमान सम्पत्ति-वर्तमान देनदारियों) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं, जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
7. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वॉछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस संबंध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
8. उद्योग को पर्यावरणीय व्यक्तव्य निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

53/146-

9. यह सहमति 1000 भैस/भैसा प्रतिदिन स्लाटरिंग कर 200 टन/दिन फ्रोजेन मीट उत्पादन हेतु विधि मान्य है।
- 10 उद्योग में जनित हड्डियों/रेण्डरेयुल वेस्ट को उद्योग में स्थापित रेण्डरिंग प्लांट द्वारा किया जायेगा। दुर्गन्ध नियंत्रण हेतु वायो फिल्टर का समुचित रख-रखाव किया जाये।

यह सहमति संक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत है। इस सहमति आदेश के अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-8

संदर्भ संख्या-

/वायु प्रदूषण/

तद दिनांक-

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-8



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीरसी 12वीं, किर्पूति खण्ड,
गोगली नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या 21 / सी-8 / सहमति (वायु) आदेश 56/28/2014 लखनऊ, दिनांक-7-2-14


विषय : मैसर्स मारिया फोजन एगो फूड्स प्रा०लि०, (स्लाटर हाउस) मोहनपुर, शाहजहांपुर रोड, बरेलीको वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21/22 के अन्तर्गत ।

संदर्भ : आवेदन संख्या-

दिनांक : 28.10.2013

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मैसर्स मारिया फोजन एगो फूड्स प्रा०लि०, (स्लाटर हाउस) मोहनपुर, शाहजहांपुर रोड, बरेली मैसर्स केयस मेटकेम्स प्रा०लि०, ग्राम विजाहरी, आगरा-अलीगढ़ रोड, सासनी, महामायानगर को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक 01.01.2014 से दिनांक-31.12.2015 की अवधि तक विधि मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत ।

"सक्षम अधिकारी की अनुमति से निगंत"


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
पृष्ठ-8

अनुलग्नक : संलग्नक ।

(सहमति शर्त)

55/146

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या-...../सहमति(वायु)/आदेश/.....दिनांक.....

सहमति शर्तें

1. प्लू गैस की प्रतिघण्टा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए ।

ब्यायलर से सम्बद्ध चिमनी 33 मी० ऊंची

- (i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

-
-
-

2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो ।

(i)	सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस०पी०एम०)	1200	मिलीग्राम प्रतिनार्मल मीटर क्यूबिक मीटर
(ii)	मैटल डस्ट (आयरन, जिंक, कॉपर आदि)	-	-
(iii)	हाईड्रोजन, सल्फर ट्राई आक्साइड सल्फेड मिस्ट	-	-
(iv)	सल्फर डाई आक्साइड	-	(पी०सी०एम०)
(v)	कार्बन मोनो आक्साइड	-	-
(vi)	हाइड्रोकार्बन	-	-
(vii)	अमोनिया	-	-
(viii)	प्लोरीन	-	-
(ix)	मरकैप्टेन	-	-
(x)			

3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो ।


56/146

मैसर्स मारिया फोजन एग्रे फूड्स प्रा०लि०, मोहनपुर, शाहजहापुर रोड, बरेली

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवम् अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवम् अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।
6. बिन्दु-4 5 एवम् 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनोंक के एक माह के भीतर इकाई के समस्तस्टैक से हो रह उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवम् इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस संबंध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के माह के भीतर प्रस्तुत किया जाये।
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 के अधिक होता है या होने की संभावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा-29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
12. इकाई का रख-रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किये जाने से संबंध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

57/146

14. इकाई से आवादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदन कर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता /इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा-21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदन कर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवम् प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुरतिका उपलब्ध करायी जाए।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवम् प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-8

58/146

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण भवन, ई-10सी-10 वी, विन्डु विन्डु,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या

/सी-7/जल/740/परली/2015

पंजीकृत

दिनांक

सेवा में,

मैसर्स मारिया फोजन एगो फूड्स प्रा० लि०,
(स्लाटर हाऊस) मोहनपुर, शाहजहाँपुर रोड,
जनपद-बरेली।

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्स्राह के निस्तारण हेतु सहमति।

गहोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या मारिया/यूपीपीसीवी/वाटर/2015-20 दिनांक 29.09.2015 के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक 05.10.2015 का संदर्भ दें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। सशर्त सहमति आदेश पत्रांक-02/सहमति/2015 दिनांक 28/12/15 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न विन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

- 1 सहमति शर्तों तथा निम्न विन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
- 2 जल सफाई स्रोत के विभिन्न विन्दुओं पर उत्स्राह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्स्राह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
- 3 आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष 2015-16 की बैलेंसशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल+चलान+व्यय) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा दत्त सहमति शुल्क की जांच की जा सके।
- 4 कृपया स्थापित उत्स्राह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभाव से संचालन तथा रख-रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्स्राह का निस्तारण बोर्ड द्वारा मानकों के अनुरूप हो।
- 5 कृपया दोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
- 6 उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।
- 7 आपको उपर अधिनियम, 1977 में वॉकित निदमों का पालन करने और बोर्ड को इस संबंध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
- 8 उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य 30 सितम्बर तक बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 9 यह सहमति 1000 मैस/मैसा की स्लाटरिंग कर 200 मैस टन/दिन कंजन मीट के उत्पादन हेतु मान्य है।
- 10 स्लाटरिंग प्रक्रिया से जनित शुद्धिकृत उत्स्राह को कर्माल स्थिति द्वारा निर्यात में प्रयोग किया जाए। किसी प्रकार का औद्योगिक उत्स्राह परिसर के बाहर किसी भी नाले/सड़क में निस्तारित न किया जाए। एस०टी०पी० स्थापना का प्रस्ताव बोर्ड को एक माह के अन्दर प्रेषित किया जाए।
- 11 उद्योग में निष्प्रयोज्य चर्बी, हड्डी एवं मांस को स्लाटरिंग कर, स्लाटरिंग प्लांट के माध्यम से की जाए।

21

59/46

भारत मातृका फाउण्डेशन एण्ड फूड्स प्रा० लि०,
(स्टार्टर हाउस) मोहनपुर, शाहजहाँपुर रोड,
जनपद-बरेली।

(2)

- 12 उद्योग द्वारा सार्वजनिक न्यायालय में पशुवधशालाओं के सम्बन्धित दायर रिट याचिका संख्या-(सिविल)/309/2003, लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम सुनिश्चन आफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-8 के पत्र संख्या 1845/9-8-14-2 सीएम्/12 दिनांक 30.6.14 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- 13 राज्य स्तरीय रेगुलेटरी समिति "निर्यातान्मुखी इंडीपेंडेंट आधुनिक पशुशाला एवं मांस प्रसंस्करण रेगुलेटरी समिति" से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
- 14 उद्योग द्वारा स्टाटरिंग प्रक्रिया से जनित ब्लड का निस्तारण कौगुलेटर के माध्यम से किया जाए। स्टाटरिंग से जनित खून उत्सवाह शुद्धिकरण संयंत्र में नहीं डाला जाएगा, बल्कि चल्ड मील बनाया जाए।
- 15 उद्योग द्वारा परिसर के अन्दर अच्छी हाउस कीपिंग सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक दिन क्लीनिंग फ्लडर आदि का छिड़काव किया जाए जिससे पब्लिक ह्यूजेन्स की समस्या उत्पन्न न हो।
- 16 उद्योग द्वारा जनित होने वाले शुद्धीकृत उत्सवाह को लैंड द्वारा नान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विस्तारित कसकर विश्लेषण आख्या एक माह में प्रेषित की जाए।
- 17 उद्योग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की समस्त शर्तों का पूर्णतया पालन किया जाए।

इस सहनति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहनति शर्तों के होते हुए भी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके अधिनियम, 1978 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त बर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति ब्रेड आरक्षित रहती है।

रूकन अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

सहायक : उपरोक्तानुसार।


भवदीय,

(आई०एन० त्यागी)
प्रभारी (वृत्त-7)

पृष्ठ संख्या-

तद दिनांक-

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभारी (वृत्त-7)

50/14-6-



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण भवन, एी०सी०-१२ वी, विद्युति संप्ल, ३
गोमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या

०३ /सहमति/जल आदेश/ २०१५ लखनऊ, दिनांक- २८/१२/१५

विषय : मैसर्स भारिया फोजन एगो फूड्स प्रा० लि० (स्लाटर हाऊस) मोहनपुर, शाहजहाँपुर रोड,
जनपद-बरेली को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ की धारा-२५/२६ के
अन्तर्गत उत्पन्न निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या भारिया/यूपीपीसीबी/वाटर/२०१६-२० दिनांक २९.०९.२०१५ प्राप्ति दिनांक :०५.१०.२०१५

1. जल स्रोत का सीवन में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ जिससे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मैसर्स भारिया फोजन एगो फूड्स प्रा० लि० (स्लाटर हाऊस) मोहनपुर, शाहजहाँपुर रोड, जनपद-बरेली को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुए में/भूमि पर निस्तारित करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित समान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक ०१.१.२०१६ से दिनांक ३१.१२.२०२० तक की अवधि के लिए मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ और इसके संशोधित अधिनियम, १९७४ की धारा-२७(२) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।


(आइ०एन० त्यागी)
प्रभासी (वृत्त-७)

अनुलग्नक : संलग्नक ।

61/146

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या-...../सहमति (अ.३)/आदेश/.....दिनांक.....

सहमति शर्तें

- अधिकतम दैनिक उत्स्रवाह और प्रति घण्टे में निस्सारित होने वाले उत्स्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।


उत्स्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्सारण मी	अधिकतम प्रति घंटा निस्सारण मी
(i) घरेलू-	100 कि०ली०/दिन	
(ii) औद्योगिक-	1000 कि०ली०/दिन (काल टेक्नालॉजी से गुमि सिंचाई हेतु)	
(अ) प्रक्रिया जल ब्लीड धोने के जल सहित-		
(ब) शीतलन जल-		
- ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्स्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था को अन्तिम छोर टर्मिनल मेनहोल, उत्स्रवाह सापन तथा उत्स्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्स्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्स्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्स्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्स्रवाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।
- घरेलू उत्स्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्स्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

20 से 5 दिन की बीओडी न हो	30 मिया/ली० से अधिक
कुल निलम्बित ठोस से अधिक न हो	100 मिया०/ली०
- सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्स्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्स्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्स्रवाह सहित औद्योगिक उत्स्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्स्रवाह बोर्ड द्वारा सं-173/37/83/19/ए आर ए दिनांक-06.04.83 में निर्धार्य मानकों के अनुरूप हो।
- अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका भाग उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- घरेलू तथा औद्योगिक उत्स्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होना चाहिए।
- विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल, मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिए।
- शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल, मेनहोल ऊपर से ढके जाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम MX15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेंट कांच के चैम्बर होने चाहिए। टर्मिनल, मेनहोल में उत्स्रवाह तथा विश्लेषित के लिए नमूना लेने की व्यवस्था होनी चाहिए।

मेसर्स मारिगा फौजान एगो फूड्स प्रा० लि०,
(रस्ता नं० ११) मोहनपुर, साहजहाँपुर रोड,
जनपद-बरेली।

19. प्रार्थी को टर्मिनल भेगाडोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के रटाफ या बोर्ड द्वारा अतिरिक्त एजेन्सी के लिए उत्प्रावह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रकृति जनित उत्प्रावह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/सागस-सागस पर विश्लेषण आस्था बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिये गये निर्देशों तत्परतापूर्वक में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करें तो यह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रावह की गुणता व मात्रा, उत्प्रावह निस्तारण की दर, उत्प्रावह का तापमान न बदले या परिवर्तन करें।
23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती हैं, तब तक लागू रहेंगी।
24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुरतिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र संरक्षण के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने संबंधी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से संबंधित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।
27. फैक्ट्री परिसर से अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रावह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोयिक स्थितियों या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, पदों व टेलीफोन की सूचना दी जाये।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तों के होते हुए भी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

सकम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।



आदेश नं० १०/१०
प्रभारी (मृत्त-७)

64/146



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण भवन, टी०सी०-१२ वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या 1466 /सी-७/७७४/वायु प्रदूषण/बरेली/२०१५

दिनांक: २४-१२-१५

सेवा में,

मैसर्स मारिया फोजन एग्रो फूड्स प्रा० लि०,
(स्लाटर हाऊस) मोहनपुर, शाहजहाँपुर रोड,
जनपद-बरेली।

विषय: वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८६ की धारा-२१ के अन्तर्गत सहमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने सहमति आवेदन पत्र संख्या मारिया/यूपीपीसीबी/एअर/२०१६-२० दिनांक २९.०९.२०१५ बोर्ड में प्राप्त दिनांक ०५.१०.२०१५ का शपथोक्त करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सहमति आदेश संख्या ०३/ सहमति (वायु) आदेश / २०१५ दिनांक- २४/१२/१५ को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान गिन्नु बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जाता है--

1. सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. प्लू, गैस उत्सर्जन तथा वायु गुणता संबंधी अनुप्रवण आख्या इस पत्र प्राप्त के एक माह के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था जैसे मल्टी स्टेज एअर क्लीयरिंग सिस्टम का प्राविधान संचालन एवम् रख-रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
4. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
5. उचित मात्रा में युक्ताशोषण करे, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
6. आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेंसशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अधिल सम्पत्ति-वर्तमान सम्पत्ति-वर्तमान देनदारियों) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं, जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जांच की जा सके।
7. आपको उपरकर अधिनियम, १९७७ में बर्णित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस संबंध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
8. उद्योग का पर्यावरणीय वस्तुत्व निर्धारित समय अन्तरे में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
9. यह सहमति १००० बैरा/भैसा की स्लाटरिंग कर २०० मी० टन/दिन फोजन मीट के उत्पादन हेतु मान्य है।
10. उद्योग में निष्प्रयोज्य चर्बी, हड्डी, प्लास्टिक की रेफ्रिजिंग ड्राई रेफ्रिजिंग प्लांट के माध्यम से किया जाए। सुगंध नियंत्रण हेतु बायो फिल्टर का समुचित रख-रखाव किया जाए।
11. उद्योग द्वारा परिसर के अन्दर अथवा हाउस कीपिंग सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक दिन ह्यूमिडिटी धाउडर आदि का फिड्काव किया जाए जिससे पब्लिक न्यूसेन्स की समस्या उत्पन्न न हो।

.....२/-

65/14-6

(2)

- 12 उद्योग द्वारा मा0सर्वोच्च न्यायालय में पशुवधशालाओं के संचालन से संबंधित वायर रिट याचिका संख्या-(सिविल)/309/2003 लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम! यूनियन आफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन, उ0प्र0शासन नगर विकास अनुभाग-8 के पत्र संख्या 1645/9-8-2014-2 सी0एम0/12, दिनांक 30.6.2014 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- 13 राज्य स्तरीय रेगुलेटरी समिति "निर्यातानुखी इटीग्रेटेड आधुनिक वधशाला एवं मांस प्रसंस्करण रेगुलेटरी समिति" से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
- 14 उद्योग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की समस्त शर्तों का पूर्णतया पालन किया जाए।
- 15 6 टी0पी0एव0 ब्याचलर से सम्बद्ध किमनी की मॉनीटरिंग किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से करवाकर मॉनीटरिंग रिपोर्ट एक माह में प्रेषित की जाए।

इस सहमति आदेश के अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भददीय

(संलग्नक त्यागी)
प्रभारी (वृत्त-7)

संदर्भ संख्या-

/वायु प्रदूषण/

तद दिनांक-

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को सूचनाार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

प्रभारी (वृत्त-7)

65/146



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण भवन, टी0सी0-12 की, विभूति अण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ


सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या 03 /सहमति (वायु) आदेश/ 2015 लखनऊ, दिनांक- 28/12/15

विषय: मैसर्स मारिया फोजन एगो फूड्स प्रा0 लि0, (स्लाटर हाऊस), मोहनपुर, शाहजहाँपुर रोड, जनपद-बरेली को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ : आवेदन संख्या- मारिया/यूपीपीसीबी/एअर/2016-20 दिनांक 29.09.2015 प्राप्ति दिनांक: 06.10.2015

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अथयों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मैसर्स मारिया फोजन एगो फूड्स प्रा0 लि0, (स्लाटर हाऊस), मोहनपुर, शाहजहाँपुर रोड, जनपद-बरेली को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक 01.1.2016 से दिनांक 31.12.2020 की अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी गो/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।
सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।


(आइ0एन0 त्यागी)
प्रभारी (वृत्त-7)

अनुलग्नक : संलग्नक 1

(सहमति शर्त)

भैरव मारिया फोजन एंडो फूड्स प्रा० लि०,
(स्लाटर हाऊस) भोहनपुर, शाहजहाँपुर रोड,
जनपद-बरेली।

-2-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या-...../सहमति (वायु)/आदेश/..... दिनांक.....

सहमति शर्तें

1. प्लू गैस की प्रतिघण्टा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये विमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।

(i) 6 टी०पी०एच ब्यापलर से सम्यक् विमनी 33 मीटर

(ii) --

(iii) --

(iv) --

2. वायु मण्डल में विभिन्न विमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो।

(i)	सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एस०पी०एम०)	800 मिलीग्राम प्रतिनॉर्मल मीटर क्यूबिक मीटर
(ii)	मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कॉपर आदि)	--
(iii)	हाइड्रोजन, सल्फर ट्राई आक्साइड सल्फेड मिस्ट	--
(iv)	सल्फर डाई आक्साइड	(पी०पी०एम०)
(v)	कार्बन मोनो आक्साइड	--
(vi)	हाइड्रोकार्बन	--
(vii)	अमोनिया	--
(viii)	फ्लोरीन	--
(ix)	मरकैप्टेन	--
(xii)		--


3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।

68/14-6

मैसर्स मारिका फौजम एपी म्यूड्स प्रा० लि०,
(रजिस्टर हा०३३) मोहनपुर, शाहजहाँपुर रोड,
जनपद-बरेली।

- 3 -

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवम् अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवम् अनुरूप न पाये गये हों) किया जा सकता है।
6. बिन्दु-4ए 5 एवम् 7 में इगिरा नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनोंक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रउ उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवम् इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस संबंध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाये।
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अयथकों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 के अधिक होता है या होने की संभावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा-29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित हैं, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
12. इकाई का रख-रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किये जाने से संबंध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।



69/14-6

मैसर्स भारिया फौजिन एग्री फूड्स प्रा० लि०,
(स्टाटर हाऊस) मोहनपुर, राहजहाँपुर रोड,
जनपद-बरेली।

-4-

14. इकाई से आवादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा घटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन सतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा-21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवम् प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
19. आवेदनकर्ता को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवम् प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संभालन तथा अन्य सूचनाएँ जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित हों, उपलब्ध करानी होंगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग में डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सर्वां शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, यह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

सहमति अधिकारी की अनुमति से निर्गत।


(अनंद त्यागी)
प्रभारी (वृत्त-7)

70/146



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या:

117018
सी-7/ जल-740/18

दिनांक: 06-3-18

सेवा में,

मै० मारिया फोजन फूड्स प्रा० लि०
ग्राम-मोहनपुर तिरिया,
जनपद-बरेली।

विषय:- मै० मारिया फोजन फूड्स प्रा० लि० ग्राम-मोहनपुर, तिरिया, बरेली का नाम परिवर्तित कर मै० रहबर फूड इन्डस्ट्रीज प्रा० लि० किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 11.01.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India द्वारा जारी Certificate of Incorporation के अनुक्रम में उद्योग का नाम मै० मारिया फोजन फूड्स प्रा० लि० से मै० रहबर फूड इन्डस्ट्रीज प्रा० लि० परिवर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र बरेली के पत्र सं० 1826-33/जि०उ०ए०उ०प्रा०के०/बरेली/एमएसएमई/2017-18 दिनांक 13.10.2017 द्वारा बोर्ड को सूचित किया गया है कि Ministry of Corporate Affairs, Kanpur, Uttar Pradesh द्वारा उद्योग का नाम मै० मारिया फोजन एग्री फूड्स प्रा० लि० ग्राम-मोहनपुर, तिरिया, बरेली से परिवर्तित कर मै० रहबर फूड इन्डस्ट्रीज प्रा० लि० किये जाने हेतु Certificate of Incorporation जारी किया गया है जिसमें Corporate Identification Number (CIN):U15139UP2007PTC033962 इंगित है तथा जो कि दिनांक 03.10.2017 से प्रभावी है।

उपरोक्तानुसार बोर्ड के पत्र सं०-एफ71467/सी-7/जल/740/बरेली/2015 दिनांक 28.12.2015 द्वारा जल अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत 31.12.2020 तक विधि मान्य एवं पत्र सं० एफ71466/सी-7/वायु प्रदूषण/बरेली/2015 दिनांक 28.12.2015 द्वारा वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत 31.12.2020 तक विधि मान्य प्रदान सहमति जल एवं सहमति वायु में उद्योग का नाम मै० मारिया फोजन एग्री फूड्स प्रा० लि० ग्राम-मोहनपुर, तिरिया, बरेली के स्थान पर मै० रहबर फूड इन्डस्ट्रीज प्रा० लि० पढ़ा जाए। अन्य समस्त शर्तें यथावत् लागू होंगी।

भवदीय

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सदस्य सचिव

71/146



Errand Enterprises Private Limited
Correspondence Address & Regd. Office :
1206, Pearls Omaxe, Plot No. B-1,
Netaji Subhash Place,
Pitampura, Delhi-110034 India
Telephone : +91-11-2735 1017, +91-11-4183 3264
Telefax : +91-11-4183 3264
CIN No. U74900DL2015PTC283463

To Whomsoever it May Concern

Date: 27 December, 2019

Certificate No. : 45/CAL/EEPL/18-19

This is to bring to your kind notice that we M/s Errand Enterprises Pvt Ltd -Authorized channel sales partner for Xylem WTW Online Instrument having our office at 12th floor Pearls Omaxe building Netaji Subhash Place Pitampura Delhi-110034 wish to confirm that we have installed & commissioned and done Calibration of Online Real Time Water Quality Monitoring System of Xylem WTW make at M/S Rehber Food Industries (P) Ltd., Shahajahanpur road, Bareilly,(UP).

The System measures online BOD, COD, TSS, PH & Flow real time.

The System has been calibrated on 3rd December, 2018 at M/S Rehber Food Industries Pvt. Ltd. Shahajahanpur road, Bareilly,(UP), by our service engineer at site.

The system was calibrated based on sample testing of Outlet Effluent from as per Laboratory Result sampling dated 10-11-2019 by M/s Advanced Environmental testing and Research lab P. Ltd., Test Report Dated 20-11-19, Report No. AETRL/2017/CHEM/W80-68.

System is showing actual results after calibration as per both reports data.

S.No	Parameter Name (Final Outlet)	# Raw Value In System during sampling of effluent	Testing Results	Final Values in Online System after Calibration
1.	COD	#260	125 mg/l	128 mg/l
2.	BOD	#260	20 mg/l	20 mg/l
3.	TSS	#180	36 mg/l	36 mg/l
4.	PH	7.75	7.75	7.75
5.	Flow	As per Actual V-Notch Level Chart		

The above information furnished is true to the best of our knowledge.

Thanks and Regards

For,

Errand Enterprises Pvt Ltd



72/14-6



REHBER FOOD INDUSTRIES PVT. LTD.

S.NO	MONTH	WATER CONSUMPTION KL		TOTAL WATER CONSUMPTION KL	NO. OF ANIMAL SLAUGHTER
		BOREWELL-1	BOREWELL-2		
1	OCTOBER'19	15853.89	264.38	16118.27	24407
2	NOVEMBER'19	14419.73	301.44	14721.17	21764
3	DECEMBER'19	16527.34	72.23	16599.57	25506

OR

73/146



कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
AGRICULTURAL AND PROCESSED FOOD PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF COMMERCE, GOVT. OF INDIA)

एकीकृत ऐबटॉयर-सह-मीट प्रोसेसिंग प्लांट पंजीकरण प्रमाण-पत्र
CERTIFICATE OF REGISTRATION INTEGRATED ABATTOIR - CUM - MEAT PROCESSING PLANT

यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित एकीकृत ऐबटॉयर-सह-मीट प्रोसेसिंग प्लांट एपीडा द्वारा स्थापित मीट प्लांट पंजीकरण समिति द्वारा निरीक्षण किया गया है और निर्यात के लिए आवश्यक स्वच्छता और सेनिटैरी सुविधाएं उपलब्ध पाई गयी हैं। हालांकि ऐबटॉयर/प्लांट को समय-समय पर लागू सभी संबंधित नियमों/ विनियमों/ आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।
This is to certify that the integrated abattoir - cum - meat processing plant described below has been inspected by a Meat Plant Registration Committee constituted by APEDA and the existing facilities are considered adequate to meet the hygienic and sanitary conditions required to export. However, the operation of the Abattoir/plant will have to be in accordance with all statutory requirements/regulations in force.

- निर्यातक/आवेदक का नाम / Name of the Exporter/Applicant : REHBER FOOD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
NH-24, VILLAGE MOHANPUR, NEAR R.T.O OFFICE , SHAHJAHANPUR, ROAD BAREILLY UTTAR PRADESH - 243123
- पंजीकरण संख्या / Registration No. : APEDA/151
- एकीकृत ऐबटॉयर-सह-मीट प्रोसेसिंग प्लांट का नाम और स्थान / Name & Location of the integrated abattoir - cum - meat processing plant : REHBER FOOD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
NH-24, VILLAGE MOHANPUR, NEAR R.T.O OFFICE , SHAHJAHANPUR, ROAD BAREILLY UTTAR PRADESH - 243123
- प्रतिदिन प्रोसेसिंग क्षमता / Processing Capacity per day
 - चिलिंग रूम / Chilling Rooms : 266.00 MT
 - ब्लास्ट फ्रीजर / Blast Freezer : 122.40 MT
 - प्लेट फ्रीजर / Plate Freezer : 72.00 MT
 - स्लाउटरींग / Slaughtering
 - भैंस / Buffalo : 1000.00 PER DAY
 - भेड़ / Sheep : NIL
- निर्यात हेतु अधिकृत मीट और मीट उत्पाद / Meat & Meat Products authorized for exports : BONELESS BUFFALO CHILLED/FROZEN MEAT- 141.00 MT PER DAY
BUFFALO OFFALS CHILLED/FROZEN - 49.00 MT PER DAY
प्रमाण-पत्र की मान्यता तिथि (तिथि/माह/वर्ष) / Certificate Valid upto (dd/mm/yyyy) : 01/08/2019 To 28/06/2020

'स्टैंड अलोन स्लाउटरी हाउस' प्लांट द्वारा समय-समय पर लागू सभी संबंधित नियमों/ विनियमों/ आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाएगा। कृपया पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु दिनांक 02/11/2016 को जारी परिशिष्ट का संदर्भ ग्रहण करें।
The operation of the 'Stand Alone Slaughter House/plant will have to be in accordance with all statutory requirements/regulations in force. Please refer to addendum dated 02/11/2016 for grant of registration certificate.

स्थान / Place: New Delhi

एपीडा अध्यक्ष की ओर से
For and on behalf of Chairman APEDA



प्राधिकृत हस्ताक्षरी
Digitally signed by TARUN BAJAJ
Date: 2019.08.01 17:57:21 +05:30
Reason: MNU
Location: NEW DELHI

तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3, सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग (खैस गांव के सामने) नई दिल्ली-110016
3rd Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg (Opp. Asiad village) New Delhi-110016
फोन / Phone : 26516283, 26514572, 26513219 फैक्स / Fax : 26526186, ई-मेल / E-mail : gmnpd@apeda.gov.in

74/146



Department of Food Safety & Drug Administration
(Govt. of Uttar Pradesh)
Licensing and Registration System V 3.0



Home License/Registration Renewal Modification Duplicate / Surrender / Transfer Food Concerns Logout
Logged In as shakal qureshi HelpDesk My Profile || Reset Password

[View / Print Covering Letter](#) || [View / Print Validity Annexure](#) || [View/Print Annexure](#) || [View/Print Condition of license](#)

भारत सरकार
Government of India
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
Food Safety and Standards Authority of India



खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अर्धीन अनुमति
License Under Food Safety and Standards Act, 2006

अनुमति संख्या / License Number : 100130S1000677

- | | |
|---|---|
| 1. अनुमतिधारी के पंजीकृत कार्यालय का नाम और पता
Name & Registered Office Address of Licensee | REMBER FOOD INDUSTRIES PVT. LTD,
B-57, 2nd FLOOR, BUTLER PLAZA, CIVIL LINES, Bareilly(Uttar Pradesh), -243001 |
| 2. प्राधिकृत पतलरी का पता
Address of Authorized Premises | REMBER FOOD INDUSTRIES PVT. LTD, NH-34, VILLAGE MOHANPUR, NEAR R.T.O OFFICE
SHAJAHANPUR ROAD, BAREILLY-243123, U.P. Bareilly(Uttar Pradesh), -243123 |
| 3. कारोबार का प्रकार / Kind of Business | Manufacture |
| 4. डेलरी कारोबार विवरण हेतु / Detry Business Details | N.A. |
| 5. अनुमति का वर्ग / Category of Licensee | Central |

यह अनुमति खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अर्धीन अनुमति की गई और यह अधिनियम के उपबंधों के अधीन ही जिनका अनुमतिधारी द्वारा अवकाय पालन किया जाना चाहिए / This license is granted under and is subject to the provisions of FSS Act, 2006 all of which must be complied with by the licensee.

स्थान / Place : Delhi Regional Office - I
दिनांक / Date : 03/07/2019

स.स. और मा. अ.पि., 2006 के अर्धीन केंद्रीय अनुमति प्राधिकरण
Central Licensing Authority under FSSA, 2006

वैधता और नवीनीकरण / Validation And Renewal

License Issue / Renewal Date	Period of validity	License Fee Paid	Items of Food products with capacities authorized to Manufacture/ Re-pack/ Re-label	Installed handling Capacity	Signature Of Designated Officer
24/06/2018	23/06/2024	Rs. 7500 (Modification)	Please refer to annexure.	Please refer to annexure.	
24/06/2014	23/06/2019	Rs. 39100 (Renewal)	Please refer to annexure.	Please refer to annexure.	

Disclaimer: This License is only to commence or carry on food businesses and not for any other purpose.

Best viewed with IE 8 or above with 1024x768 (or higher) resolution

Copyright © 2014, FSSAI. All rights reserved

75/146

भारत सरकार
Government of India
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
Food Safety and Standards Authority of India



खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन अनुज्ञप्ति
License under Food Safety and Standards Act, 2006

अनुज्ञप्ति संख्या / License Number : 10013051000677

Kind of Business : Manufacturer

Items of food products with installed capacities authorized to Manufacture/ Re-pack/Re-label

Slaughter House

Sl.No	Animal Type	Animal Description	Quantity(Per Day)
1	Large Animal	Buffalo	1000

Meat Processing Unit

SLNo.	Product Description	Quantity	Unit	Per day/Per annum	Kind of Business
1	08.2.3 - Frozen processed meat and poultry products in whole pieces or cuts - FROZEN PROCESSED BUFFALO MEAT	150000	Kgs	Per Day	Manufacturer

स्थान / Place :
दिनांक / Date :

Delhi Regional Office - I
05/07/2019

Stamp and signature of Designated Officer

खा. सं. और मा. अधि., 2006 के अधीन केंद्रीय अनुज्ञापन अधिकारी
Central Licensing Authority under FSSA, 2006

Close

75/146

Inspection report of M/S Rehber Food Industry Pvt. Ltd. (formerly M/s Mariya Frozen Agro Foods Pvt. Ltd.) Village Mohanpur Thiria, Bareilly

1.	Name & Address of Industry	M/S Rehber food industry Pvt. Ltd. (Old Name M/s Mariya Frozen Agro Foods Pvt. Ltd.) Village Mohanpur Thiria, Bareilly
2.	Date of Inspection	14.11.2019, 11.01.2020
3.	Nature of Industry	Slaughter House & Meat Processing
4.	Category of Industry (L/M/S)	Large
5.	Operational Status	Operational
6.	Product & Capacity (Ton/Day or KL/Day)	Frozen Boneless Meat -200 M.T.D.
7.	By Product	Poultry Feed Suppliment-33T.P.D. Bone Tallow-40 T.P.D. Blood Meal-2.5 T.P.D.
8.	Status of Water Consent	Water Consent: Valid up to 31.12.2020
9.	Status of Air Consent	Air Consent: Valid up to 31.12.2020
10.	Source of water.	Ground water (02 no. Submersible pump 15 HP & 03 HP)
11.	Status of CGWA Permission	Yes
12.	Utilization of Water	Industrial Process, Floor washing / Boiler/cooling etc.- 900 KLD & Domestic-50 KLD
13.	Details of Effluent Treatment Plant (ETP) Installed	Effluent Treatment Plant (ETP) installed and comprises of following units- Bar Screen, Collection Tank, Solid Separator, Oil & Fat removal, Equalization Tank with Diffused Aeration system, Primary Clarifier, Aeration tank-I, Secondary Clarifier-I, Aeration tank-II, Secondary Clarifier-II, Clear water tank, Multi grade filter, Activated Carbon Filter, Sludge Drying Beds, Storage Lagoon. During inspection all above units was found under working position properly. During inspections Sample of treated effluent was collected and tested in H.O. & R.O. Laboratory as per analysis report it was found as per norms, Annexure-I & II.
14.	Effluent Quantity (KL/Day) Max.	Industrial: 850 KLD Domestic: 40 KLD
15.	Fixation of electromagnetic flow meters & Discharge point	Electromagnetic flow meter installed at outlet of E.T.P. for measurement of Effluent quantity.
16.	Quality of Treated Effluent	20.8 M ³ /Hour, 17.7 M ³ /Hour
17.	By Pass Arrangement if any	No bypass arrangement was found.
18.	Point of Discharge & Final Discharge	Treated effluent used in carnal technology for irrigation, no treated effluent discharge in any stream.
19.	STP Status for domestic effluent	STP under Commissioning.

[Signature]

[Signature]

20.	Whether unit has taken permission from CGWA for groundwater extraction	Unit has valid CGWA N.O.C. upto 24.12.2021, Annexure-III
21.	Whether unit is being assessed for Water Cess	Not applicable after GST Act.
22.	Whether water meter installed on tube well	Yes, Electromagnetic water meter installed on all tube well.
23.	Source of Air Pollution	i. D.G Set 5 No. having capacity 500x3 KVA and 1010x2 K.V.A. All D.G sets have acoustic enclosure. ii. 06 TPH Boiler
24.	Details of Fuel Used	i. For D.G Set- H.S.D. ii. For Boiler- Wood/ Rice Husk-10 TPD
25.	Details of A.P.C.S. & Stack Height	i. 500x3 KVA and 1010x2 K.V.A has approx. 4.50meter, 6.5 meter independent stack height from nearby roof level. ii. For Boiler Multi cyclone Dust collector attached with 30 mtr. stack height form ground level.
26.	Details of D.G. Set (Whether installed acoustic enclosure)	All D.G set (3x500 K.V.A. & 2x1010 K.V.A.) installed with acoustic enclosure.
27.	Status of Hazardous Waste Authorization	Applied
	Any other specific remarks	Industry was found in operation during inspection Treated effluent was being used for irrigation in carnal technology. Unit has valid certificate from APEDA. Unit has own laboratory for waste water effluent testing. Unit has calibration certificate of online effluent monitoring system. Unit has Bio filter for control of smell from rendering plant. Unit has arrangement of fogging machine for control of fly and foul smell. During inspection stack monitoring of boiler was carried out on dated 11.01.2020 by the Regional office laboratory team as per analysis report quantity of emission was found as per board norms, report enclosed as Annexure-IV
	Name, Designation and signature of Inspecting Officer	Shashi Vindkar, A.E.E., U.P.P.C.B, R.O. Bareilly  Sunil Singh Chauhan, S.A., U.P.P.C.B., R.O. Bareilly 

Enclose:-As above


Regional Officer

78/146



TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

S.No.

Certificate No. TC-3579

Dt. of compilation of test report 21/11/19

Dt./period of testing 15/11/19 to 21/11/19

1. इन्डस्ट्री/एस.टी.पी. का नाम एवं पता / Name and Address of Industry/S.T.P. M/s. Rehbar Food Products Industries Pvt Ltd, Mahanagar, Bareilly
2. नमूने का प्रकार (घरे/कम्पोजिट/इन्टिग्रेटेड)/Type of Sample (Grab/Composite/Integrated) Grab
3. नमूने एकत्र करने वाले व्यक्ति का विवरण/Sample Collected by Shashi Vardhan A.P.B.
4. एकत्रित नमूने का रंग एवं गंध/Colour & Odour: Light Pale
5. एकत्रित नमूने की मात्रा एवं पैकिंग/Quantity & Packing (Plastic Jerican/Any Other) 24
6. नमूने एकत्रण की तिथि/Date of Sample Collection: 14-11-19
7. विश्लेषण हेतु आवेदनकर्ता/Analysis Indented by: R.D. Bawariya
8. प्रयोगशाला में नमूना प्राप्ति की तिथि/Date of Sample receipt in Laboratory: 15.11.19
9. विश्लेषण विधि/Method of analysis APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017, IS 3025(Part-44) : For BOD

क्रम सं० / S.N o.	पैरामीटर / Parameter	इकाई /Unit	Results	
			नमूनों का कोड नं० / एकत्रण स्थल Code No./Sampling Point	Detection Range
			U.P.P.C.B. L.I. No. W.P. 784/19 <u>Final Outlet of E.T.O.</u>	
1	पी. एच. /pH, 4500 H ⁺ B Electrometric Method		7.94	02-12
2	सस्पेंडेड सॉलिड/Suspended Solids, 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105°C	मिग्रा./ली. / mg/l	42.0	10-20000 mg/l
3	डिस्सॉल्वेड सॉलिड/Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C	मिग्रा./ली. / mg/l	/	10- 50000 mg/l
4	टोटल सॉलिड/Total Solids, 2540 B Total Solids dried at 103-105 °C	मिग्रा./ली. / mg/l	/	10-50000 mg/l
5	बी.ओ.डी./BOD, 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio chemical Oxygen Demand	मिग्रा./ली. / mg/l	22.0	1.0 -50000 mg/l
6	सी.ओ.डी./COD, 5220 B Open Reflux Method	मिग्रा./ली. / mg/l	168.0	5.0 -100000 mg/l
7	सल्फेट/Sulphate as SO ₄ ⁻² , 4500 -SO ₄ ⁻² E Turbidimetric Method	मिग्रा./ली. / mg/l		01-1000 mg/l
8	फॉस्फेट-पी/Phosphate as P, 4500 P D Stannous Chloride Method	मिग्रा./ली. / mg/l		0.03-100 mg/l
9	अमोनिया/Ammonia, 4500 NH ₃ -F Phenate Method	मिग्रा./ली. / mg/l		0.1-50 mg/l
10	नाइट्रेट/Nitrate, 4500- NO ₃ ⁻ B, Ultraviolet Spectrophotometric Method	मिग्रा./ली. / mg/l		0.05-100 mg/l
11	सोडियम/Sodium Na, 3500-Na B Flame Emission Photometric Method	मिग्रा./ली. / mg/l		1.0- 200mg/l
12	पोटैशियम/Potassium K, 3500-K B Flame Emission Photometric Method	मिग्रा./ली. / mg/l		1.0- 100mg/l
13	क्लोराइड/Chloride as Cl ⁻ , 4500- Cl ⁻ B Argentometric Method	मिग्रा./ली. / mg/l		1.0-5000mg/l
14	फ्लोराइड/Fluoride as F ⁻ , 4500- F ⁻ D SPADNS Method	मिग्रा./ली. / mg/l		0.1-100 mg/l
15	हेक्सावैलेंट क्रोमियम/Hexavalent Chromium (Cr ⁺⁶), 3500-Cr B Colorimetric Method	मिग्रा./ली. / mg/l		0.1-100mg/l
16	टोटल क्रोमियम/Total Chromium (T.Cr), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	मिग्रा./ली. / mg/l		0.1-1000mg/l
17	कॉपर/Copper (Cu), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	मिग्रा./ली. / mg/l		0.01-1000mg/l
18	कैडमियम /Cadmium (Cd), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	मिग्रा./ली. / mg/l		0.01-1000mg/l
19	लेड/Lead (Pb), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	मिग्रा./ली. / mg/l		0.02-1000mg/l
20	आयरन/Iron (Fe), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	मिग्रा./ली. / mg/l		0.05-1000mg/l
21	निकेल /Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	मिग्रा./ली. / mg/l		0.02-1000mg/l
22	जिंक/Zinc (Zn), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	मिग्रा./ली. / mg/l		0.01-1000mg/l
23	टोटल कोलीफॉर्म/Total Coliform, 9221 B Multiple Tube Fermentation Technique	एमपीएन/100 मि० सी.० / MPN/100 ml		<1.8 MPN/100 ml & above
24	फीकल कोलीफॉर्म/Fecal Coliform, 9221 E Multiple Tube Fermentation Technique	एमपीएन/100 मि० सी.० / MPN/100 ml		<1.8 MPN/100 ml & above

Reference: (1) General Standards for Discharge of Environmental Pollutants are as per Part -A : Effluents (Schedule - VI) The Environment (Protection) Rules, 1986 Source: <http://cepb.nic.in/GeneralStandards.pdf> ;
(2) Besides these standards, refer EPA standards for specific industry Source : cepb.nic.in/Industry_Specific_Standards.php

परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर / Analysed by: A.K. Palle 21/11/19

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory: A.K. Palle 21/11/19

डा० बी० बी० अग्रवाल
मुख्य पर्यावरण उपायुक्त

Note: 1. The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory.



Phone & Fax: 0581-2585299
Email-robareilly@uppcb.com

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD
Regional Office: 1219/1 E-Block, Rajendra Nagar,
Bareilly-243122

ANALYSIS REPORT OF EFFLUENT SAMPLE

1.	Name & Address of Industry / Drain	M/S Rehbar Food Industries Pvt Ltd (Formerly- M/S Marya Frozen Agro foods Pvt Ltd Vill. Mohanpur, Thiriya, Tehsil Sadar, Bareilly.	
2.	Date of Sample Collection	14 /11/2019	
3.	Details of Sampling Point	Final outlet of ETP	
4.	Sample Collected By	Shashi Vindkar(AEE), S.S Chauhan(S.A)	
5.	Date of Analysis Completion	15 /11/2019	
<u>PARAMETER ANALYSED</u>		<u>ANALYSIS RESULT</u>	<u>STANDARDS</u>
1	Oil & Grease	8.0	10.0

Note: All values are in mg/l.


Scientific Assistant


Regional Officer

80/14-6

Phone & Fax: 0581-2585299
Email-robareilly@uppcb.com




U. P. POLLUTION CONTROL BOARD
Regional Office: 1219/1 E-Block, Rajendra Nagar,
Bareilly-243122

ANALYSIS REPORT OF EFFLUENT SAMPLE

1.	Name & Address of Industry / Drain	M/S Rehbar Food Industries Pvt Ltd (Formerly- M/S Marya Frozen Agro foods Pvt Ltd Vill. Mohanpur, Thiriyia, Tehsil Sadar, Bareilly.	
2.	Date of Sample Collection	11 /01/2020	
3.	Details of Sampling Point	Final outlet of ETP	
4.	Sample Collected By	Shashi Vindkar(AEE),S.S Chauhan(S.A)	
5.	Date of Analysis Completion	16/01/2020	
<u>PARAMETER ANALYSED</u>		<u>ANALYSIS RESULT</u>	<u>STANDARDS</u>
1.	Colour	Colourless	Colour
2.	Odour	Odourless	Odour
3.	pH	7.6	6.5-8.5
5.	Suspended Solids	45.0	50.0
6.	Total Dissolved Solid	832.0	1800.0
7.	BOD	25.00	30.0
8.	COD	86.0	250.0
9.	Oil & Grease	7.0	10.0

Note: All values are in mg/l except pH or stated otherwise.


Scientific Assistant


Regional Officer

81/146



सत्यमेव जयते.

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास

और गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण

Government of India

Ministry of Jal Shakti

Department of Water Resources,

River Development & Ganga Rejuvenation

Central Ground Water Authority

ANNEXURE-III

NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) FOR GROUND WATER ABSTRACTION

Project Name:	M/s Rehber Food Industries Pvt. Ltd.		
Project Address:	Village Mohanpur, Block Bithiri Chainpur, District Bareilly, Uttar Pradesh		
Village:	Mohanpur Urf Ram Nager	Block:	Bithiri Chainpur
District:	Bareilly	State:	Uttar Pradesh
Pin Code:	243123		
Communication Address:	M/s Rehber Food Industries Pvt. Ltd. (Formerly Known As M/s Marya Frozen Agro Foods Pvt. Ltd), Village Mohanpur, NH-24 Lucknow Road, Block Bithiri Chainpur, District Bareilly, Uttar Pradesh - 243123		
Address of CGWB Regional Office :	Regional Director, Central Ground Water Board, Northern Region, Bhujal Bhavan, Sector - B, Sitapur Road Yojna, Ram Ram Bank Chauraha, Lucknow, Uttar Pradesh - 226021		

1. NOC No.:	CGWA/NOC/IND/REN/1/2019/5575																																		
2. Application No.:	21-4/1152/UP/IND/2016	3. Category:	Industry																																
4. Project Status:	Existing Project	5. NOC Type:	1st Renewal																																
6. Valid from:	26/12/2018	7. Valid up to:	24/12/2021																																
8. Ground Water Abstraction Permitted:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fresh Water</th> <th colspan="2">Saline Water</th> <th colspan="2">Dewatering</th> <th colspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>m³/day</th> <th>m³/year</th> <th>m³/day</th> <th>m³/year</th> <th>m³/day</th> <th>m³/year</th> <th>m³/day</th> <th>m³/year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>950.00</td> <td>285000.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>950.00</td> <td>285000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Fresh Water		Saline Water		Dewatering		Total		m ³ /day	m ³ /year	950.00	285000.00					950.00	285000.00														
Fresh Water		Saline Water		Dewatering		Total																													
m ³ /day	m ³ /year	m ³ /day	m ³ /year	m ³ /day	m ³ /year	m ³ /day	m ³ /year																												
950.00	285000.00					950.00	285000.00																												
9. Details of ground water abstraction /Dewatering structures:	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Abstraction Structure*</th> <th colspan="5">Total Existing No. :2</th> <th colspan="5">Total Proposed No. :0</th> </tr> <tr> <th>DW</th> <th>DCB</th> <th>BW</th> <th>TW</th> <th>MP</th> <th>DW</th> <th>DCB</th> <th>BW</th> <th>TW</th> <th>MP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			Abstraction Structure*	Total Existing No. :2					Total Proposed No. :0					DW	DCB	BW	TW	MP	DW	DCB	BW	TW	MP		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Abstraction Structure*	Total Existing No. :2					Total Proposed No. :0																													
	DW	DCB	BW	TW	MP	DW	DCB	BW	TW	MP																									
	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0																									
*DW- Dug Well; DCB-Dug-cum-Bore Well; BW-Bore Well; TW-Tube-Well; MP-Mine Pit																																			
10. Quantum of ground water recharge/harvesting (m ³ /year):	90000.00																																		
11. Number of Piezometers (Observation wells) to be constructed/ monitored & Monitoring mechanism.	No. of Piezometers	Monitoring Mechanism																																	
		Manual	DWLR**																																
**DWLR - Digital Water Level Recorder	2	0	1																																
		DWLR With Telemetry	1																																

(Compliance Conditions given overleaf)

Digitally signed by

NANDAKUMARAN P

Date: 2019.09.05 10:41:28 +05'30'

Member (CGWA)

18/11, Jamnagar House, Mansingh Road, New Delhi-110011

Phone: (011) 23383561 Fax: 23382051, 23386743

Website: cgwa-noc.gov.in

82/146

स्वच्छ सुरक्षित जल - खुशहाल कल

CONSERVE WATER - SAVE LIFE

Validity of this NOC shall be subject to compliance of the following mandatory conditions:

1. No additional ground water abstraction and/or de-watering structures shall be constructed for this purpose without prior approval of the Central Ground Water Authority (CGWA).
2. The proponent shall seek prior permission from CGWA for any increase in quantum of groundwater abstraction (more than that permitted in NOC for specific period).
3. All ground water abstraction/ de-watering structures shall be fitted/continue to be fitted with digital water flow meters by the firm at its own cost. Daily ground water abstraction data shall be monitored / continue to be monitored (in case of renewal) by the firm and recorded in a log book. Details of month-wise ground water abstraction shall be submitted to the Regional Director, CGWB on annual basis.
4. In case the ground water abstraction is more than 10 m³/day, monthly water level monitoring data shall be maintained and submitted annually to the Regional Office of CGWB. Wherever groundwater withdrawal is more than 500 m³/day, the firm shall install telemetry system in one of the piezometers and share USER ID and password of the telemetry system with the Regional Director, CGWB.
5. In case ground water abstraction is more than 10 m³/day, ground water quality shall be monitored once in a year (during pre- monsoon period) and the report submitted to the Regional Director, CGWB.
6. Ground water augmentation/harvesting measures, as stipulated in the NOC, shall be implemented (in new cases) / continue to be maintained (in case of renewal) in consultation with the Regional Director, CGWB.
7. Proof of recharge/ water harvesting (photographs of structures constructed) shall be submitted to the Regional-Director, CGWB. The firm shall also undertake periodic maintenance of recharge/water harvesting structures at its own cost.
8. The firm shall optimize water use through recycling/ reuse of waste water after proper treatment.
9. The project proponent shall take all necessary measures to prevent contamination of ground water in the premises, failing which the firm shall be responsible for any consequences arising thereupon.
10. In case of industries likely to contaminate the ground water, no recharge measures shall be taken up by the firm inside the plant premises. The runoff generated from the rooftop shall be stored and put to beneficial use by the firm.
11. Wherever the NOC is for abstraction of saline water and the existing wells (s) is /are yielding fresh water, the same shall be sealed and new tubewell(s) tapping saline water zone shall be constructed within 3 months of the issuance of NOC. The firm shall also ensure safe disposal of saline residue, if any.
12. In case of mining projects, additional key wells shall be established in consultation with the Regional Director, CGWB for ground water level monitoring four (4) times a year (January, May, August and November) in core as well as buffer zones of the mine.
13. Unexpected variations in inflow of ground water into the mine pit, if any, shall be reported to the Regional Director, Central Ground Water Board.
14. The firm shall report compliance of the NOC conditions online in the website (www.cgwa-noc.gov.in) within one year from the date of issue of this NOC.
15. The firm shall be liable to pay " Environmental Compensation" as and when decided by the Hon'ble NGT.
16. This NOC is subject to prevailing Central/ State Government rules/ laws/ norms or Court orders related to construction of tube well/ ground water abstraction structure/ recharge or conservation structure/discharge of effluents or any such matter as applicable.
17. This NOC does not absolve the proponents of their obligation/ requirement to obtain other statutory and administrative clearances from appropriate authorities.
18. The issue of this NOC does not imply that other statutory/ administrative clearances shall be granted to the project by the concerned authorities. Such authorities would consider the project on merits and take decisions independently of the NOC.
19. This NOC is being issued without any prejudice to the directions of the Hon'ble NGT/ court orders in cases related to ground water or any other related matters.
20. Application for renewal can be submitted online from 90 days before the expiry of NOC. Application for renewal of expired NOCs shall not be entertained and subsequent ground water withdrawal, if any, shall be illegal & liable for legal action as per provisions of Environment Protection Act (EPA), 1986.

(Non-compliance of the conditions mentioned above is likely to result in the cancellation of NOC and legal action against the proponent.)




उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
 क्षेत्रीय कार्यालय: 1219/1, ई-ब्लॉक राजेन्द्र नगर
 बरेली-243122

Phone & Fax: 0581-2585299

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD
 Regional Office: 1219/1 E-Block, Rajendra Nagar, Bareilly-243122

Stack Monitoring Report

1.	Name & Address of Industry	M/S Rehbar Food Industries Pvt Ltd (Formerly- M/S Marya Frozen Agro foods Pvt Ltd Vill. Mohanpur, Thririya., Tehsil Sadar, Bareilly.	
2.	Date & Time of of Monitoring	11 /01/2020	
3.	Stack Monitored by	S.S Chauhan(S.A), S.B Diwedi (F.A)	
4.	Name of Stack	Boiler	
5.	Raw Material	Buffalo	
6.	Products of Industry	Frozen Meat	
7.	Stack height from GL(in Meter)	30.0 Meters	
8.	Fuel & Fuel Quantity	10 TPD	
9.	Capacity of Boiler	6 TPH	
11.	Air Pollution Control Device	Multi cyclone Dust Collector	
MONITORING RESULTS			
S.N.	PARAMETERS	VALUE(mg/NM ³)	STANDARDS(mg/NM ³)
1.	Particulate Matter(PM)	245.87	800.0


 (Scientific Asstt.)


 Regional Officer

(6)

संख्या-32 / 9-8-2016-02 सी.एस. / 12

प्रेषक,
उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,
प्रमुख सचिव/सचिव,
पर्यावरण/गृह/आग/शिक्षा एवं स्वास्थ्य/
पंचायतीराज विभाग/पशुधन विभाग

राखनांक: दिनांक: 06 जनवरी 2016

गर विकास अनुभाग-8

विषय: भा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन संख्या-309/2013 लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम गुनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा पारित "राज्य स्तरीय समिति" की बैठक दिनांक-14.12.2015 में लिये गये निर्णयों का कार्यान्वयन।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-3066/9.8.20145.02 सी.एस. / 2012, दिनांक-29.12.2015 (आयुक्त संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन संख्या-309/2013 लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम गुनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित विभिन्न आदेशों एवं भारत सरकार द्वारा लिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में पशुधन विभागों के संचालन हेतु सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय समिति" की बैठक दिनांक-14.12.2015 का कार्यवृत्त निर्गत किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया दिना राज्य स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों का कार्यान्वयन कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-32 (1)/9.8.2016 तददिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक की प्रति सहित निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यवृत्त में लिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

- 1- निदेशक, पशुधन विकास निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।
- 2- सदस्य सचिव, उ.प्र. पशुधन नियंत्रण बोर्ड, गोगतीनगर, लखनऊ।

आशा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

Q.A.

85/146

प्रदेश में पशुवधशालाओं के संचालन के संबंध में सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय समिति" की चतुर्थ बैठक दिनांक 14.12.2015 का कार्यवृत्त।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित अधिकारियों को यह अवगत कराया गया कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पशुवधशाला से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में दायर रिट याचिका-(सिविल) 309/2003, लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित किये गये आदेशों के अनुपालन में सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अ0शा0 पत्र संख्या-7/4/2011-एडब्लूडी, दिनांक 02.07.2012 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में उ0प्र0 राज्य के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पशुवधशालाओं के संचालन से संबंधित विषयों के क्रियान्वयन हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1838/नौ-8-12-02सीएस/12, दिनांक 11.09.2012 द्वारा "राज्य स्तरीय समिति" का गठन किया गया। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में पशुवधशालाओं के संचालन हेतु गठित "राज्य स्तरीय समिति" की चतुर्थ बैठक आयोजित की गयी है। "राज्य स्तरीय समिति" की बैठक में पशुवधशालाओं के संचालन हेतु विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा के उपरान्त समिति द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश निम्नवत है :-

1- राज्य स्तरीय समिति की पूर्व बैठक दिनांक 22.12.2014 में लिये गये निर्णय की अनुपालन आख्या -

बैठक में सर्वप्रथम विभिन्न विभागों द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने की स्थिति की समीक्षा की गयी जिसमें यह पाया गया कि श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, पशुधन विभाग द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है। समिति द्वारा श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी तथा श्रम विभाग से यह जानकारी चाही गयी कि पशुवधशालाओं में बाल श्रमिकों के कार्य करने के सम्बन्ध में आकस्मिक निरीक्षण कर अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी जाय। समिति द्वारा पशुधन विभाग से निम्न तीन बिन्दुओं पर सचिव, नगर विकास विभाग से निम्न तीन बिन्दुओं उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये:-

(1)- पशुवधशालाओं को जितने पशुओं के कटान किये जाने का लाइसेंस दिया गया है, पशुवधशालाओं द्वारा उससे अधिक पशुओं का कटान तो नहीं किया जा रहा है।

(2)- पशुओं का पोस्टमार्टम एवं एन्टीमार्टम किया जा रहा है अथवा नहीं।

(3)- जितने पशुओं का कटान पशुवधशालाओं में किया जा रहा है मानक के अनुसार उतने पशु- चिकित्साधिकारी पशुवधशालाओं में तैनात हैं अथवा नहीं। यदि उतने पशु चिकित्साधिकारी तैनात हैं तो क्या उनके द्वारा नियमित रूप से परीक्षण किया जा रहा है या नहीं।

पशुधन विभाग के अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि जनपद अलीगढ़ की रिपोर्ट आ गयी है। अलीगढ़ में 07 यूनिट हैं, जिनमें पशु चिकित्सक पर्याप्त संख्या में हैं।

सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि अपने विभागों से संबंधित अनुपालन आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही- पशुधन विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, श्रम विभाग तथा निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश)

2- वर्तमान में संचालित/स्थापित पशुवधशालाओं में प्रदूषण की समस्या समाप्त किये जाने हेतु उपाय -

पशुवधशालाओं से निकलने वाले अपशिष्ट/कचरे को आधुनिक तकनीकी जैसे-ई0टी0पी0, रेन्डरिंग प्लान्ट, बायोडाइजेस्टर संयंत्र/अन्य आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए पशुवधशालाओं से जनित अपशिष्टों का निस्तारण करके पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाये जाने के निर्देश पिछली बैठक में दिये गये थे। बैठक में संबंधित अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि जिन पशुवधशालाओं में इस तरह के संयंत्र नहीं लगे हैं, इसकी सूचना पहले ही दी जा चुकी है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि पशुवधशालाओं में नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है तथा जिन पशुवधशालाओं में कोई अनियमितता पायी जाती है, तो उनके विरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। सचिव नगर विकास विभाग द्वारा यह निर्देश दिये गये कि पशुवधशालाओं की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाय तथा जिन पशुवधशालाओं में पशुवधशालाओं से जनित अपशिष्ट के निस्तारण हेतु आवश्यक संयंत्र नहीं लगे हैं, उनके विरुद्ध विधिनुसार prosecution की कार्यवाही की जाय अथवा उन्हें बंद कराया जाय।

(कार्यवाही- प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश)

3- पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं पशुवधशाला नियम 2001, पशुओं का पैदल परिवहन नियम 2001, पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण हेतु सोसाइटीज नियम 2001 एवं मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 में

from

27/146

आवरलॉडिंग की दशा में दण्ड का प्राविधान आदि बिन्दुओं पर नियमित रूप से कार्यवाही किये जाने पर विचार -

पशु बाजार/पशु मेला, पशु परिवहन, प्रिवेन्शन आफ कूपलटी टू एनिमल्स, उ०प्र० गोवध निवारण अधिनियम एवं इस हेतु अन्य सुसंगत अधिनियमों एवं नियमों को कड़ाई से लागू किये जाने के संबंध में समिति द्वारा विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया तथा इस संबंध में गृह विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा गृह विभाग से अपेक्षा की गयी कि अवैध पशुवधशालाओं के संचालन को रोके जाने हेतु नागर निकायों को प्रभावी सहयोग प्रदान किया जाय तथा पशुकूरता अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गये जानवरों को समुचित रूप से डिस्पोजल किया जाय। इस हेतु नागर निकायों तथा पशुधन विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही की जाय तथा पशुकूरता सम्बन्धी विभिन्न अधिनियमों में प्राविधानित व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था की जाय।

(कार्यवाही—प्रमुख सचिव, गृह विभाग/पशुधन विभाग/पंचायतीराज विभाग, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश)

4- पशुवधशालाओं का आकस्मिक निरीक्षण किये जाने के संबंध में कार्यवाही -

बैठक में पशुवधशालाओं के निरीक्षण की कार्यवाही के संबंध में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पशुवधशालाओं में पशुवध होने के संबंध में आकस्मिक निरीक्षण/समीक्षा कर, यदि पशुवधशाला में कोई कमी पायी जाती है तो संबंधित पशुवधशाला के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के संबंध में समिति द्वारा संबंधित विभागों को निर्देश दिये गये।

अवैध पशुवधशाला चलाये जाने की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित रूप से पुलिस व जिला प्रशासन का सहयोग लेकर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही अपेक्षित है। "राज्य स्तरीय समिति" के सदस्यों के पशुवधशाला द्वारा निरीक्षण के समय जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा एवं सहयोग प्रदान करने, निरीक्षण में पायी गयी कमियों को पूर्ण कराने तथा पशु बाजार/पशु मेला का निरीक्षण व अवैध पशुवध रोके जाने हेतु जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नागर निकाय के बीच समन्वय स्थापित किये जाने पर विचार-विमर्श किया गया।

समिति द्वारा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समितियों द्वारा उनके जनपदों में स्थित पशुवधशालाओं का मासिक रूप से समय-समय पर आकस्मिक रूप से निरीक्षण किया जाय और निरीक्षण के दौरान जो भी

सचिव

Signature

88/146

कमिया पायी जाय, उसका स्थल पर ही निराकरण किया जाय तथा भविष्य में यदि कोई कमियां पायी जाती है, तो सम्बन्धित पशुवधशालाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश, सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश तथा निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश)

5- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित पुरानी पद्धति की जीर्ण-शीर्ण पशुवधशालाओं का आधुनिकीकरण किये जाने एवं आधुनिक पशुवधशालाओं की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की गाइड लाइन्स के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के अन्तर्गत पशुवधशालाओं का स्थापना किये जाने के संबंध में -

बैठक में समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा०सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों में पशुवधशालाओं के संचालन हेतु प्रदेश स्तर पर गठित "राज्य स्तरीय समिति" के दायित्वों में एक दायित्व प्रदेश में स्थित जीर्ण-शीर्ण पशुवधशालाओं को आबादी से बाहर कर उनका आधुनिकीकरण किये जाने एवं आधुनिक पशुवधशालाओं की स्थापना किये जाने का है। इसी सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 20 अगस्त, 2014 एवं 26.11.2014 के अंतर्गत प्रदेश में पशुवधशालाओं की स्थापना तथा आधुनिकीकरण किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस हेतु पशुवधशालाओं के आधुनिकीकरण एवं आधुनिक पशुवधशालाओं की स्थापना किये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु० 50 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गयी है।

समिति के समक्ष शासन के विभिन्न दिशा-निर्देशों/शासनादेशों के अनुक्रम में निम्न नागर निकायों के अन्तर्गत पशुवधशालाओं का आधुनिकीकरण किये जाने एवं आधुनिक पशुवधशालाओं की स्थापना किये जाने हेतु "राज्य स्तरीय समिति" के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया एवं तदनुसार "राज्य स्तरीय समिति" द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है:-

क्रम सं०	नागर निकाय का नाम	राज्य स्तरीय समिति का निर्णय
1	नगर निगम, वाराणसी द्वारा जनपद वाराणसी में अर्दली बाजार स्थित पशुवधशाला का प्रस्तावित आधुनिकीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	"राज्य स्तरीय समिति" द्वारा नगर निगम, वाराणसी के द्वारा प्रस्तावित अर्दली बाजार स्थित पशुवधशाला का आधुनिकीकरण किये जाने सम्बन्धी परियोजना के क्रियान्वयन पर इस शर्त के साथ सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया कि परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित एजेंसियों से यथावश्यक अनापत्ति/क्लीरेंस प्राप्त कर लेंगे।
2	नगर निगम, बरेली जनपद बरेली	"राज्य स्तरीय समिति" द्वारा नगर निगम,

	में मोहनपुर ठिरिया स्थित पशुवधशाला का आधुनिकीकरण/ आधुनिक पशुवधशाला की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।	बरेली के द्वारा प्रस्तावित मोहनपुर ठिरिया स्थित पशुवधशाला का आधुनिकीकरण/ आधुनिक पशुवधशाला की स्थापना किये जाने सम्बन्धी परियोजना के क्रियान्वयन पर इस शर्त के साथ सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया कि परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों से यथावश्यक अनापत्ति/क्लीरेन्स प्राप्त कर लेंगे।
3	नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा जनपद मुरादाबाद में आधुनिक पशुवधशाला का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।	"राज्य स्तरीय समिति" द्वारा नगर निगम, मुरादाबाद में आधुनिक पशुवधशाला की स्थापना किये जाने सम्बन्धी परियोजना के क्रियान्वयन पर इस शर्त के साथ सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया कि परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों से यथावश्यक अनापत्ति/क्लीरेन्स प्राप्त कर लेंगे।
4	नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा जनपद फिरोजाबाद में आधुनिक पशुवधशाला का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।	"राज्य स्तरीय समिति" द्वारा नगर निगम, फिरोजाबाद में आधुनिक पशुवधशाला की स्थापना किये जाने सम्बन्धी परियोजना के क्रियान्वयन पर इस शर्त के साथ सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया कि परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों से यथावश्यक अनापत्ति/क्लीरेन्स प्राप्त कर लेंगे।
5	नगर निगम, लखनऊ/ कानपुर/अलीगढ़/ इलाहाबाद/ मेरठ तथा नगर पालिका परिषद, रामपुर/मऊ एवं नगर पंचायत झालू जनपद बिजनौर में पशुवधशालाओं का आधुनिकीकरण किये जाने एवं आधुनिक पशुवधशालाओं की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।	"राज्य स्तरीय समिति" द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में इस शर्त के साथ सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया कि इससे सम्बन्धित परियोजनाओं का विस्तृत विवरण "राज्य स्तरीय समिति" की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय तथा परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों से यथावश्यक अनापत्ति/क्लीरेन्स प्राप्त कर लेंगे।

6- अन्य बिन्दु :-

(1)- "राज्य स्तरीय समिति" के समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि रिट याचिका-(सिविल) 309/2003, लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के संबंध में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित किये गये आदेशों के अनुपालन

दिनांक

90/146

Signature

में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2466/नौ-8-2012-2सीएस/2012, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 के द्वारा राज्य स्तरीय समिति में श्री रियासत हुसैन, सेवा निवृत्त जिला जज को कन्वीनर के रूप में नामित किया गया, जिन्होंने दिनांक 20.08.2015 को कन्वीनर के पद से त्यागपत्र दे दिया गया है एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा उनके त्याग पत्र को स्वीकार किये जाने पर सहमति प्रदान करते हुए नये कन्वीनर की नियुक्ति शीघ्र किये जाने से अवगत कराया गया है। समिति द्वारा उक्त का संज्ञान लेते हुए नगर विकास विभाग के स्तर से आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही-नगर विकास विभाग)

(2) बैठक में पशुधन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य संस्थाओं से पशुवधशालाओं की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव "राज्य स्तरीय समिति" के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है एवं यहाँ तक सम्बन्धित फर्म पशुवधशालाओं की स्थापना कर लिये जाने के उपरान्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की मांग की जाती है, जिससे इस प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श नहीं हो पाता है एवं फर्मों के काफी इनवेस्टमेंट के कारण परियोजनाओं की स्वीकृति दिये जाने की बाध्यता हो जाती है।

समिति द्वारा इस चिन्ता व्यक्त की गयी तथा यह अपेक्षा की गयी भविष्य में पशुवधशाला से सम्बन्धित किसी परियोजना पर विभिन्न एजेन्सियों/संस्थाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति/क्लीरेन्स प्राप्त करने से पूर्व सम्बन्धित फर्म जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव /परियोजना का परीक्षण कराकर, पशुधन की उपलब्धता, उस जनपद में पूर्व से विद्यमान पशुवधशालाओं को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पर नवीन पशुवधशालाओं की स्थापना का औचित्य एवं आवश्यकता का आंकलन किये जाने के उपरान्त अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव "राज्य स्तरीय समिति" के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं "राज्य स्तरीय समिति" के अनुमोदन के उपरान्त ही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य संस्थाओं/एजेन्सियों से यथावश्यक अनापत्ति/क्लीरेन्स प्राप्त कर परियोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही प्रमुख सचिव, पर्यावरण समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश, निदेशक, नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश)

(3)- निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा स्टैण्डर्ड फ़ोजन प्रा०लि० उन्नाव, ग्राम याकूबपुर, पोस्ट सहसपुर, जनपद-विजनौर एवं अल-रहमान फ़ोजन फूड्स ग्रास चिन्यावली, मुरादाबाद रोड सम्भल तथा पर्यावरण विभाग द्वारा प्रेषित मै० अल-अम्मार फ़ोजन फूड्स प्रा०लि० (स्लाटर हाउस) अमरपुर कोडला, तहसील-कोल, जिला अलीगढ़, मै० फ़िग्रेरियो कन्जर्वा अल्लाना प्रा०लि० (स्लाटर हाउस), ग्राम-तालसपुर खुर्द, मथुरा बाईपास रोड, तहसील-कोल,

अलीगढ़, मै० अल-हलाल इंटरनेशनल प्रा० लि०, अमरपुर कोडला, तहसील-कोल, जिला अलीगढ़, मैसर्स अल अर्श एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०, रजिस्टर्ड ऑफिस-30, बाजार लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली/अलीगढ़ एवं मै० इण्डाग्रो फूड्स प्रा० लि० बी-1-5, साइट-2, औद्योगिक क्षेत्र, उन्नाव में एकीकृत स्लाटर हाउस एवं मीट प्रोसेसिंग प्लान्ट खोले जाने/विस्तारीकरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसपर "राज्य स्तरीय समिति" द्वारा सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों से वहाँ पर पशुवधशालाओं की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में विद्यमान पशुवधशालाओं के परिप्रेक्ष्य में नये पशुवधशालाओं की स्थापना किये जाने का औचित्य, एवं अपरिहार्यता, वहाँ पर पशुधन की उपलब्धता आदि के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराये जाने के उपरान्त आगामी "राज्य स्तरीय समिति" की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही-निदेशक, नगरीय निकाय/ सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सम्बन्धित जिलाधिकारी)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
नगर विकास विभाग/
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय समिति।

Am


Am

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-8
संख्या-3066 / नौ-8-2015
लखनऊ दिनांक 29 दिसम्बर 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाह हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज/गृह/पर्यावरण/पशुधन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग /श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
- 3- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
- 4- श्रमायुक्त, उ०प्र०।
- 5- निदेशक, पशुधन विभाग, उ०प्र०।
- 6- सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 9- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ/कानपुर/इलाहाबाद/फिरोजाबाद/वाराणसी/बरेली/मुसादाबाद/मेरठ एवं अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रामपुर एवं मऊ/नगर पंचायत, झालू जनपद बिजनौर, उ०प्र०।
- 11- पशुचिकित्साधिकारी, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।


(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।



93/146



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी.सी. 12 वीं, विभूति खण्ड,
गौमती नगर, लखनऊ

F78612

संदर्भ संख्या:

/सी-7/एन0ओ0सी0-548/बरेली/2016

दिनांक: 06-5-16

सेवा में,

पंजीकृत

नगर आयुक्त,
नगर निगम, बरेली।

विषय: नगर निगम, बरेली द्वारा ग्राम-मोहनपुर ठिरिया, जनपद-बरेली में पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण), 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत मार्डन पशुवधशाला स्थापनार्थ सहमति हेतु।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक-25.03.16 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचारोपरान्त उद्योग मेसर्स पशुवधशाला नगर निगम, मोहनपुर ठिरिया के आधुनिकीकरण हेतु पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवम् सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ शर्त स्थापनार्थ सहमति स्वीकृत की जाती है।

1. स्थापनार्थ सहमति निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत की जा रही है :-
 - (क) स्थल: नगर निगम द्वारा पूर्व स्थापित पशुवधशाला का औद्योगिक परिसर। (बरेली महायोजना-2021 के अन्तर्गत स्थल पशुवधशाला हेतु चिन्हित)।
 - (ख) उत्पादन: 300 भैंस/भैंसा प्रतिदिन की स्लाटरिंग कर 46.5 टन/दिन फोजन मीट (बोन इन)का उत्पादन तथा 550 भेंड़/बकरी प्रतिदिन की स्लाटरिंग कर 5.5 टन/दिन फोजन मीट का उत्पादन।
 - (ग) मुख्य कच्चा माल: मार्डन स्लाटर हाउस हेतु 300 भैंस/भैंसा प्रतिदिन तथा 550 भेंड़/बकरी की स्लाटरिंग।
 - (घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा: 350 कि०ली०/दिन। (शुद्धीकरण के उपरान्त कर्नॉल टेस्नालॉजी पद्धति से सिंचाई में प्रयोग किया जाएगा।)
 - (ङ) प्रयुक्त ईंधन: 500 केवीए के दो डीजी सेट एवं 62.5 केवीए के एक डीजी सेट हेतु डीजल आवश्यकतानुसार।

उपरोक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः स्थापनार्थ सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, इरिट पदिका, उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।
3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि यह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवम् वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

.....2/-

(2)

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का परीक्षण सुनियोजित किया जाये।
5. उद्योग से कोई औद्योगिक उत्प्रावह नदी/नाले में निस्तारित नहीं किया जाएगा। अर्थात् शून्य उत्प्रावह निस्तारण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। घरेलू उत्प्रावह, जिसकी मात्रा 4.0 कि०ली०/दिन से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोफ पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाये।
6. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में 30.06.2016 तक अवश्य प्रस्तुत की जाये।
7. उद्योग द्वारा स्लाटरिंग प्रक्रिया/उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व बोर्ड से जल/वायु अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत ट्रायल सहमति प्राप्त किया जाए।
8. उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत बंदी निलम्बन आदेश दिनांक 04.04.2016 की शर्तों का शर्त-प्रतिशत अनुपालन किया जाए।
9. पी०पी०पी० मॉडल पर मार्डनाइजेशन हेतु सचिव, नगर विकास अनुभाग-8, उ०प्र०शासन के आदेश दिनांक 11.12.2015 में निहित निर्देश/शर्तों का समुचित अनुपालन किया जाए।
10. राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन पत्र दिनांक 06.01.2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
11. जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जमा प्रस्ताव के अनुसार उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित कर, माप सहित विवरण परीक्षण उत्पादन से पूर्व सहमति आवेदन के साथ प्रेषित किया जाए। जमा प्रस्ताव के अनुसार शोधित उत्प्रावह को वर्षा ऋतु में कम से कम 10 दिन का होल्डिंग टैंक परिसर में स्थापित किया जाए।
12. करनाल टेक्नालॉजी से शून्य उत्प्रावह निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु इयूम/एच०डी०पी०ई० कनवेयन्स लाइन, ब्रान्चिंग के साथ स्थापित किया जाए तथा 2.74 हेक्टेअर जमीन का सत्यापित नजरी नक्शा एवं भूमि के प्रपत्र एक माह में प्रेषित किया जाए।
13. जल दोहन हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथारिटी (C.G.W.A.) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर 3 माह में जमा किया जाए।
14. उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र के इनलेट एवं आउटलेट पर उत्प्रावह के मापन हेतु सी-नॉच की स्थापना कर रीडिंग मेन्टेन की जाए। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाइन के अनुसार इफ्लूएण्ट मैग्नेटिक फ्लो मीटर आउटलेट पर लगाया जाए तथा आउटलेट के साथ-साथ लैरिज पर वेब कैमरा स्थापित किया जाए।
15. उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र पर विद्युत खपत के मापन हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित कर रिकार्ड रखा जाए।
16. खालो के संरक्षण में प्रयुक्त नमक की रिकवरी हेतु साल्ट रिकवरी प्लाण्ट स्थापित किया जाए।
17. स्लाटर हाउस से जनित सालिड वेस्ट/फलशिंग इत्यादि को उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र पर पृथक कर सुरक्षित स्थान पर फेन्सिंग के साथ कम्पोस्टिंग प्रक्रिया से सुरक्षित निस्तारण किया जाए ताकि पशु/पक्षियों एवं दुर्गन्ध की समस्या न हो।
18. ग्रीन बोन/वेस्टेज इत्यादि को कवर्ड वैन से मेसर्स मारिया फ्रोजन फूड के स्लाटर हाउस के रेण्डरिंग प्लाण्ट में प्रयोग कर एम०बी०एम० बनाया जाए तथा किसी भी दशा में ग्रीन बोनस/रेड आर्गन्स को अन्यत्र नहीं भेजा जाए।
19. ब्लड मील प्लाण्ट से दुर्गन्ध नियंत्रण हेतु बायोफिल्टर की स्थापना की जाए।
20. पशुवधशाला से जनित शुद्धिकृत उत्प्रावह को 2.74 हेक्टेअर भूमि में करनाल टेक्नालॉजी के माध्यम से शून्य उत्प्रावह निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
21. उत्प्रावह को किसी नदी/नाले में निस्तारित नहीं किया जाए।
22. पशुवधशाला द्वारा लैरिज हाल से उत्पन्न गोबर को स्कू प्रेस के माध्यम से सुखाकर सूखे हुए गोबर को ब्यायलर आदि में जलाया जाए अथवा बिक्री कर दी जाए।
23. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-2 पर पारित किये जाने वाले आदेशों/निर्देशों का अनुपालन पशुवधशाला द्वारा किया जाए।
24. जमा प्रस्ताव के अनुसार सुगन्धित छायादार पौधों का रोपण कर हरित पट्टिका विकसित की जाए।
25. पशुवध एवं फिनिशड माल की लोडिंग, अनलोडिंग का समस्त कार्य बंद शेड में किया जाए।
26. उद्योग द्वारा प्रस्तावित 500 केवीए के दो डीजी सेट (क्षमता अलग-अलग) एवं 62.5 केवीए के एक डीजी से सम्बद्ध एग्जास्ट प्राईप की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप रखी जाए तथा ध्वनि की तीव्रता के नियंत्रण हेतु एकास्टिक एन्क्लोजर स्थापित किया जाए।
27. उद्योग द्वारा ठोस अपशिष्ट पदार्थों का यथा सम्भव पुनः प्रयोग किया जाए तथा बायोगैस प्लांट की स्थापना भी सुनिश्चित की जाए। ठोस अपशिष्ट पदार्थों का पुनः प्रयोग न होने की दशा में निस्तारण इस प्रकार सुनिश्चित किया जाए कि किसी प्रकार के जल, वायु या मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो।

.....3/-

नगर निगम, बरेली, ग्राम-मोहनपुर ठिरिया,
बरेली (पशुवधशाला)।

(3)

28. उद्योग द्वारा ब्याथलर आदि की स्थापना न की जाए।
29. उद्योग द्वारा परिसर के चारों ओर पर्याप्त मात्रा में कुल भू-भाग के 33 प्रतिशत क्षेत्रफल पर हरित पट्टिका/वृक्षारोपण का विकास किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
30. उद्योग का पर्यावरणीय दत्तव्य प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक बोर्ड को प्रेषित किया जाए।
31. उद्योग द्वारा जल सप्लाई के समस्त श्रोतों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जल मापक मीटर स्थापित किया जाए तथा ई0टी0पी0 हेतु पृथक रूप से विद्युत मीटर की स्थापना की जाए।
32. अमोनिया के भण्डारण एवं आकस्मिक रिसाब से निपटने हेतु उपयुक्त व्यवस्था स्थापित करने के साथ-साथ, ऑन लाईन एवं आफ लाईन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एक माह में प्रेषित करें।
33. संवेदनशील शर्त सं0 7 से 23 के अनुपालन हेतु जमा की गयी बैंक गारण्टी रू0 10,00,000/- अनुपालन न करने की दशा में जब्त कर ली जाएगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवम् सामान्य शर्तों का प्रभावी एवम् संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत स्थापनार्थ सहमति निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के संबंध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में 30.06.2016 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय,

(एस0सी0 यादव)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0

/एन0ओ0सी0

तददिनांक :

प्रतिलिपि :

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित नगर निगम, बरेली, ग्राम-मोहनपुर ठिरिया को निर्गत स्थापनार्थ सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) में अधिरोपित समस्त शर्तों के समयबद्ध अनुपालन हेतु पशुवधशाला का अनुश्रवण करते रहें तथा अनुश्रवण/अनुपालन आख्या मासिक रूप से बोर्ड को प्रेषित करें।
2. एपेडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, एन0सी0यू0आई0 भवन-3, सीरी औद्योगिक क्षेत्र, अगस्त कान्ति मार्ग, नई दिल्ली-16

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0-12, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

संदर्भ संख्या
सेवा में

F98062

/सी-7/940/जल प्रदूषण/बरेली/2017

दिनांक:

पंजीकृत

10-3-17

मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला,
(आपरेटर मैसर्स मारिया फ़ोजन एगो फूड प्रोडक्ट्स प्रा0लि0),
ग्राम-मोहनपुर ठिरिया, बरेली।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने सहमति आवेदन पत्र संख्या नगर निगम/यूपीपीसीबी/वाटर/2017, दिनांक 03.01.2017 बोर्ड में प्राप्ति दिनांक 06.01.2017 के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। सशर्त सहमति आदेश पत्रांक- 51/संलग्न/2017 दिनांक: 10/3/17 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

- 1 सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
- 2 उद्योग जल आपूर्ति श्रोतों एवं उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर/उत्प्रवाह मापक संयंत्र एक माह के अन्दर स्थापित करना सुनिश्चित करेगा। जल मीटर की मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजे।
- 3 उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु उद्योग के ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु सिंचाई से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवाये, वी-नाच की मापी गयी सूचनायें तथा केलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
- 4 आपको उद्योग की नवीनतम आडिट की हुई बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल+वर्तमान-वर्तमान जिम्मेदारियों) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जांच की जा सके।
- 5 उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख-रखाव सुनिश्चित करे जिससे कि उत्प्रवाह सदैव बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
- 6 कृपया ठोस अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
- 7 आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वॉछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस संबंध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
- 8 उद्योग का पर्यावरणीय व्यक्तव्य प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 9 यह सहमति 300 मैस/मैसा प्रतिदिन की स्लाटरिंग कर 46.50 मी0टन/दिन फ़ोजन मीट एवं 550 गोट/शीप प्रतिदिन की स्लाटरिंग कर 5.50 मी0टन/दिन फ़ोजन मीट के उत्पादन हेतु विधि मान्य है। किसी प्रतिबन्धित प्रकार के पशु के स्लाटरिंग का कार्य न किया जाए।
- 10 उद्योग द्वारा जनित होने वाले प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से शुद्धिकृत करते हुए शुद्धिकृत उत्प्रवाह को कृषि भूमि पर करनाल टेक्नॉलाजी से सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाए अर्थात् उत्प्रवाह निस्तारण शून्य रहे।
- 11 उद्योग द्वारा भूमि सिंचाई का कार्य पाईप नेटवर्किंग के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।

.....2/-

97/146

मेसर्स नगर निगम पशुवधशाला,
(आपरेटर मेसर्स मारिया फ़ोजन एगो फूड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०), ग्राम-मोहनपुर ठिरिया, बरेली।

(2)

- 12 उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र में किसी भी दशा में खून प्रवाहित न किया जाए।
- 13 उद्योग द्वारा परिसर के अन्दर अच्छी हाउस कीपिंग सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक दिन ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव किया जाए जिससे पब्लिक न्यूसेन्स की समस्या उत्पन्न न हो।
- 14 उद्योग द्वारा मा०सर्वोच्च न्यायालय में पशुवधशालाओं के संचालन से संबंधित दायर रिट याचिका संख्या-(सिविल)/309/2003 लक्ष्मी नारायण मोदी वनाम यूनियन आफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन, उ०प्र०शासन नगर विकास अनुभाग-8 के पत्र संख्या 1645/9-8-2014-2 सी०एम०/12, दिनांक 30.6.2014 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- 15 उद्योग द्वारा नगर विकास अनुभाग-8 द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाणत्र दिनांक 06.01.2016 की समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- 16 उद्योग बोर्ड से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 06.05.2016 में अधिरोपित समस्त शर्तों की प्रथम अनुपालन आख्या दिनांक 31.03.2017 तक प्रेषित की जाए।
- 17 उद्योग में स्थापित ऑन लाईन कान्टीन्युअस एफ्लुएण्ट मानीटरिंग सिस्टम को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से सम्बद्ध कर सुचारु रूप से संचालन कर नियमित डेडा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। किया जाए।
- 18 उद्योग द्वारा अपीडा से अनापत्ति प्रमाण पत्र/लाईसेन्स प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए।
- 19 उद्योग द्वारा निम्नयोज्य चर्बी, हड्डी एवं मांस की रेण्डरिंग ड्राई रेण्डरिंग प्लाण्ट के माध्यम से मेसर्स मारिया फ़ोजन एगो फूड्स प्रा०लि०, मोहनपुर ठिरिया, बरेली की जाए तथा इसकी सूचना प्रत्येक त्रैमास प्रेषित की जाए।
- 20 उद्योग द्वारा भू-गर्भ जल दोहन हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथारिटी (C.G.W.A.) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर 03 माह में प्रेषित किया जाए।
- 21 उद्योग द्वारा समस्त प्रचलित पर्यावरणीय विधियों एवं अन्तर्गत प्रतिपादित नियमों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 22 स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से जनित शुद्धीकृत उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर 15 दिन में प्रेषित की जाए।
- 23 नगर निगम के पत्र संख्या 38/एसटी/एनए/2016-17, दिनांक 20.04.2016 द्वारा पी०पी०पी० मॉडल पर अनुबन्धित संस्था मेसर्स मारिया फ़ोजन एगो फूड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०, बरेली द्वारा संचालित किया जाएगा।

इस सहमति आदेश के अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके अधिनियम, 1978 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,



(अमित चन्द्रा)
प्रभारी, (वृत्त-7)

प्रतिलिपि :-क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग पर उपरोक्त अधिरोपित शर्तों के समयबद्ध अनुपालन हेतु उद्योग का समय-2 पर निरीक्षण एवं अनुश्रवण करते हुए अनुपालन आख्या मुख्यालय को प्रेषित की जाए।

प्रभारी (वृत्त-7)

98/146



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या : 57/सहमति/जल आदेश / 2017 लखनऊ, दिनांक: 10/2/17

विषय: मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला (आपरेटर मैसर्स मारिया फोजन एगो फूड प्रोडक्ट्स प्रा0लि0), गम-मोहनपुर ठिरिया, बरेली को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 के अन्तर्गत उत्प्रावाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या नगर निगम/यूपीपीसीबी/वाटर/2017, दिनांक 03.01.2017 प्राप्ति दिनांक: 06.01.17
1. जल राशि का सीवन में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिससे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला (आपरेटर मैसर्स मारिया फोजन एगो फूड प्रोडक्ट्स प्रा0लि0), गम-मोहनपुर ठिरिया, बरेली को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुएँ में/भूमि पर निस्तारित करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित समान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति 31.12.2017 की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा-27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।


(अनिल चन्द्रा)
प्रभारी, (वृत्त-7)

अनुलग्नक: संलग्नक ।

99/146

मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला,
(आपरेटर मैसर्स मारिया फोजन एगो फूड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०).ग्राम-मोहनपुर ठिरिया, बरेली।

-2-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या-...../सहमति (जल)/आदेश/.....दिनांक.....

सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घण्टे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- | उत्प्रवाह का प्रकार | अधिकतम दैनिक निस्तारण मी ³ | अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी ³ |
|---------------------|---------------------------------------|--|
|---------------------|---------------------------------------|--|

- (i) घरेलू- 04 कि०ली०/दिन (सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से शुद्धिकृत किया जाए)।
- (ii) औद्योगिक- 303 कि०ली०/दिन (करनेॉल टेक्नालॉजी द्वारा भूमि सिंचाई/गार्डनिंग में प्रयुक्त किया जाए, किसी नदी/नाले/तालाब में निस्तारण हेतु अनुमन्य नहीं है)।

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।

3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।
- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 20 से० पर 5 दिन की बी०ओ०डी० न हो | 30 मिग्रा/ली० से अधिक |
| कुल निलम्बित ठोस से अधिक न हो | 100 मिग्रा०/ली० |

4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा सं-173/37/83/19/ए आर ए दिनांक-06.04.83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।

6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होना चाहिए।

7. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिए।

100/146

मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला,

(आपरेटर मैसर्स मारिया फोजन एग्री फूड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०), ग्राम—मोहनपुर ठिरिया, बरेली।

-3-

8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम 1.5 M X 1.5 M साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेन्ट कंक्रीट के चैम्बर होने चाहिए। टर्मिनल, मेनहोल में उत्प्रवाह तथा विश्लेषित के लिए नमूना लेने की व्यवस्था होनी चाहिए।
9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या-2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।
10. शुद्धिकृत औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या-9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु तक पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये। पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाये, बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाये जाये।
11. इस शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के संबंध में दो माह या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजे।
13. विस्तृत निर्माण स्थल, रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्घ्य काट व प्लान तथा शर्त 8ए 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजे।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात, तूफान के जल को भली भाँति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थों का भली भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
 - (i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
 - (ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
 - (iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।
16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर संभव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाए। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाये।
17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा-3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा ऑचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।

101/146

मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला,

(आपरेटर मैसर्स मारिया फोजन एग्री फूड प्रोडक्ट्स प्रा0लि0),ग्राम--मोहनपुर ठिरिया, बरेली।

-4-

18. प्रार्थी फ़ैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वाल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रावह, उत्प्रावह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।
19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रावह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रकिया जनित उत्प्रावह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिय गये निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रावह की गुणता व मात्रा, उत्प्रावह निस्तारण की दर, उत्प्रावह का तापमान न बदले या परिवर्तन करें।
23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती हैं, तब तक लागू रहेगी।
24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फ़ैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने संबंधी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से संबंधित सूचना फ़ैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।
27. फ़ैक्ट्री परिसर से अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रावह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियों या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर(प्रोपराइटरों) के नाम, पदों व टेलीफोन की सूचना दी जाये।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।


(अमित-सन्दा)
प्रभारी, (वृत्त-7)

102/146



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण भवन, टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

संदर्भ/संख्या **198053**

/सी-7/854/वायु प्रदूषण/बरेली/2017

दिनांक: **10/3/17**

सेवा में,

मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला,
(आपरेटर मैसर्स मारिया फोजन एग्री फूड प्रोडक्ट्स प्रा0लि0),
ग्राम-मोहनपुर ठिरिया, बरेली।

विषय: वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने सहमति आवेदन पत्र संख्या नगर निगम/यूपीपीसीबी/एअर/2017, दिनांक 03.01.2017 बोर्ड में प्राप्त दिनांक 06.01.2017 का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सहमति आदेश संख्या.....**47**.....सहमति (वायु) आदेश /**2017**.....दिनांक-.....**10/3/17**.....को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जाता है:-

1. सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. प्लू गैस उत्सर्जन तथा वायु गुणता संबंधी अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का प्राविधान संचालन एवम् रख-रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
4. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
5. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करे, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
6. यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।
7. आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति+वर्तमान सम्पत्ति-वर्तमान देनदारियाँ) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं, जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
8. आपको उपरकर अधिनियम, 1977 में वॉछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस संबंध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
10. यह सहमति 300 भैस/भैसा प्रतिदिन की स्लाटरिंग कर 46.50 मी0टन/दिन फोजन मीट एवं 550 गोट/शीप प्रतिदिन की स्लाटरिंग कर 5.50 मी0टन/दिन फोजन मीट के उत्पादन हेतु विधि मान्य है। किसी प्रतिबन्धित प्रकार के पशु के स्लाटरिंग का कार्य न किया जाए।

.....2/-

103/146

मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला,

(आपरेटर मैसर्स मारिया फ़ोजन एगो फूड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०),ग्रम-मोहनपुर ठिरिया, बरेली

(2)


- 11 उद्योग द्वारा परिसर के अन्दर अच्छी हाउस कीपिंग सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक दिन ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव किया जाए जिससे पब्लिक न्यूसेन्स की समस्या उत्पन्न न हो।
- 12 उद्योग द्वारा मा०सर्वोच्च न्यायालय में पशुवधशालाओं के संचालन से संबंधित दायर रिट याचिका संख्या-(सिविल)/309/2003 लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम यूनियन आफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन, उ०प्र०शासन नगर विकास अनुभाग-8 के पत्र संख्या 1645/9-8-2014-2 सी०एम०/12, दिनांक 30.6.2014 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- 13 उद्योग द्वारा नगर विकास अनुभाग-8 द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाणत्र दिनांक 06.01.2016 की समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- 14 बोर्ड से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 06.05.2016 में अधिरोपित समस्त शर्तों का प्रथम अनुपालन दिनांक 31.03.2017 तक प्रेषित किया जाए।
- 15 उद्योग द्वारा परिवेशीय वायु गुणता जाँच रिपोर्ट बोर्ड की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर 15 दिन में प्रेषित की जाए।
- 16 उद्योग द्वारा समस्त प्रचलित पर्यावरणीय विधियों एवं अन्तर्गत प्रतिपादित नियमों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 17 उद्योग परिसर के 33 प्रतिशत भू-भाग पर हरित पट्टिका का विकास किया जाए।
- 18 उद्योग से जनित समस्त ब्लड को पूर्ण रूप से ब्लड कोआगुलेटर के माध्यम से ब्लड मील बनाया जाए तथा इससे जनित दुर्गन्ध के नियंत्रण हेतु स्थापित बायो फिल्टर का संचालन पूर्ण क्षमता पर इस प्रकार सुनिश्चित किया जाए जिससे दुर्गन्ध की समस्या उत्पन्न न हो।
- 19 दुर्गन्ध के नियंत्रण हेतु पर्याप्त मात्रा में खुशबूदार पेड़-पौधे लगाए जाएँ।
- 20 नगर निगम के पत्र संख्या 38/एसटी/एनए/2016-17, दिनांक 20.04.2016 द्वारा पी०पी०पी० मॉडल पर अनुबन्धित संस्था मैसर्स मारिया फ़ोजन एगो फूड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०, बरेली द्वारा संचालित किया जाएगा।
- 21 उद्योग द्वारा निष्प्रयोज्य चर्बी, हड्डी एवं मांस की रेण्डरिंग ड्राई रेण्डरिंग प्लाण्ट के माध्यम से मैसर्स मारिया फ़ोजन एगो फूड्स प्रा०लि०, मोहनपुर ठिरिया, बरेली की जाए तथा इसकी सूचना प्रत्येक त्रैमास प्रेषित की जाए।

इस सहमति आदेश के अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,



(अमित चन्द्रा)

प्रभारी (वृत्त-7)

प्रतिलिपि :-क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग पर उपरोक्त अधिरोपित शर्तों के समयबद्ध अनुपालन हेतु उद्योग का समय-2 पर निरीक्षण एवं अनुश्रवण करते हुए अनुपालन आख्या मुख्यालय को प्रेषित की जाए।

प्रभारी (वृत्त-7)

104/146



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण भवन, टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या 47 /सहमति (वायु) आदेश/ 2017 लखनऊ, दिनांक- 10/3/17

विषय :मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला (आपरेटर मैसर्स मारिया फोजन एगो फूड प्रोडक्ट्स प्रा0लि0),ग्राम-मोहनपुर ठिरिया, बरेली को वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21/22 के अन्तर्गत ।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या नगर निगम/यूपीपीसीबी/एअर/2017, दिनांक 03.01.2017 प्राप्ति दिनांक 06.01.17

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला (आपरेटर मैसर्स मारिया फोजन एगो फूड प्रोडक्ट्स प्रा0लि0),ग्राम-मोहनपुर ठिरिया, बरेली को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. यह सहमति 31.12.2017 की अवधि तक मान्य है।

3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत ।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

अनुलग्नक : संलग्नक ।

(सहमति शर्तें।


(अमित चन्द्रा)
प्रभारी (वृत्त-7)

105/146

मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला,
(आपरेटर मैसर्स मारिया फ़ोजन एग्री फूड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०),ग्राम-मोहनपुर ठिरिया, बरेली।

-2-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या-...../सहमति(वायु)/आदेश/.....दिनांक.....

सहमति शर्तें

1. प्लू गैस की प्रतिघण्टा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।
 - (i) 500, 500 व 62.5 केवीए क्षमता के डीजी सेट्स से सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप।
2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो।
3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।
4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवम् अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवम् अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।

105/146

मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला,
(आपरेटर मैसर्स मारिया फोजन एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०),ग्राम—मोहनपुर ठिरिया, बरेली।

-3-

6. बिन्दु-4ए 5 एवम् 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनोंक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रह उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवम् इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस संबंध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाये।
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 के अधिक होता है या होने की संभावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा-29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
12. इकाई का रख-रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किये जाने से संबंध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

107/146

मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला,
(आपरेटर मैसर्स मारिया फोजन एगो फूड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०, ग्राम—मोहनपुर ठिरिया, बरेली।

—4—

14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदन कर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता /इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा-21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदन कर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवम् प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवम् प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनार्यें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।


(आम्रत चन्द्रा)
प्रभारी (वृत्त-7)

108/146



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखमऊ।

ANNEXURE-N4

पंजीकृत

संदर्भ संख्या
सेवा में,

112274

/सी-7/जल/940/बरेली/2017

दिनांक-

19-11-17

मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला,
(आपरेटर मै0 मारिया फोजन एगो फूड प्रोडक्टस प्रा0 लि0)
ग्राम-मोहनपुर ठिरिया, बरेली।

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रकिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने सहमति आवेदन पत्र सं0-नगर निगम/यू0पी0पी0सी0बी0/वाटर/2017 दिनांक 13.10.2017 जो कि बोर्ड में दिनांक 31.10.2017 का सन्दर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, बरेली के पत्र दिनांक 31.10.2017 द्वारा प्रेषित संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग को सशर्त सहमति निर्गत की जा रही है। सहमति आदेश पत्रांक- 143/.../2017 दिनांक 19.11.17 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

- 1 सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
- 2 यह सहमति 300 बैस/बैसा प्रतिदिन की स्लाटरिंग कर 46.50 मी0टन/दिन फोजन मीटर एवं 550 गोट/शीप प्रतिदिन की स्लाटरिंग कर 5.50 मी0टन/दिन फोजन मीटर के उत्प्रवाह हेतु विधि मान्य है। किसी प्रतिबन्धित प्रकार के पशु के स्लाटरिंग का कार्य न किया जाए।
- 3 उद्योग द्वारा जनित होने वाले प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से शुद्धिकृत करते हुए शुद्धिकृत उत्प्रवाह को किये गये अनुबन्ध के अनुसार मै0 मारिया फोजन फूड्स की यूनिट में करनाल टेक्नॉलाजी से सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाए अर्थात् उत्प्रवाह निस्तारण शून्य रहें।
- 4 उद्योग द्वारा भूमि सिंचाई का कार्य पाईप नेटवर्किंग के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।
- 5 उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र में किसी भी दशा में रक्त प्रवाहित न किया जाए।
- 6 उद्योगो जल आपूर्ति स्रोतों एवं उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर स्थापित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पलो मीटर/उत्प्रवाह मापक संयंत्र का समुचित संचालन किया जाए एवं दैनिक रिकार्ड मेन्टेन किये जाए। जल मीटर की मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
- 7 उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित हाने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु उद्योग के ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु सिंचाई से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें, वी-नाच की मपी गयी सूचनाएं तथा कॅलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
- 8 आपको उद्योग की नवीनतम आडिट की हुई बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल+वर्तमान+वर्तमान जिम्मेदारियों) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
- 9 उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख-रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह सदैव बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
- 10 कृपया ठोस अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सहिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हों।
- 11 उद्योग का पर्यावरणीय व्यक्तव्य प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला.
(आपरेटर मै0 मारिया फोजन एग्री फूड प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0)
ग्राम-मोहनपुर ठिरिया, बरेली।


- 12 उद्योग द्वारा परिसर के अन्दर अच्छी हाउस कीपिंग सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक दिन ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव किया जाए जिससे पब्लिक न्यूसेन्स की समस्या उत्पन्न न हों।
- 13 उद्योग द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पशुवधशालाओं के संचालन सं सम्बन्धित रिट याचिका संख्या-(सिविल)/309/2003 लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम यूनियन आफ इण्डिया में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन, उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग-8 के पत्र सं0-1645/9-8-2014-2 सी0एम0/12 दिनांक 30.06.2014 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- 14 उद्योग द्वारा नगर विकास अनुभाग-8 द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 06.01.2016 की समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- 15 उद्योग बोर्ड से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 06.05.2016 में अधिरोपित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- 16 उद्योग में स्थापित ऑन लाइन कान्टीन्यूअस एफ्लुएण्ट मॉनीटरिंग सिस्टम को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से सम्बद्ध कर सुचारु रूप से संचालन कर नियमित डेटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 17 उद्योग द्वारा एपीडा से अनापत्ति प्रमाण पत्र/लाईसेन्स की प्रति 01 माह में प्रेषित की जाए।
- 18 उद्योग द्वारा निष्प्रयोज्य चर्बी, हड्डी एवं मांस की रेण्डरिंग मैसर्स मारिया फोजन एग्री फूड्स प्रा0लि0, मोहनपुर ठिरिया, बरेली की रेण्डरिंग प्लान्ट द्वारा की जाए।
- 19 उद्योग द्वारा भू-गर्भ जल दोहन हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथारिटी (C.G.W.A) से अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- 20 उद्योग द्वारा समस्त प्रचलित पर्यावरणीय विधियों के अन्तर्गत प्रतिपादित नियमों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 21 नगर निगम के पत्र सं0-38/एस.टी./एन.ए./2016-17, दिनांक 20.04.2016 द्वारा पी0पी0पी0 मॉडल पर अनुबन्धित संस्था मैसर्स मारिया फोजन एग्री प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, बरेली द्वारा संचालित किया जाएगा।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके अधिनियम, 1978 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।


(अमित चन्द्रा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7)

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग पर उपरोक्त अधिरोपित शर्तों के समयबद्ध अनुपालन हेतु उद्योग का समय-समय पर निरीक्षण एवं अनुश्रवण करते हुए अनुपालन आख्या मुख्यालय को प्रेषित की जाए।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या 143 /सहमति/जल आदेश/ 2017 लखनऊ, दिनांक- 19.11.17

विषय : मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला, (आपरेटर मै0 मारिया फोजन एगो फूड प्रोडक्टस प्रा0 लि0), ग्राम-मोहनपुर ठिरिया, बरेली को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या-नगर निगम/यू0पी0पी0सी0बी0/वाटर/2017 दिनांक 13.10.2017
प्राप्ति दिनांक 31.10.2017

1. जल राशि का सीवन में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिससे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला, (आपरेटर मै0 मारिया फोजन एगो फूड प्रोडक्टस प्रा0 लि0), ग्राम-मोहनपुर ठिरिया, बरेली को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुए में/भूमि पर निस्तारित करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक-31.12.2019 तक की अवधि के लिए मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा-27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।


(अमित चन्द्रा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7)

अनुलग्नक : संलग्नक ।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या-...../सहमति(जल)/आदेश/.....दिनांक.....

सहमति शर्तें

- अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घण्टे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उत्प्रवाह का प्रकार अधिकतम दैनिक निस्तारण मी अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी
(i) घरेलू- 4.0 कि०ली०/दिन (सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से शुद्धिकृत किया जाए)
(ii) औद्योगिक-303 कि०ली०/दिन (करनाल टेक्नोलॉजी द्वारा भूमि सिंचाई/गार्डनिंग में प्रयुक्त किया जाए, किसी नदी/नाले/तालाब में निस्तारण हेतु अनुमन्य नहीं है।)
- ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।
- घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।
20 से० पर 5 दिन की बी०ओ०डी० न हो 30 मिग्रा/ली० से अधिक
कुल निलम्बित ठोस से अधिक न हो 100 मिग्रा०/ली०
- अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका भान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होना चाहिए।
- विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिए।
- शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम 1.5 MX 1.5 M साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेन्ट कंकीट के चैम्बर होने चाहिए। टर्मिनल, मेनहोल में उत्प्रवाह तथा विश्लेषित के लिए नमूना लेने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या-2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।
- शुद्धिकृत औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या-9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु/पुनः प्रयोग/गार्डनिंग/भूमि सिंचाई तक पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये। पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी

मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला,
(आपरेटर मै0 मारिया फोजन एगो फूड प्रोडक्ट्स प्रा10 लि0)
ग्राम-मोहनपुर ठिरिया, बरेली।

- टर्मिनल मेनहोल की भौति बनाया जाये, बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाये जाये।
10. इस शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के संबंध में दो माह या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
 11. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजें।
 12. विस्तृत निर्माण स्थल, रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्घ्य काट व प्लान तथा शर्त 8ए 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजें।
 13. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात, तूफान के जल को भली भौति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
 14. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थों का भली भौति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
 - (i) अक्रिय पदार्थ होन पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि यह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
 - (ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
 - (iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।
 15. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर संभव हो सके तो दूर किया जाये अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाए। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।
 16. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा-3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा ऑंचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
 17. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वाल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।
 18. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
 19. शुद्धिकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाईयों के द्वारा निस्तारित किये जाने वाले उत्प्रवाह के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
 20. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिय गये निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
 21. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन करे।
 22. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक लागू रहेगी।

मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला
(आपरेटर मै० मारिया फोजन एगो फूड प्रोडक्ट्स प्रा० लि०)
ग्राम-मोहनपुर ठिरिया, बरेली।

23. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 03 माह पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 03 माह पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
24. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
25. प्रार्थी उत्प्राह शुद्धिकरण संयंत्र संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने संबंधी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से संबंधित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।
26. फैक्ट्री परिसर से अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिचाई योग्य फार्म, तक उत्प्राह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियों या मच्छरों की पैदावार हो, को नही होने दिया जाए।
27. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर(प्रोपराइटरों) के नाम, पदों व टेलीफोन की सूचना दी जाये।
28. यह सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तों के होते हुए भी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।


(अमित चन्द्रा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

पंजीकृत

संदर्भ संख्या HI 2275 / सी-7 / वायु / 854 / बरेली / 2017 दिनांक-

19-11-17

सेवा में,

मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला,
(आपरेटर मै0 मारिया फोजन एगो फूड प्रोडक्टस प्रा0 लि0)
ग्राम-मोहनपुर ठिरिया, बरेली।

विषय: वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने सहमति आवेदन पत्र सं0-नगर निगम/यू0पी0पी0सी0बी0/वाटर/2017 दिनांक 13.10.2017 जो कि बोर्ड में दिनांक 31.10.2017 का सन्दर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, बरेली के पत्र दिनांक 31.10.2017 द्वारा प्रेषित संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग को सशर्त सहमति निर्गत की जा रही है। सहमति आदेश पत्रांक- 1401/संस्तुति/2017 दिनांक 19.11.17 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

- 1 सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
- 2 यह सहमति 300 नग/दिन भैंस एवं भैंसा का वध कर 48.5 मि0 टन/दिन फोजन मीट, एवं 550 गोट/शीप/दिन की स्लाटरिंग कर 5.50 मी0टन/दिन फोजन मीट के उत्पादन हेतु विधि मान्य है। किसी प्रतिबन्धित प्रकार के पशु की स्लाटरिंग का कार्य न किया जाए।
- 3 पशु गैस उत्सर्जन तथा वायु गुणता सम्बन्धी अनुश्रवण आख्या पत्र प्राप्ति के 03 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 4 वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था तथा उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाए जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे तथा वायुमण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहें।
- 5 उद्योग परिसर में उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
- 6 उद्योग द्वारा गैसीय उत्सर्जकों/परिवेशीय वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर एक माह में प्रेषित किया जाये।
- 7 यह सहमति मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अधीन होगी।
- 8 यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एयमवर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिये ही मान्य है।
- 9 आपको उद्योग की नवीनतम आडिट की हुई बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल+वर्तमान+वर्तमान जिम्मेदारियों) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
- 10 उद्योग का पर्यावरणीय व्यक्तव्य प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 11 उद्योग द्वारा परिसर के अन्दर अच्छी हाउस कीपिंग सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक दिन क्लीनिंग पाउडर आदि का छिड़काव किया जाए जिससे पब्लिक न्यूसेन्स की समस्या उत्पन्न न हों।
- 12 उद्योग द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पशुवधशालाओं के संचालन सं सम्बन्धित रिट याचिका संख्या-(सिविल)/309/2003 लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम यूनियन आफ इण्डिया में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन, उ0प्र0 शासन नगर विकास

मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला,
(आपरेटर नै0 मारिया फोजन एग्री फूड प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0)
ग्राम-मोहनपुर ठिरिया, बरेली।

अनुभाग-8 के पत्र सं0-1645/9-8-2014-2 सी0एम0/12 दिनांक 30.06.2014 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।


- 13 उद्योग द्वारा नगर विकास अनुभाग-8 द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 06.01.2016 की समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- 14 उद्योग बोर्ड से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 06.05.2016 में अधिरोपित समस्त शर्तों की प्रथम अनुपालन आख्या दिनांक 31.03.2017 तक प्रेषित की जाए।
- 15 उद्योग द्वारा एपीडा से अनापत्ति प्रमाण पत्र/लाईसेन्स प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए।
- 16 उद्योग द्वारा निष्प्रयोज्य चर्बी, हड्डी एवं मांस की रेण्डरिंग ड्राई रेण्डरिंग प्लाण्ट के माध्यम से मैसर्स मारिया फोजन एग्री फूड्स प्रा0लि0, मोहनपुर ठिरिया, बरेली की जाए तथा सूचना प्रत्येक त्रैमास प्रेषित की जाए।
- 17 उद्योग द्वारा समस्त प्रचलित पर्यावरणीय विधियों के अन्तर्गत प्रतिपादित नियमों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 18 नगर निगम के पत्र सं0-38/एस.टी./एन.ए./2016-17, दिनांक 20.04.2016 द्वारा पी0पी0पी0 मॉडल पर अनुबन्धित संस्था मैसर्स मारिया फोजन एग्री प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, बरेली द्वारा संचालित किया जाएगा।

इस सहमति आदेश के अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, यह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।


(अमित चन्द्रा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7)

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग पर उपरोक्त अधिरोपित शर्तों के समयबद्ध अनुपालन हेतु उद्योग का समय-समय पर निरीक्षण एवं अनुश्रवण करते हुए अनुपालन आख्या मुख्यालय को प्रेषित की जाए।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र


संदर्भ संख्या 150 /सहमति/सहमति (वायु) आदेश/2017 लखनऊ, दिनांक- 19.11.17

विषय : मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला, (आपरेटर मै0 मारिया फोजन एगो फूड प्रोडक्टस प्रा0 लि0), ग्राम-मोहनपुर ठिरिया, बरेली को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-21/22 के अन्तर्गत ।

संदर्भ आवेदन पत्र संख्या-नगर निगम/यू0पी0पी0सी0बी0/ऐयर/2017 दिनांक 13.10.2017
प्राप्ति दिनांक : 31.10.2017

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै0 नगर निगम पशुवधशाला, (आपरेटर मै0 मारिया फोजन एगो फूड प्रोडक्टस प्रा0 लि0), ग्राम-मोहनपुर ठिरिया, बरेली को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक 31.12.2019 की अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।


(अमित चन्द्रा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7)

अनुलग्नक : संलग्नक ।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या-...../सहमति (वायु)/आदेश/.....दिनांक.....

सहमति शर्तें

1. फ्लू गैस की प्रतिघण्टा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।
(i) 500, 500 व 62.5 के.वी.ए. क्षमता के डी.जी. सेट्स से सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई निकटतम भवन की छत से क्रमशः 4.5, 4.5 एवं 1.5 मीटर ऊँची सुनिश्चित करें।
2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो।
3. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवम् अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।
4. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।
5. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवम् अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
6. बिन्दु-4ए 5 एवम् 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रह उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवम् इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस संबंध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाये।
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 के अधिक होता है या होने की संभावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा-29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण नियारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
12. इकाई का रख-रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।

मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला,
(आपरेटर मै0 मारिया फोजन एग्री फूड प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0)
ग्राम-मोहनपुर ठिरिया, बरेली।

13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किये जाने से संबंध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।
14. इकाई से आबादी, कृषक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा-21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 02 माह अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवम् प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 02 माह पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवम् प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।


(श्यामल चन्द्रा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7)



U.P. Pollution Control Board

CONSENT ORDER

Ref No. -
67653/UPPCB/Bareilly(UPPCBRO)/CTO/water/B
AREILLY/2019

Dated : 27/12/2019

To ,

Shri MUNICIPAL COMMISSIONER

M/s Nagar Nigam Slaughter House Bareilly (Operated by M/s Marya Frozen Agro Food
Products Pvt Ltd)

Village-Mohanpur Thiria, Tehsil- Bareilly, Distt.- Bareilly,BAREILLY,243123
BAREILLY

Sub : Consent under Section 25/26 of The Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974
(as amended) for discharge of effluent to M/s. Nagar Nigam Slaughter House Bareilly
(Operated by M/s Marya Frozen Agro Food Products Pvt Ltd)

Reference Application No :6082627

Dated :27/12/2019

1. For disposal of effluent into water body or drain or land under The Water (Prevention and control of Pollution) Act,1974 as amended (here in after referred as the act) M/s. Nagar Nigam Slaughter House Bareilly (Operated by M/s Marya Frozen Agro Food Products Pvt Ltd) is hereby authorized by the board for discharge of their industrial effluent generated through ETP for irrigation/river through drain and disposal of domestic effluent through septic tant/soak pit subject to general and special conditions mentioned in the annexure ,in refrence to their foresaid application .
2. This consent is valid for the period from 19/12/2019 to 31/12/2021 .
3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 27(2) of the Water (Prevention and Controt of Pollution) Act, 1974 as amended .

This consent is being issued with the permission of competent authority .

Amit
Chandra

Digitally signed by
Amit Chandra
Date: 2019.12.27
16:57:52 +05'30'

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

Chief Environment Officer

Enclosed : As above
(condition of consent):

Copy to: Regional Officer Moradabad to ensure the compliance of the conditions imposed in the consent order.

Amit
Chandra

Digitally signed by
Amit Chandra
Date: 2019.12.27
16:58:30 +05'30'

Chief Environment Officer

120/146

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, LUCKNOW

Annexure to Consent issued to M/s.Nagar Nigam Slaughter House Bareilly (Operated by M/s Marya Frozen Agro Food Products Pvt Ltd) vide

Consent Order No. 6082627/ Water

Dated : 27/12/2019

CONDITIONS OF CONSENT

1. This consent is valid for the approved maximum slaughtering capacity slaughtering capacity of 300 Buffalo per day and frozen buffalo meat 160 MTD and 550 sheep/goat per day and and Goat / Sheep meat – 5.5 MTD. per day.
2. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/ process /fuel/ plant machinery failing which consent would be deemed void.
3. The unit should follow the various provisions of “REVISED COMPREHENSIVE INDUSTRY DOCUMENT ON SLAUGHTER HOUSES” issued by Central pollution Control Board in October 2017.
4. The slaughter house will follow the various provisions of rules and regulations as mentioned in the “Compendium of Indian Standards on Slaughter House”.
5. The slaughtering of the cow & its progeny is not permitted under any circumstances.
6. The industry should strictly follow the various Acts & guidelines mentioned in the compendium compiled in compliance of the Hon’ble Supreme Court order dated 17-02-2017 in the matter of W.P.(Civil) No. 330/2001, Common Cause V/s Govt. of India, W.P. No. 44/2004, contempt petition 124/2015 annexed with W.P. (Civil) No. 309/2003 Laxmi Narayan Modi V/s Govt. of India and ors.
7. The industry should provide the linkage of the CCTV cameras installed at the entry points, lairage and meat processing unit to the DM office and on the public portal. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the permission taken from local administration or any other government department.
8. The quantity of maximum daily effluent discharge should not be more than the following :

Effluent Discharge Details			
S.No	Kind of Effluent	Maximum daily discharge,KL/day	Treatment facility and discharge point
1	Industrial	303 KLD(use in irrigation on land , no effluent is allowed to discharge outside the premises))	ETP
2	Domestic	4KLD	Septic Tank

9. Arrangement should be made for collection of water used in process and domestic effluent separately in closed water supply system. The treated domestic and industrial effluent if discharged outside the premises, if meets at the end of final discharge point, arrangement should be made for measurement of effluent and for collecting its sample. Except the effluent informed in the application for consent no other effluent should enter in the said arrangements for collection of effluent. It should also be ensured that domestic effluent should not be discharged in storm water drain.
- 9(a) The domestic effluent should be treated in treatment plant so that the should be in conformity with the following norms dated treated effluent .

121/146

Domestic Effluent		
S.No	Parameter	Standard
1	Total Suspended Solids	100 mg/l
2	BOD	30 mg/l
3	COD	250 mg/l
4	Oil & Grease	10 mg/l
5	Quantity of Discharge	4KLD

- 9(b) The industrial effluent should be treated in treatment plant so that the treated effluent should be in conformity with the following norms. .

Industrial Effluent		
S.No	Parameter	Standard
1	Total Suspended Solids	50 mg/l
2	BOD	30 mg/l
3	COD	250 mg/l
4	Oil & Grease	10 mg/l
5	Quantity of Discharge	303 KLD(Use in irrigation on land , no effluent is allowed to discharge outside the premises.)

10. Effluent generated in all the processes, bleed water, cooling effluent and the effluent generated from washing of floor and equipments etc should be treated before its disposal with treated industrial effluent so that it should be according to the norms prescribed under The Environment (Protection) Rules, 1986 or otherwise mandatory.
11. The method for collecting industrial and domestic effluent and its analysis should be as per legal Indian standards and its subsequent amendments/ standards prescribed under the Environment (Protection) Act, 1986.
12. The industry will have to ensure compliance of the permission from the CGWA before ground water extraction and it will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the permission taken.
13. The industry shall submit Environmental Statement in prescribed form V rule no.14 of E.P Rules 1986.
14. The industry shall comply with various provisions of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as amended, Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as amended and all other applicable rules notified under E.P. Act 1986.
15. Minimum 33% of the land on which unit is established will be covered and properly maintained by the plantation of tall trees of suitable species as per the guidelines set up by the Board vide its Office Order no.H-16405/220/2018/02 dt. 16/02/2018. The copy of this guideline is available at URL http://www.uppcb.com/pdf/Green-Belt-Guidle_160218.pdf.
16. The industry will ensure the continuous and uninterrupted data supply from the OCEEMS to the CPCB and SPCB.
17. Flow meter to be installed in all water abstraction points and usage of fresh water to be minimized. The unit will ensure facility to transmit data to CPCB server and submit a regular calibration certificate of Electro Magnetic Flow meter to the Board.
18. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against the unit, then CTO issued earlier will remain suspended during the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will automatically be effective with additional conditions mentioned in the closure revocation order.
19. Industry shall abide by the directions given by Hon'ble Court, Central Pollution Control Board and UPPCB for protection and safe guard of environment from time to time.

Specific Conditions:

122/146

1. This consent is valid for Slaughtering capacity of 300 Buffalo per day and frozen Buffalo meat 160 MTD and 550 sheep/goat per day and and Goat / Sheep meat – 5.5 MTD.
2. Effluent generation 303 KLD, shall be treated as per the norms stipulated in Environment (Protection) Rules 1986 and used for irrigation on land and partial quantity to be reused in the process operations.
3. No discharge is allowed in any drain/ stream/well or any other water body.
4. Unit shall identify recipient drains/ rivulets and their u/s & d/s location in consultation with UPPCB and shall carry out monthly monitoring of identified recipient drains at u/s & d/s location through lab recognized under Environment (Protection) Act,1986 and shall submit the analysis report on monthly basis by 10th of every month to CPCB and UPPCB.
5. Unit must strictly maintain zero liquid discharge of effluent outside premises into drain/river/water body.
6. Unit shall operate and maintain the installed on line effluent monitoring system and shall ensure on line connectivity with server of CPCB and UPPCB.
7. Unit shall develop Green Belt in minimum 33 percent area of Industrial Premises as per the provisions laid down in office order no. H16405/220/2018/02 dated 16-02-2018 of U.P. Pollution Control Board. The copy of said office order is available on the website of U.P. Pollution Control Board www.uppcb.com.
8. Process effluent / any waste water shall not be allowed to mix with storm water. Storm water drain shall be passed through guard pond.
9. Unit shall comply to the conditions imposed in the NOC issued by CGWA for ground water extraction valid till 30.7.2022 and conditions imposed by APEDA .
10. The overall noise levels in and around area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc, on all sources of noise generation. The ambient noise level shall confirm to the standards under the Environment (Protection) Act 1986.
11. Unit shall comply with the provisions of Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules 2016
12. Unit shall ensure that there is no Environmental Pollution problem due to the operation of unit.
13. Unit shall comply the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as amended and Environment (Protection) Act 1986, and direction issued by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Order dated 13.07.2017 in OA no. 200/2014, M.C. Mehta v/s Union of India and orders of Hon'ble Courts and Hon'ble NGT.
14. Unit shall develop Green Belt in minimum 33 percent area of Industrial Premises as per the provisions laid down in office order no. H16405/220/2018/02 dated 16-02-2018 of U.P. Pollution Control Board. The copy of said office order is available on the website of U.P. Pollution Control Board www.uppcb.com.
15. Unit shall comply with the document prepared by Central Pollution Control Board titled "Revised Comprehensive Industry Document on Slaughter House" for adoption of best available pollution control technologies, water consumption, effluent generation etc. and submit the compliance report to UPPCB
16. Unit shall submit treated effluent quality monitoring report, ground water quality monitoring of Industrial premises and area of irrigation done by MoEF & CC approved laboratory within 3 months.
17. This Consent order shall automatically become invalid on issuance of Closure Order by C.P.C.B / UPPCB and further on Revoking of Closure order, the Consent order shall become valid.

Issued with the permission of competent authority .

Amit
Chandra

Digitally signed by Amit
Chandra
Date: 2019.12.27
16:59:48 +05'30'

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board .

Chief Environment Officer

123/146



U.P. Pollution Control Board

CONSENT ORDER

Ref No. -
67651/UPPCB/Bareilly(UPPCBRO)/CTO/air/BAREILLY/2019

Dated : 27/12/2019

To ,

Shri MUNICIPAL COMMISSIONER

M/s Nagar Nigam Slaughter House Bareilly (Operated by M/s Marya Frozen Agro Food Products Pvt Ltd)

Village-Mohanpur Thiria, Tehsil- Bareilly, Distt.- Bareilly,BAREILLY,243123
BAREILLY

Sub : Consent under section 21/22 of the Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 (as amended) to M/s. Nagar Nigam Slaughter House Bareilly (Operated by M/s Marya Frozen Agro Food Products Pvt Ltd)

Reference Application No. 6082265

Dated : 27/12/2019

1. With reference to the application for consent for emission of air pollutants from the plant of M/s Nagar Nigam Slaughter House Bareilly (Operated by M/s Marya Frozen Agro Food Products Pvt Ltd) under Air Act 1981. It is being authorised for said emissions, as per the standards, in environment, by the Board as per enclosed conditions .
2. This consent is valid for the period from 20/12/2019 to 31/12/2021 .
3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 21 (6) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended.
This consent is being issued with the permission of competent authority .

Amit
Chandra

Digitally signed by
Amit Chandra
Date: 2019.12.27
17:11:09 +05'30'

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

Chief Environment Officer

Enclosed : As above
(condition of consent):

Copy to: Regional Officer Bareilly to ensure the compliance of the conditions imposed in the consent order.

Amit
Chandra

Digitally signed by
Amit Chandra
Date: 2019.12.27
17:12:36 +05'30'

Chief Environment Officer

124/146

U.P. Pollution Control Board

Dated : 27/12/2019

CONDITIONS OF CONSENT

1. This consent is valid for the approved maximum slaughtering capacity slaughtering capacity of 300 Buffalo per day and frozen buffalo meat 160 MTD and 550 sheep/goat per day and and Goat / Sheep meat – 5.5 MTD. Buffalos per day.
2. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/ process /fuel/ plant machinery failing which consent would be deemed void.
3. The unit should follow the various provisions of "REVISED COMPREHENSIVE INDUSTRY DOCUMENT ON SLAUGHTER HOUSES" issued by Central pollution Control Board in October 2017.
4. The slaughtering of the cow & its progeny is not permitted under any circumstances.
5. The slaughter house will follow the various provisions of rules and regulations as mentioned in the "Compendium of Indian Standards on Slaughter House".
- 6(a) The maximum rate of emission of flue gas should not be more than the emission norms for the stacks.
- 6(b) Air Pollution Source Details.

Air Pollution Source Details					
S.No	Air Pollution Source	Type of Fuel	Stack No.	Parameters	Height
1	Boiler 0.5 TPH	Diesel	01	Particulate Matter	Stack height 40 ft. from ground level
2	DG Set 500 KVA, 500 KVA and 62.5 KVA	Diesel	02	Particulate Matter	Canopy at the DG-sets of 500 KVA, 500 KVA and 62.5 KVA and stack height of 5 meter, 5 meter and 1.6 meter from the roof of nearest building

- 6(c) The emissions by various stacks into the environment should be as per the norms of the Board .

Emission Quality Details Detail			
S.No	Stack No	Parameter	Standard
1	01	Particulate Matter	150 mg/nm3
2	02	Particulate Matter	As per E(P) Rules, 1986

7. The industry should be operated in such a manner that it does not adversely affect the environment and the solid waste generated such as ash etc. is disposed in eco friendly manner .
8. Any source of emission other than that mentioned in the Air consent seeking application will not be permitted by the Board .
9. The industry should ensure the operation of the air pollution control system (APCS) in such a manner that the air emission confirms with the standards prescribed under the E.P Act 1986 as amended.
10. The industry shall submit Environmental Statement in prescribed format as per rule no.14 as per E.P Rules 1986 .

125/146

11. The industry shall abide by orders / directions issued by Hon'ble Supreme court Hon'ble High Court, Hon'ble National Green tribunal, Central Pollution Control Board and U.P Pollution Control Board for protection and safe guard of environment from time to time .
12. Industry shall submit monthly monitoring reports of all stacks and ambient air quality from a certified / approved laboratory under E.P. Act 1986 .
13. The industry shall comply with various provisions of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as amended, Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as amended and all other applicable rules notified under E.P. Act 1986.
14. The industry will ensure the continuous and uninterrupted data supply from the OCEEMS to the CPCB and SPCB .
15. The unit shall submit audited balance sheet for the current year and the details of fees deposited during last three years within a month failing which consent would be deemed void.
16. The use of Pet coke and Furnace oil as a fuel in the factory is restricted in compliance of the Hon'ble Supreme court order .
17. The Industry will use minimum 20% Bio Briquette as fuel in the Boiler depending upon its availability .
18. The industry shall obtain prior consents in the event of any addition of new emission generation sources such as- Boiler/ Furnace/ Heaters/ D.G. Sets or alteration of existing emission sources in accordance with section- 21/22 of air Act 1981 (as amended respectively).
19. Minimum 33% of the land on which industry is established will be covered and properly maintained by the plantation of tall trees of suitable species as per the guidelines set up by the Board vide its Office Order no.H-16405/220/2018/02 dt. 16/02/2018. The copy of this guideline is available at URL http://www.uppcb.com/pdf/Green-Belt-Guide_160218.pdf .
20. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against the unit, then CTO issued earlier will remain suspended during the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will automatically be effective with additional conditions mentioned in the closure revocation order .
21. Industry shall abide by the directions given by Hon'ble Court, Central Pollution Control Board and UPPCB for protection and safe guard of environment from time to time .

Specific Conditions:

1. This consent is valid for slaughtering capacity of 300 Buffalo per day and frozen buffalo meat 160 MTD and 550 sheep/goat per day and and Goat / Sheep meat – 5.5 MTD.
2. Unit shall regularly operate and maintain Air pollution control system and ensure that stack emissions and ambient air quality is within the prescribed norms.
3. Unit shall install online emission monitoring system within 03 months and shall ensure its connectivity with the servers of CPCB and UPPCB .
4. Unit shall ensure that ambient air quality of nearby areas is not adversely affected due to operation and emissions of the unit.
5. Unit shall comply the provisions of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as amended and Environment (Protection) Act 1986, and direction issued by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Order dated 13.07.2017 in OA no. 200/2014, M.C. Mehta v/s Union of India and orders of Hon'ble Courts and Hon'ble NGT.
6. The overall noise levels in and around area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc, on all sources of noise generation. The ambient noise level shall confirm to the standards under the Environment (Protection) Act 1986.
7. Unit shall use Bio-briquette as co-fuel with main fuel in the ratio of minimum 20 percent in boiler subject to its availability.
8. Unit shall submit the ambient air quality report and stack report of the air pollution sources from laboratory authorized from MOEF & CC, Govt. of India on quarterly basis.
9. Unit shall develop Green Belt in minimum 33 percent area of Industrial Premises as per the provisions laid down in office order no. H16405/220/2018/02 dated 16-02-2018 of U.P. Pollution Control Board. The copy of said office order is available on the website of U.P. Pollution Control Board www.uppcb.com.
10. Fly ash shall be stored separately as per CPCB guidelines so that it should not adversely affect the air quality, becoming air borne by wind or water regime during rainy season by flowing along with storm water . Direct exposure of workers to fly ash & dust shall be avoided.
11. This Consent order shall automatically become invalid on issuance of Closure Order by C.P.C.B / UPPCB and further on Revoking of Closure order, the Consent order shall become valid.

Issued with the permission of competent authority .

**Amit
Chandra**

Digitally signed by
Amit Chandra
Date: 2019.12.27
17:14:20 +05'30'

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board .

Chief Environment Officer

127/146



U.P. Pollution Control Board

CONSENT ORDER

Ref No. -
58846/UPPCB/Bareilly(UPPCBRO)/CTO/air/BAREILLY/2019

Dated : 02/01/2020

To ,

Shri MUNICIPAL COMMISSIONER

M/s Nagar Nigam Slaughter House Bareilly Operated by Ms Marya Frozen Agro Food Products

Pvt Ltd

Village-Mohanpur Thiria, Tehsil- Bareilly, Distt.- Bareilly ,243123

BAREILLY

Sub : Consent under section 21/22 of the Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 (as amended) to M/s. Nagar Nigam Slaughter House Bareilly Operated by Ms Marya Frozen Agro Food Products Pvt Ltd

Reference Application No. 5306221

Dated : 02/01/2020

1. With reference to the application for consent for emission of air pollutants from the plant of M/s Nagar Nigam Slaughter House Bareilly Operated by Ms Marya Frozen Agro Food Products Pvt Ltd under Air Act 1981. It is being authorised for said emissions, as per the standards, in environment, by the Board as per enclosed conditions .
2. This consent is valid for the period from 09/08/2019 to 31/12/2021 .
3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 21 (6) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended.
This consent is being issued with the permission of competent authority .

Amit

Chandra

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

Digitally signed by
Amit Chandra
Date: 2020.01.02
12:58:50 +05'30'

Chief Environment Officer

Enclosed : As above
(condition of consent):

Copy to: Regional Officer Bareilly to ensure the compliance of the conditions imposed in the consent order

Amit

Chandra

Chief Environment Officer

Digitally signed by
Amit Chandra
Date: 2020.01.02
12:59:31 +05'30'

128/146

U.P. Pollution Control Board

Dated : 02/01/2020

CONDITIONS OF CONSENT

1. This consent is valid only for the approved production capacity of poultry feed – 27 TPD, Tallow-16 TPD .
2. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/ process /fuel/ plant machinery failing which consent would be deemed void.
- 3(a) The maximum rate of emission of flue gas should not be more than the emission norms for the stacks.

3(b) Air Pollution Source Details.

Air Pollution Source Details					
S.No	Air Pollution Source	Type of Fuel	Stack No.	Parameters	Height
1	boiler 6TPH	wood/ dung/rice husk- 800 Kg/ day	1	Particulate Matter	Multi cyclone Dust collector as APCS and stack height 33 meter from ground level
2	boiler 2TPH	wood/ dung/rice husk- 300 Kg/ day	02	Particulate Matter	Multi cyclone Dust collector as APCS and stack height 20 meter from ground level

- 3(c) The emissions by various stacks into the environment should be as per the norms of the Board .

Emission Quality Details Detail			
S.No	Stack No	Parameter	Standard
1	01	Particulate Matter	600 mg/Nm3
2	02	Particulate Matter	600 mg/Nm3

4. Quantity of other pollutants should also be as per the norms prescribed by the Board/MOEF & CC/or otherwise mandatory .
5. The equipment for air pollution control system and monitoring ,as proposed by the industry and approved by the Board should be installed in their premises itself .
6. The modification or installation in the existing pollution control equipments should be done only by prior approval of Board .
7. The operation of air pollution control system and maintenance be done in such a way that the quantity of pollutants should be in accordance with the standards prescribed by the Board/MoEF & CC/or otherwise mandatory .
8. Unit should do provisions for fugitive emissions chimney/stack as per the norms of the Board/MOEF & CC/or otherwise mandatory .
9. The unit should submit the stack emissions monitoring report within one month from issuance of consent order along with the point wise compliance report of the consent order . Further quarterly monitoring report should be submitted .

Specific Conditions:

129/146

1. This consent is valid for rendering plant is production of poultry feed – 27 TPD, Tallow- 16 TPD from Bone/ Offal/ Fat- 80 TPD taking as raw material.
2. The stack height on 6 TPH and 2 TPH Boiler shall be 35 meter and 30 meter from Ground Level.
3. Unit shall maintain and operate Air pollution control system i. e. Multicyclone dust collector installed at the boilers of 6 TPH and 2 TPH, regularly and ensure that stack emissions are within the prescribed norms.
4. Unit shall install online emission monitoring system within 01 months and ensure the connectivity with the servers of CPCB and UPPCB .
5. Unit shall ensure that ambient Air and Noise quality of nearby areas is not adversely affected due to operation and emissions of the unit.
6. Unit shall comply the provisions of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as Amended and Environment (Protection) Act 1986, and direction issued by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Order dated 13.07.2017 in OA no. 200/2014, M.C. Mehta v/s Union of India.
7. The overall noise levels in and around area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc, on all sources of noise generation. The ambient noise level shall confirm to the standards under the Environment (Protection) Act 1986
8. Unit shall use Bio-briquette as co-fuel with main fuel in the ratio of minimum 20 percent in boiler subject to its availability.
9. Unit shall submit the ambient air and noise quality report and stack report of the air pollution sources from laboratory authorized from MOEF & CC on quarterly basis.
10. Unit shall develop Green Belt in minimum 33 percent area of Industrial Premises as per the provisions laid down in office order no. H16405/220/2018/02 dated 16-02-2018 of U.P. Pollution Control Board. The copy of said office order is available on the website of U.P. Pollution Control Board www.uppcb.com.
11. Fly ash shall be stored separately as per CPCB guidelines so that it should not adversely affect the air quality, becoming air borne by wind or water regime during rainy season by flowing along with storm water . Direct exposure of workers to fly ash & dust shall be avoided.
12. This Consent order shall automatically become invalid on issuance of Closure Order by C.P.C.B / UPPCB and further on Revoking of Closure order, the Consent order shall become valid.

Issued with the permission of competent authority .

Amit
Chandra
Digitally signed by
Amit Chandra
Date: 2020.01.02
13:00:10 +05'30'

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board .

Chief Environment Officer

130/146



U.P. Pollution Control Board

CONSENT ORDER

Ref No. -
58849/UPPCB/Bareilly(UPPCBRO)/CTO/water/B
AREILLY/2019

Dated : 02/01/2020

To ,
Shri MUNICIPAL COMMISSIONER
M/s Nagar Nigam Slaughter House Bareilly Operated by Ms Marya Frozen Agro Food Products
Pvt Ltd
Village-Mohanpur Thiria, Tehsil- Bareilly, Distt.- Bareilly ,243123
BAREILLY

Sub : Consent under Section 25/26 of The Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974
(as amended) for discharge of effluent to M/s. Nagar Nigam Slaughter House Bareilly
Operated by Ms Marya Frozen Agro Food Products Pvt Ltd

Reference Application No :5306367

Dated :02/01/2020

1. For disposal of effluent into water body or drain or land under The Water (Prevention and control of Pollution) Act,1974 as amended (here in after referred as the act) M/s. Nagar Nigam Slaughter House Bareilly Operated by Ms Marya Frozen Agro Food Products Pvt Ltd is hereby authorized by the board for discharge of their industrial effluent generated through ETP for irrigation/river through drain and disposal of domestic effluent through septic tank/soak pit subject to general and special conditions mentioned in the annexure ,in refrence to their foresaid application .
2. This consent is valid for the period from 09/08/2019 to 31/12/2021 .
3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 27(2) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended .

This consent is being issued with the permission of competent authority .

Amit
Chandra

Digitally signed by
Amit Chandra
Date: 2020.01.02
12:52:51 +05'30'

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

Chief Environment Officer

Enclosed : As above
(condition of consent):

Copy to: Regional Officer Bareilly to ensure the compliance of the conditions imposed in the consent
order.

Amit
Chandra
Chief Environment Officer

Digitally signed by Amit Chandra
Date: 2020.01.02 12:53:20 +05'30'

131/146

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, LUCKNOW

Annexure to Consent issued to M/s.Nagar Nigam Slaughter House Bareilly Operated by Ms Marya Frozen Agro Food Products Pvt Ltd vide

Consent Order No. 5306367/ Water

Dated : 02/01/2020

CONDITIONS OF CONSENT

1. This consent is valid only for the approved production capacity of poultry feed – 27 TPD, Tallow-16 TPD .
2. The quantity of maximum daily effluent discharge should not be more than the following :

Effluent Discharge Details			
S.No	Kind of Effluent	Maximum daily discharge,KL/day	Treatment facility and discharge point
1	Domestic		Septic Tank
2	Industrial	6KLD	ETP

3. Arrangement should be made for collection of water used in process and domestic effluent separately in closed water supply system. The treated domestic and industrial effluent if discharged outside the premises, if meets at the end of final discharge point, arrangement should be made for measurement of effluent and for collecting its sample. Except the effluent informed in the application for consent no other effluent should enter in the said arrangements for collection of effluent. It should also be ensured that domestic effluent should not be discharged in storm water drain .
- 4(a) The domestic effluent should be treated in treatment plant so that the should be in conformity with the following norms dated treated effluent .

Domestic Effluent		
S.No	Parameter	Standard

- 4(b). The industrial effluent should be treated in treatment plant so that the treated effluent should be in conformity with the following norms. .

Industrial Effluent		
S.No	Parameter	Standard
1	Total Suspended Solids	100 mg/l
2	BOD	30 mg/l
3	COD	250 mg/l
4	Oil & Grease	10 mg/l
5	Quantity of Discharge	6KLD (Treated in ETP and shall be used in irrigation on land)

5. Effluent generated in all the processes, bleed water, cooling effluent and the effluent generated from washing of floor and equipments etc should be treated before its disposal with treated industrial effluent so that it should be according to the norms prescribed under The Environment (Protection) Act,1986 or otherwise mandatory .
6. The other pollutant for which norms have not been prescribed, the same should not be more than the norms prescribed for the water used in manufacturing process of the industry .
7. The method for collecting industrial and domestic effluent and its analysis should be as per legal Indian standards and its subsequent amendments/standards prescribed under The Environment (Protection) Act, 1986.
8. The treated domestic and industrial effluent be mixed (as per the provisions of Condition No. 2) and disposed of on one disposal point. This common effluent disposal point should have arrangement for flow meter/V Notch for measuring effluent and its log book be maintained .

Specific Conditions:

132/146

1. This consent is valid for rendering plant is production of poultry feed – 27 TPD, Tallow- 16 TPD from Bone/ Offal/ Fat- 80 TPD taking as raw material.
2. Effluent generation 6 KLD , shall be treated in ETP as per the norms stipulated in E(P)Rules 1986 and used for irrigation through Karnal technology.
3. Unit shall identify recipient drains/ rivulets and their u/s & d/s location in consultation with UPPCB and shall carry out monthly monitoring of identified recipient drains at u/s & d/s location through lab recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and shall submit the analysis report on monthly basis by 10th of every month to CPCB and UPPCB.
4. Unit must strictly maintain zero liquid discharge of effluent outside premises into drain/river/water body .
5. Unit shall operate and maintain the installed on line effluent monitoring system and shall ensure on line connectivity with server of CPCB and UPPCB.
6. Unit shall develop Green Belt in minimum 33 percent area of Industrial Premises as per the provisions laid down in office order no. H16405/220/2018/02 dated 16-02-2018 of U.P. Pollution Control Board. The copy of said office order is available on the website of U.P. Pollution Control Board www.uppcb.com.
7. Unit shall operate and maintain properly the installed odor control management system i.e. bio filter on rendering plant.
8. Process effluent / any waste water shall not be allowed to mix with storm water. Storm water drain shall be passed through guard pond.
9. Unit shall comply to the conditions imposed in the NOC issued by CGWA for ground water extraction
10. The overall noise levels in and around area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc, on all sources of noise generation. The ambient noise level shall conform to the standards under the Environment (Protection) Act 1986.
11. Unit shall comply the provisions of Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules 2016 and shall obtain authorization for disposal of hazardous waste.
12. Unit shall comply the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as Amended and Environment (Protection) Act 1986, and direction issued by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Order dated 13.07.2017 in OA no. 200/2014, M.C. Mehta v/s Union of India.
13. Unit shall submit ground water quality monitoring report of Industrial premises and irrigation area done by MoEF & CC approved laboratory within 3 months and after that in every 3 months .
14. This Consent order shall automatically become invalid on issuance of Closure Order by C.P.C.B / UPPCB and further on Revoking of Closure order, the Consent order shall become valid

Issued with the permission of competent authority .

Amit
Chandra

Digitally signed
by Amit Chandra
Date: 2020.01.02
12:54:24 +05'30'

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board .

Chief Environment Officer

133/146



Errand Enterprises Private Limited
Correspondence Address & Regd. Office :
1206, Pearls Omaxe, Plot No. B-1,
Netaji Subhash Place,
Pitampura, Delhi-110034 India
Telephone : +91-11-2735 1017, +91-11-4183 3264
Telefax : +91-11-4183 3264
CIN No. U74900DL2015PTC283463

To Whomsoever it May Concern

Date: 27 December, 2019

Certificate No. : 46/CAL/EEPL/18-19

This is to bring to your kind notice that we M/s Errand Enterprises Pvt Ltd -Authorized channel sales partner for Xylem WTW Online Instrument having our office at 12th floor Pearls Omaxe building Netaji Subhash Place Pitampura Delhi-110034 wish to confirm that we have installed & commissioned and done Calibration of Online Real Time Water Quality Monitoring System of Xylem WTW make at M/S Marya Frozen Agro Foods Products (P) Ltd., Bareilly, (UP).

The System measures online BOD, COD, TSS, PH & Flow real time.

The System has been calibrated on 3rd December, 2018 at M/S Marya Frozen Agro Foods Products (P) Ltd., Bareilly, (UP). by our service engineer at site.

The system was calibrated based on sample testing of Outlet Effluent from as per Laboratory Result sampling dated 22-11-2019 by Uttar Pradesh Pollution control Board, Test Report Dated 28-11-19

System is showing actual results after calibration as per both reports data.

S.No	Parameter-Name (Final Outlet)	# Raw Value In System during sampling of effluent	Testing Results	Final Values in Online System after Calibration
1.	COD	# 280	128 mg/l	130 mg/l
2	BOD	# 280	23mg/l	25 mg/l
3	TSS	# 210	43 mg/l	42 mg/l
4	PH	7.75	7.75	7.75
5	Flow	As per Actual V-Notch Level Chart		

The above information furnished is true to the best of our knowledge.

Thanks and Regards,

For,

Errand Enterprises Pvt Ltd



134/146



Marya Frozen Agro Food Products Pvt Ltd

CIN: U15122UP2016PTC076713

Sr. No.	Month	Water Consumption κL	NOA SLAUGHTER	
			Buffalo	Goat
1	Oct-19	6753.37	7628	450
2	Nov-19	6238.09	7040	606
3	Dec-19	6369.19	7905	564
		19360.65	22573	1620

135/146



कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
AGRICULTURAL AND PROCESSED FOOD PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF COMMERCE, GOVT. OF INDIA)

एकीकृत ऐबटॉयर-सह-मीट प्रोसेसिंग प्लांट पंजीकरण प्रमाण-पत्र
CERTIFICATE OF REGISTRATION INTEGRATED ABATTOIR - CUM - MEAT PROCESSING PLANT

यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित एकीकृत ऐबटॉयर-सह-मीट प्रोसेसिंग प्लांट एपीडा द्वारा स्थापित मीट प्लांट पंजीकरण समिति द्वारा निरीक्षण किया गया है और निर्यात के लिए आवश्यक स्वच्छता और सैनिटरी सुविधाएं उपलब्ध पाई गयी हैं। हालांकि ऐबटॉयर/प्लांट को समय-समय पर लागू सभी संबंधित नियमों/ विनियमों/ आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।
This is to certify that the integrated abattoir - cum - meat processing plant described below has been inspected by a Meat Plant Registration Committee constituted by APEDA and the existing facilities are considered adequate to meet the hygienic and sanitary conditions required to export. However, the operation of the Abattoir/plant will have to be in accordance with all statutory requirements/regulations in force.

- निर्यातक/आवेदक का नाम / Name of the Exporter/Applicant : MARYA FROZEN AGRO FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
CALIFORNIA CAMPUS, 97 CIVIL LINES OPP. RATANDEEP COMPLEX NH-24, VILLAGE MOHANPUR, NEAR R.T.O, SHAHJAHANPUR BAREILLY UTTAR PRADESH - 243123
- पंजीकरण संख्या / Registration No. : APEDA/211
- एकीकृत ऐबटॉयर-सह-मीट प्रोसेसिंग प्लांट का नाम और स्थान / Name & Location of the integrated abattoir - cum - meat processing plant : MARYA FROZEN AGRO FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
NH-24, VILLAGE MOHANPUR NEAR R.T.O SHAHJAHANPUR BAREILLY UTTAR PRADESH - 243123
- प्रतिदिन प्रोसेसिंग क्षमता / Processing Capacity per day

(क.) चिलिंग रूम / Chilling Rooms	: 206.00 MT
(ख.) ब्लास्ट फ्रीज़र / Blast Freezer	: 68.00 MT
(ग.) प्लेट फ्रीज़र / Plate Freezer	: 24.00 MT
(घ.) स्लाउटरींग / Slaughtering	
(अ.) भैंस / Buffalo	: 600.00 PER DAY
(आ.) भेड़ / Sheep	: 200.00 PER DAY
- निर्यात हेतु अधिकृत मीट और मीट उत्पाद / Meat & Meat Products authorized for exports

	BONELESS BUFFALO CHILLED/FROZEN MEAT- 84.60 MT PER DAY
	BUFFALO OFFALS CHILLED/FROZEN - 29.40 MT PER DAY
	SHEEP/GOAT MEAT- 2.40 MT PER DAY

प्रमाण-पत्र की मान्यता तिथि (तिथि/माह/वर्ष) : 10/01/2020 To 25/06/2021
Certificate Valid upto (dd/mm/yyyy)

स्टैंड अलोन स्लाउटरी हाउस/प्लांट द्वारा समय-समय पर लागू सभी संबंधित नियमों/ विनियमों/ आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाएगा। कृपया पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु दिनांक 02/11/2016 को जारी परिशिष्ट का संदर्भ ग्रहण करें।
The operation of the 'Stand Alone Slaughter House/plant will have to be in accordance with all statutory requirements/regulations in force. Please refer to addendum dated 02/11/2016 for grant of registration certificate.

स्थान / Place: New Delhi

एपीडा अध्यक्ष की ओर से
For and on behalf of Chairman APEDA



Digitally signed by TARUN BAJAJ
Date: 2020.01.17 14:03:47 +05:30
Reason: UNAUTHORIZED SIGNATORY
Location: NEW DELHI

तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3, सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग (खेल गांव के सामने) नई दिल्ली-110016

3rd Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg (Opp. Asiad village) New Delhi-110016
फोन / Phone : 26516283, 26514572, 26513219 फैक्स / Fax : 26526186, ई-मेल / E-mail : gmped@apeda.gov.in

136/146

भारत सरकार
Government of India
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
Food Safety and Standards Authority of India



खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन अनुज्ञप्ति
License under Food Safety and Standards Act, 2006

अनुज्ञप्ति संख्या / License Number : 10017051002009

1. अनुज्ञप्तिधारी के पंजीकृत कार्यालय का नाम और पता
Name & Registered Office Address of Licensee

MARYA FROZEN AGRO FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
CALIFORNIA CAMPUS 97 CIVIL LINES, OPP. RATANDEEP
COMPLEX, Bareilly (Uttar Pradesh), -243001

2. प्राधिकृत परिसरों का पता
Address of Authorized Premises

VILLAGE MOHANPUR THIRIA NAGAR NIGAM SLAUGHTER HOUSE
BAREILLY, Bareilly (Uttar Pradesh), -243123

3. कारोबार का प्रकार / Kind of Business

Manufacturer


4. डेयरी कारोबार विवरण हेतु / Dairy Business Details

N.A.

5. अनुज्ञप्ति का वर्ग / Category of License :

Central

यह अनुज्ञप्ति खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन अनुज्ञप्त की गई और वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन है जिनका अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अवश्य पालन किया जाना चाहिए / This license is granted under and is subject to the provisions of FSS Act, 2006 all of which must be complied with by the licensee.



B. S. Acharya

श्री. एस. अचार्य / B. S. ACHARYA
Stamp and Seal of the Central Licensing Authority
केन्द्रीय लाइसेंसिंग अथॉरिटी / Central Licensing Authority
खा. सं. और मा. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India
प्रथम तल, एन.बी.सी. भवन, भीष्म पिटामह मार्ग,
1st Floor, NBCC Place, Bhisham Pitamah Marg,
प्रगति विहार, नई दिल्ली-03 / Pragati Vihar, New Delhi-03

स्थान / Place : Delhi Regional Office - I
दिनांक / Date : 02/02/2018

विधिमान्यता और नवीनीकरण / Validation And Re-issuance

License Issue / Renewal Date	Period of validity	License Fee Paid	Items of Food products with capacities authorized to Manufacture/ Re-pack/ Re-label	Installed handling Capacity	Signature of Designated Officer
16/03/2017	15/03/2022	Rs. 37500	Please refer to annexure.	Please refer to annexure.	<i>B. S. Acharya</i>
16/03/2017	15/03/2022	Rs. 7500 (Modification)	Please refer to annexure.	Please refer to annexure.	

Disclaimer-This License is only to commence or carry on food businesses and not for any other purpose.

श्री. एस. अचार्य / B. S. ACHARYA
केन्द्रीय लाइसेंसिंग अथॉरिटी / Central Licensing Authority
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण / FSSAI
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India
प्रथम तल, एन.बी.सी. भवन, भीष्म पिटामह मार्ग,
1st Floor, NBCC Place, Bhisham Pitamah Marg,
प्रगति विहार, नई दिल्ली-03 / Pragati Vihar, New Delhi-03

137/146

भारत सरकार
Government of India
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
Food Safety and Standards Authority of India



खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन अनुज्ञप्ति
License under Food Safety and Standards Act, 2006

अनुज्ञप्ति संख्या / License Number : 10017051002009

Kind of Business: Manufacturer

Items of Food products with installed capacities authorized to Manufacture/ Re-pack/Re-label

Slaughter House

1	Large Animal	BUFFALO	800
2	Small Animal	SHEEP AND GOATS	550

Meat Processing Unit

Sl.No.	Product Description	Quantity	Unit	Per day/Per annum	Kind of Business
1	Frozen processed meat and poultry products in whole pieces or cuts	94600	Kgs	Per Day	Manufacturer



स्थान / Place : Delhi Regional Office - I
दिनांक / Date : 02/02/2018

Stamp and signature of Designated Officer

खा. सं. और मा. अधि., 2006 के अधीन केंद्रीय अनुज्ञापन
अधिकारी

Central Licensing Authority under FSSAI, 2006

बी. एस. आचार्य/B. S. ACHARYA
केंद्रीय लाइसेंसिंग अथॉरिटी/Central Licensing Authority
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण/FSSAI
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार
Min Health and Family Welfare, Govt. of India
प्रथम मंज. एन.बी.सी.मार्ग, भीष्म पितामह मार्ग,
1st Floor, NBCC Place, Bhisham Pitamah Marg,
प्रधान भवन, नई दिल्ली-03/Pragati Vihar, New Delhi-03


138/146

Inspection report of M/S Nagar Nigam Slaughter House (Operator by M/s Mariya Frozen Agro Food Products Pvt. Ltd.) Village Mohanpur Thiria, Tehsil Sadar, Distt. Bareilly.

1.	Name & Address of Industry	M/S Nagar Nigam Slaughter House (Operator by M/s Mariya Frozen Agro Food Products Pvt. Ltd.) Village Mohanpur Thiria, Tehsil Sadar, Distt. Bareilly
2.	Date of Inspection	14.11.2019, 11.01.2020
3.	Nature of Industry	Slaughter House & Meat Processing
4.	Category of Industry (L/M/S)	Large
5.	Operational Status	Operational
6.	Product & Capacity (Ton/Day or KL/Day)	Frozen Boneless Buffalo Meat -46.5 M.T.D. & Frozen Boneless Got/ Sheep meat-5.50 MTD
7.	By Product	Poultry Feed Suppliment-27T.P.D. Bone Tallow-16 T.P.D Blood Meal-0.5 T.P.D.
8.	Status of Water Consent	Water Consent: Valid up to 31.12.2021
9.	Status of Air Consent	Air Consent: Valid up to 31.12.2021
10.	Source of water.	Ground water (02 no. Submersible pump 15 HP & 03 HP)
11.	Status of CGWA Permission	Yes
12.	Utilization of Water	Industrial Process, Floor washing / Boiler/cooling etc. 316 K.L.D. & Domestic=04 K.L.D.
13.	Details of Effluent Treatment Plant (ETP) Installed	Effluent Treatment Plant (ETP) installed and comprises of following units- Bar Screen I & II, Collection Pit, Solid Separator, Oil & Fat removal, Equalization Tank I & II, Chemical Dosing UASB reactor, Flocculation Tank, Primary Clarifier, Aeration tank-I, Secondary Clarifier-I, Aeration tank-II, Secondary Clarifier-II, filter feed tank, Multi grade filter, Activated Carbon filter, Sludge Drying Beds, Treated Water Storage Lagoon. During inspection all above units was found under working position properly. During inspections Sample of treated effluent was collected and tested in H.O. & R.O. Laboratory as per analysis report it was found as per norms, Annexure-I & II.
14.	Effluent Quantity (KL/Day) Max.	Industrial: 303 KL/D Domestic: 03 KL/D
15.	Fixation of electromagnetic flow meters & Discharge point	Electromagnetic flow meter installed at outlet of E.T.P. for measurement of Effluent quantity.
16.	Quality of Treated Effluent	21.1 M ³ /Hour, 13.9 M ³ /Hour
17.	By Pass Arrangement if any	No bypass arrangement was found.
18.	Point of Discharge & Final Discharge	Treated effluent used in carnal technology for irrigation, no treated effluent discharge in any stream.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

19.	STP Status for domestic effluent	Common STP under Commissioning.
20.	Whether unit has taken permission from CGWA for groundwater extraction	Unit has valid CGWA N.O.C. up to 30.07.2022, Annexure-III
21.	Whether unit is being assessed for Water Cess	Not applicable after GST Act.
22.	Whether water meter installed on tube well	Yes, Electromagnetic water meter installed on all tube well.
23.	Source of Air Pollution	i. D.G Set 3-No. having capacity 500x2 KVA and 62.5 K.V.A. All D.G sets have acoustic enclosure. ii. 06 & 02 TPH Boiler
24.	Details of Fuel Used	i. For D.G Set- H.S.D. ii. For Boiler- Wood/ Rice Husk-10 TPD
25.	Details of A.P.C.S. & Stack Height	i. 500x2 KVA and 62.5 K.V.A has approx. 5.0 meter and 1.6 meter independent stack height from nearby roof level. ii. Both Boiler has separate Multi cyclone Dust collector attached with 33 meter and 20 meter stack height form ground level.
26.	Details of D.G. Set (Whether installed acoustic enclosure)	All D.G set (2x500 K.V.A. & 62.5 K.V.A.) installed with acoustic enclosure.
27.	Status of Hazardous Waste Authorization	Applied
28.	Any other specific remarks	Industry was found in operation during inspection Treated effluent was being used for irrigation in carnal technology. Unit has valid certificate from APEDA. Unit has own laboratory for waste water effluent testing. Unit has calibration certificate of online effluent monitoring system. Unit has Bio filter for control of smell from rendering plant. Unit has arrangement of fogging machine for control of fly and foul smell. During inspection stack monitoring of boiler was carried out on dated 11.01.2020 by the Regional office laboratory team as per analysis report quantity of emission was found as per board norms, report enclosed as Annexure-IV
Name, Designation and signature of Inspecting Officer		Shashi Vindkar, A.E.E., U.P.P.C.B, R.O. Bareilly  Sunil Singh Chauhan, S.A., U.P.P.C.B., R.O. Bareilly 

Enclose:-As above


Regional officer

140/146



TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

S.No.

Certificate No. TC-3579

Dt. of compilation of test report 21/11/19

Dt./period of testing 15/11/19 to 21/11/19

1. इकाई/एस.टी.पी. का नाम एवं पता / Name and Address of Industry/S.T.P. m/s Nagar Nigam Slaughter
Operated by Marya Frozen Agro Food Products Pvt Ltd, ...
2. नमूने का प्रकार (ग्रेब/कम्पोजिट/इंटीग्रेटेड) / Type of Sample (Grab/Composite/Integrated) Grab
3. नमूने एकत्र करने वाले व्यक्ति का विवरण / Sample Collected by Saseki Vindker FEB
4. एकत्रित नमूने का रंग एवं गंध / Colour & Odour Light Pale
5. एकत्रित नमूने की मात्रा एवं पैकिंग / Quantity & Packing (Plastic Jerican/Any Other) 2 L
6. नमूने एकत्रण की तिथि / Date of Sample Collection: 14-11-19
7. विश्लेषण हेतु आवेदनकर्ता / Analysis indented by: RD- ...
8. प्रयोगशाला में नमूना प्राप्ति की तिथि / Date of Sample receipt in Laboratory: 15.11.19
9. विश्लेषण विधि / method of analysis APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017, IS 3025(Part-44) : For BOD

क्र. सं. / S.N.O.	पैरामीटर / Parameter	इकाई / Unit	Results नमूने का कोड नं. / एकत्रण स्थल Code No./Sampling Point <u>UPPCB/LA/WW/783/19</u> <u>Final Out Let of ET4</u>	Detection Range
1	पी. एच. / pH, 4500 H ⁺ B Electrometric Method		7.53	02-12
2	सस्पेंडेड सॉलिड / Suspended Solids, 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105°C	मिग्रा/ली. / mg/l	44.0	10-20000 mg/l
3	डिसॉल्वेड सॉलिड / Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180°C	मिग्रा/ली. / mg/l	/	10- 50000 mg/l
4	टोटल सॉलिड / Total Solids, 2540 B Total Solids dried at 103-105 °C	मिग्रा/ली. / mg/l	/	10-50000 mg/l
5	बी.ओ.डी. / BOD, 3 day 27°C IS 3025 (Part 44); 1993 Bio chemical Oxygen Demand	मिग्रा/ली. / mg/l	24.0	1.0 -50000 mg/l
6	बी.ओ.डी. / COD, 5220 B Open Reflux Method	मिग्रा/ली. / mg/l	172.0	5.0 -100000 mg/l
7	सल्फेट / Sulphate as SO ₄ ⁻² , 4500-SO ₄ ⁻² E Turbidimetric Method	मिग्रा/ली. / mg/l	/	01-1000 mg/l
8	फॉस्फेट-पी / Phosphate as P, 4500 P D Stannous Chloride Method	मिग्रा/ली. / mg/l	/	0.03-100 mg/l
9	अमोनिया / Ammonia, 4500 NH ₃ -F Phenate Method	मिग्रा/ली. / mg/l	/	0.1-50 mg/l
10	नाइट्रेट / Nitrate, 4500- NO ₃ ⁻ B, Ultraviolet Spectrophotometric Method	मिग्रा/ली. / mg/l	/	0.05-100 mg/l
11	सोडियम / Sodium Na, 3500-Na B Flame Emission Photometric Method	मिग्रा/ली. / mg/l	/	1.0- 200mg/l
12	पोटेशियम / Potassium K, 3500-K B Flame Emission Photometric Method	मिग्रा/ली. / mg/l	/	1.0- 100mg/l
13	क्लोराइड / Chloride as Cl ⁻ , 4500- Cl ⁻ B Argentometric Method	मिग्रा/ली. / mg/l	/	1.0-5000mg/l
14	फ्लोराइड / Fluoride as F ⁻ , 4500- F ⁻ D SPADNS Method	मिग्रा/ली. / mg/l	/	0.1-100 mg/l
15	हेक्सावैलेंट क्रोमियम / Hexavalent Chromium (Cr ⁺⁶), 3500-Cr B Colorimetric Method	मिग्रा/ली. / mg/l	/	0.1-100mg/l
16	टोटल क्रोमियम / Total Chromium (T.Cr), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	मिग्रा/ली. / mg/l	/	0.1-1000mg/l
17	कॉपर / Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	मिग्रा/ली. / mg/l	/	0.01-1000mg/l
18	कैडमियम / Cadmium (Cd), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	मिग्रा/ली. / mg/l	/	0.01-1000mg/l
19	लेड / Lead (Pb), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	मिग्रा/ली. / mg/l	/	0.02-1000mg/l
20	आयरन / Iron (Fe), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	मिग्रा/ली. / mg/l	/	0.05-1000mg/l
21	निकेल / Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	मिग्रा/ली. / mg/l	/	0.02-1000mg/l
22	ज़िंक / Zinc (Zn), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	मिग्रा/ली. / mg/l	/	0.01-1000mg/l
23	टोटल कोलीफॉर्म / Total Coliform, 9221 B Multiple Tube Fermentation Technique	एक पीएचयू/100 मि.ली. / MPN/100 ml	/	<1.8 MPN/100 ml & above
24	फोकल कोलीफॉर्म / Focal Coliform, 9221 E Multiple Tube Fermentation Technique	एक पीएचयू/100 मि.ली. / MPN/100 ml	/	<1.8 MPN/100 ml & above

Reference: (1) General Standards for Discharge of Environmental Pollutants are as per Part - A : Effluents (Schedule - VI) The Environment (Protection) Rules, 1986 Source: <http://epcb.nic.in/GeneralStandards.pdf> ;
(2) Besides these standards, refer EPA standards for specific industry Source: epcb.nic.in/Industry_Specific_Standards.php

परिष्कारकर्ता के हस्ताक्षर / Analysed by AK 21/11/19

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory [Signature] 21/11/19

डा. बी. बी. अर्वा
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
C.P.C.B. Central Laboratory
2080, प्रयोगशाला
लखनऊ

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested. 2 The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3 The test report pertains to the sample as received in Lab.

141/196

Phone & Fax: 0581-2585299
Email-robareily@uppcb.com



U. P. POLLUTION CONTROL BOARD
Regional Office: 1219/1 E-Block, Rajendra Nagar,
Bareilly-243122

ANALYSIS REPORT OF EFFLUENT SAMPLE

1.	Name & Address of Industry / Drain	M/S Nagar Nigam Slaughter House (Operated by M/S Marya frozen Agro food Products Pvt Ltd) Vill. Mohanpur, Thririya., Tehsil Sadar, Bareilly.	
2.	Date of Sample Collection	14/11/2019	
3.	Details of Sampling Point	Final outlet of ETP	
4.	Sample Collected By	Shashi Vindkar(AEE) ,S.S Chauhan(S.A)	
5.	Date of Analysis Completion	15 /11/2019	
<u>PARAMETER ANALYSED</u>		<u>ANALYSIS RESULT</u>	<u>STANDARDS</u>
1	Oil & Grease	7	10.0

Note: All values are in mg/l


Scientific Assistant


Regional Officer

142/146

Phone & Fax: 0581-2585299
Email-robareilly@uppcb.com



U. P. POLLUTION CONTROL BOARD
Regional Office: 1219/1 E-Block, Rajendra Nagar,
Bareilly-243122

ANALYSIS REPORT OF EFFLUENT SAMPLE

1.	Name & Address of Industry / Drain	M/S Nagar Nigam Slaughter House (Operated by M/S Marya frozen Agro food Products Pvt Ltd) Vill. Mohanpur, Thririya., Tehsil Sadar, Bareilly.	
2.	Date of Sample Collection	11/01/2020	
3.	Details of Sampling Point	Final outlet of ETP	
4.	Sample Collected By	Shashi Vindkar(AEE) ,S.S Chauhan(S.A)	
5.	Date of Analysis Completion	16 /01/2020	
<u>PARAMETER ANALYSED</u>		<u>ANALYSIS RESULT</u>	<u>STANDARDS</u>
1	Colour	Colourless	Colour
2	Odour	Odourless	Odour
3	pH	7.5	6.5-8.5
5	Suspended Solids	42.0	50.0
6	Total Dissolved Solid	849.0	1800.0
7	BOD	23.00	30.0
8	COD	80.0	250.0
9	Oil & Grease	6	10.0

Note: All values are in mg/l except pH or stated otherwise.


Scientific Assistant


Regional Officer

143/146



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास

और गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण

Government of India

Ministry of Jal Shakti

Department of Water Resources,

River Development & Ganga Rejuvenation

Central Ground Water Authority

ANNEXURE-III

(भूजल निकासी हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र)

NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) FOR GROUND WATER ABSTRACTION

Project Name:	M/s Nagar Nigam Slaughter House (Operator M/s Marya Frozen Food Products Pvt. Ltd.)		
Project Address:	Village- Mohanpur Thiria, NH-2, Bareilly, Uttar Pradesh		
Village:	Mohanpur Urf Ram Nager	Block:	Bithiri Chainpur
District:	Bareilly	State:	Uttar Pradesh
Pin Code:	243123		
Communication Address:	M/s Nagar Nigam Slaughter House (Marya Frozen Agro Foods Product Pvt. Ltd), Village-Mohanpur Thiria, NH-2, Bithiri Chainpur, Bareilly, Uttar Pradesh - 243123		
Address of CGWB Regional Office:	Central Ground Water Board Northern Region, Bhujal Bhavan, Sector-B Sitapur Road Yojna, Ram Bank Chauraha, Lucknow, Uttar Pradesh - 226021		

1. NOC No.:	CGWA/NOC/IND/REN/1/2019/5598									
2. Application No.:	21-4/1387/UP/IND/2017	3. Category:	Industry							
4. Project Status:	Existing Project	5. NOC Type:	1st Renewal							
6. Valid from:	01/08/2019	7. Valid up to:	30/07/2022							
8. Ground Water Abstraction Permitted:										
Fresh Water		Saline Water		Dewatering		Total				
m ³ /day	m ³ /year	m ³ /day	m ³ /year	m ³ /day	m ³ /year	m ³ /day	m ³ /year			
330.00	99000.00					330.00	99000.00			
9. Details of ground water abstraction /Dewatering structures:										
Total Existing No.:2					Total Proposed No.:0					
	DW	DCB	BW	TW	MP	DW	DCB	BW	TW	MP
Abstraction Structure*	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
*DW- Dug Well; DCB-Dug-cum-Bore Well; BW-Bore Well; TW-Tube Well; MP-Mine Pit										
10. Quantum of ground water recharge/harvesting(m ³ /year):						2120.00				
11. Number of Piezometers (Observation wells) to be constructed/ monitored & Monitoring mechanism.	No. of Piezometers		Monitoring Mechanism							
			Manual		DWLR**		DWLR With Telemetry			
**DWLR - Digital Water Level Recorder	1		0		1		0			

(Compliance Conditions given overleaf)

Digitally signed by

NANDAKUMARAN P

Date: 2019.12.06 17:36:25 +05'30'

सदस्य (केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण)

Member (CGWA)

18/11, जामनगर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली - 110011 / 18/11, Jamnagar House, Mansingh Road, New Delhi-110011

Phone: (011) 23383561 Fax: 23382051, 23386743

Website: cgwa-noc.gov.in

पानी बचाये - जीवन बचाये
SAVE WATER - SAVE LIFE

144/146

Validity of this NOC shall be subject to compliance of the following mandatory conditions:

1. No additional ground water abstraction and/or de-watering structures shall be constructed for this purpose without prior approval of the Central Ground Water Authority (CGWA).
2. The proponent shall seek prior permission from CGWA for any increase in quantum of groundwater abstraction (more than that permitted in NOC for specific period).
3. All new as well as existing ground water abstraction/ de-watering structures shall be fitted with digital water flow meters by the firm at its own cost immediately on completion of their construction or grant of NOC as the case may be. In case of renewal of NOCs, all existing ground water abstraction structures shall continue to be fitted with digital water flow meters. Intimation of installation of flow meters shall be sent by the proponent to the Regional Director of CGWB within 6 months of grant of NOC. Daily ground water abstraction data shall be monitored / continue to be monitored (in case of renewal) by the firm and recorded in a log book. Details of month-wise ground water abstraction shall be submitted to the Regional Director, CGWB, once every year.
4. In case the ground water abstraction is more than 10 m³/day, monthly water level monitoring data shall be maintained and submitted annually to the Regional Office of CGWB. Wherever groundwater withdrawal is more than 500 m³/day, the firm shall install telemetry system in one of the piezometers and share USER ID and password of the telemetry system with the Regional Director, CGWB.
5. In case ground water abstraction is more than 10 m³/day, ground water quality shall be monitored once in a year (during pre- monsoon period) and the report submitted to the Regional Office, CGWB. Wherever the extraction is less than 10 m³/day, ground water quality report shall be submitted by the proponent at the time of submission of self-compliance report.
6. Ground water augmentation/harvesting measures as stipulated in the NOC, shall be implemented (in new cases) / continue to be maintained (in case of renewal) in consultation with the concerned Regional Director, CGWB.
7. Proof of recharge/water harvesting structures constructed (photographs of structures) shall be submitted to the concerned Regional Director, CGWB within 6 months from the date of issue of NOC. The firm shall also undertake periodic maintenance of recharge/water harvesting structures at its own cost.
8. The project proponent shall take all necessary measures to prevent contamination of ground water in the premises failing which the firm shall be responsible for any consequences arising thereupon.
9. In case of industries that are likely to contaminate the ground water, no recharge measures shall be taken up by the firm inside the plant premises. The runoff generated from the rooftop shall be stored and put to beneficial use by the firm.
10. The firm shall optimize water use through recycling/ reuse of waste water after proper treatment.
11. Wherever the NOC is for abstraction of saline water and the existing wells (s) is /are yielding fresh water, the same shall be sealed and new tubewell(s) tapping saline water zone shall be constructed within 3 months of the issuance of NOC. The firm shall also ensure safe disposal of saline residue, if any.
12. In case of mining projects, additional key wells shall be established in consultation with the Regional Director, CGWB for ground water level monitoring four (4) times a year (January, May, August and November) in core as well as buffer zones of the mine.
13. Unexpected variations in inflow of ground water into the mine pit, if any, shall be reported to the concerned Regional Director, Central Ground Water Board.
14. The firm shall report compliance of the NOC conditions online in the website (www.cgwa-noc.gov.in) within one year from the date of issue of this NOC.
15. This NOC is subject to prevailing Central/State Government rules/laws/norms or Court orders related to construction of tube well/ground water abstraction structure / recharge or conservation structure/discharge of effluents or any such matter as applicable.
16. This NOC does not absolve the proponents of their obligation / requirement to obtain other statutory and administrative clearances from appropriate authorities.
17. The issue of this NOC does not imply that other statutory / administrative clearances shall be granted to the project by the concerned authorities. Such authorities would consider the project on merits and take decisions independently of the NOC.
18. This NOC is being issued without any prejudice to the directions of the Hon'ble NGT/court orders in cases related to ground water or any other related matters.
19. Application for renewal can be submitted online from 90 days before the expiry of NOC. Ground water withdrawal, if any, after expiry of NOC shall be illegal & liable for legal action as per provisions of Environment(Protection)Act, 1986.

(Non-compliance of the conditions mentioned above is likely to result in the cancellation of NOC and legal action against the proponent.)

145/146



उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
 क्षेत्रीय कार्यालय: 1219/1, ई-ब्लाक राजेन्द्र नगर
 बरेली-243122


Phone & Fax: 0581-2585299

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: 1219/1 E-Block, Rajendra Nagar, Bareilly-243122

Stack Monitoring Report

1.	Name & Address of Industry	M/S Nagar Nigam Slaughter House (Operated by M/S Marya frozen Agro food Products Pvt Ltd) Vill. Mohanpur, Thriya., Tehsil Sadar, Bareilly.	
2.	Date & Time of of Monitoring	11 /01/2020	
3.	Stack Monitored by	S.S Chauhan(S.A),S.B Diwedi (F.A)	
4.	Name of Stack	Boiler	
5.	Raw Material	Buffalo, Goat & Sheep	
6.	Products of Industry	Frozen Meat	
7.	Stack height from GL(in Meter)	33.0 Meters	
8.	Fuel & Fuel Quantity	10TPD	
9.	Capacity of Boiler	6 TPH	
11.	Air Pollution Control Device	Multi cyclone Dust Collector	
MONITORING RESULTS			
S.N.	PARAMETERS	VALUE(mg/NM ³)	STANDARDS(mg/NM ³)
1.	Particulate Matter(PM)	230.04	800.0


 (Scientific Asstt.)


 Regional Officer

146/146